खण्ड-268, अंक-10
सोमवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1888
(8 अगस्त, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री

गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुरंहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री

जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बंधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजर्या ह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडय, श्री

सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश, माल मन्त्री, श्री हुकुमसिंह त्रिसेन, शिक्षा उप-मन्त्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय तथा गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ अगस्त, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषदों में विभव एवं सम्पत्ति कर अधिकारी का पद

**१—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन जिला परिषदों में, जहां सरकमस्टांसेज ऐन्ड प्रापर्टी टैक्सेज की स्वीकृति सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, कर-अधिकारी के पद का सृजन तथा उसकी नियुक्ति की जा सकती है ?

मुख्य मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

सरकमस्टांसेज ऐन्ड प्रापर्टी टैक्स (विभव एवं सम्पत्ति कर) वे जिला परिषदें लगा रही हैं जो कि भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व यह टैक्स लगा रही थीं। शेष परिषदें जो यह टैक्स भारतीय संविधान लागू होने के पूर्व नहीं लगा रही थीं, अब यह टैक्स नहीं लगा सकतीं। सरकार द्वारा जिला परिषदों को इस टैक्स को लगाने की स्वीकृति देने का सवाल नहीं उठता। जहां तक कर अधिकारी के पद के सृजन का सम्बन्ध है, यह पद उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा ३९(१) के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद् में स्वीकृत है। कर अधिकारी की नियुक्ति यदि जिला परिषद् उचित और आवश्यक समझे तो नियमानुसार कर सकती है।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ श्री रामकिशोर त्रिपाठी ने पूछा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितनी ऐसी जिला परिषद् हैं जो इससे पूर्व इस कर को नहीं लगाती थीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, २७ जिला परिषद् ऐसी हैं जो इस कर को लगाती हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी इसको देखते हुये कि कहीं यह कर लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता है ,इस में एकरूपता नहीं है तो कोई कानूनी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो कर लगा रही हैं, उस को खत्म किया जाय ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जो लगा रही हैं उनको खत्म नहीं किया जायेगा और जो नहीं लगा रही हैं, उन के लिए प्राविधान किया जा रहा है कि वह भी लगाने लगें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह टैक्स गरीबों पर लग जाता है जिन की पहुंच नहीं होती और जो देने लायक हैं वह लगाने वालों की खातिर करके बच जाते हैं क्या मन्त्री जी इस की जांच करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

इस पर जरूर गौर किया जायगा। यह विचारणीय बात है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कर अधिकारी की व्यवस्था इसलिए है कि जो हाट, बाजार, दुकान आदि के लाइसेंस होते हैं, उनका हिसाब किताब रखें? इसलिए जरूरत नहीं है कि विशेष प्रकार का कर लगाया जाय ?

श्री राममूर्ति—

यह सही बात है इसीलिए हर जिला परिषद् को अधिकार है कि जरूरत समझे तो कर अधिकारी रख सकती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो सी० पी० टैक्स लगता है, यह जिला परिषद् के कर्मचारियों, ब्लाक कर्मचारियों और बी० डी० ओज० पर भी लगता है और उसको देखते हुए कि पंचायत राज के कर्मचारी भी इस के अन्तर्गत आते हैं, उन कर्मचारियों पर से यह टैक्स हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रदेश के सब नागरिक हैं, इसलिए इस का सवाल ही नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे इस बात को देखते हुये कि जब संविधान लागू हुआ उस के बाद यह कर जहां नहीं लगता था वहां नहीं लगा, तो ऐसी क्या अब परिस्थिति आयी है कि जहां लागू है वहां पर उसे हटाने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, बल्कि जहां नहीं है वहां पर भी लागू करने की तरफ अधिक ध्यान दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इसकी एक परिस्थिति यह है कि जिन जिला परिषदों में यह टैक्स नहीं लगता है, उनकी आय के साधन बहुत कम हैं और उस के कारण जब उन की आय नहीं है तो व: लोगों की सेवा नहीं कर सकतीं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि २०० रु० की आमदनी पर यह टैक्स लग जाता है और बहुतों का सुझाव है कि इसको बढ़ा कर ६०० रुपया फी साल की आमदनी पर कर दिया जाय, तो क्या ६०० रुपये वाले प्रोपोजल पर आप विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

हमारा अब दूसरा नियम आयेगा, तो उस में विचार करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[६ठे सोमवार के लिए स्थगित किया गया।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

इण्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट स्कीम

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्ट डिपार्टमेंट इन्टेंसिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत १९६४ में कितने नये फारेस्ट डिवीजन और रेंजेज खोले गये और उनके ऊपर कितना खर्चा बढ़ा ?

कृषि उप मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

वन विभाग की इन्टेंसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के अन्तर्गत सन् १९६४ ई० में ११ नये फारेस्ट डिवीजन और ४७ रेंज खोले गये और उनके ऊपर सन् १९६४–६५ में ४,७६,८१७ रुपये खर्चा बढ़ा।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रेंजेज टी० ऐण्ड बी० फारेस्ट डिवीजन में खोले गये उनके इन्चार्ज कौन-कौन रेंजर्स हैं, और क्या यह सही है कि बरनी के रेंजर को बरहनी रेंज, टी० बी० फारेस्ट डिवीजन, वेस्टर्न सर्किल यू० पी० के रेंजर को किन कारणों से बरहनी रेंज से हटाया गया और इस रेंजर के जमाने में सरकार को कितना रुपया रेवेन्यू में मिला ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

तराई और भावर (टी० ऐण्ड बी०) फारेस्ट डिवीजन में केवल एक बरहनी रेंज, सन् १९६४ में खोला गया। इसके इन्चार्ज १४–१०–६४ से ४–१–१९६६ तक श्री हन्सादत्त

सनवाल रहे तथा इसके बाद से श्री हामिद अली इस रेंज के चार्ज में हैं। श्री हंसादत्त सनवाल का बरहनी रेंज तराई और भावर डिवीजन से स्थानान्तरण जनहित (पब्लिक इटरेस्ट) में किया गया। श्री हंसादत्त सनवाल, रेंज आफिसर के समय में बरहनी रेंज से सन् १९६४–६५ तथा सन् १९६५–६६ में ९,५२,९०५ रुपये रेवेन्यू में मिला।

*३––श्री रियासत हुसैन––

क्या वन मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ से १९६६ तक टी० ऐन्ड बी० फारेस्ट डिवीजन के रेंजेज में किस-किस के तबादले पब्लिक इन्टरेस्ट में किये गये और क्या उनमें कुछ लोगों के खिलाफ चार्जेज भी लगाये गये ? यदि हां, तो उन लोगों को जवाब का मौका मिला या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

सन् १९६१ से १९६६ तक तराई और भावर (टी० एण्ड बी०) फोरेस्ट डिवीजन में जिन रेंज आफिसरों के स्थानान्तरण जनहित (पब्लिक इन्टरेस्ट) में किये गये उनके नामों की सूची संलग्न है । इनमें से किसी के खिलाफ चार्जेज नहीं लगाये गये । अतएव उन लोगों को जबाब का मौका मिलने या न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२९ पर)

श्री रियासत हुसैन––

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि बरहनी के रेन्जर के समय में कितना रेवेन्यू मिला और उसके बाद बरहनी के रेन्जर होने पर अब तक कितना रेवेन्यू मिला ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

उसके समय में कितना मिला उसका ब्यौरा दे दिया गया है । उनके बाद जो अब दूसरे आये उस समय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । अगर आप उसके लिये नोटिस देंगे तो बतला दिया जावेगा ।

श्री रियासत हुसैन––

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे हालां कि मैं जानता हूं कि उनके पहिले रेंज से कितना रेवेन्यू मिला और उनके बाद भी क्या मिला । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो ट्रान्सफर्स बतलायें हैं वे पब्लिक इन्टैरेस्ट में बतलाये गये हैं । इस पब्लिक इन्टैरेस्ट में किये गये ट्रान्सफर्स का आधार क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि उनके जाने के बाद कितना रेवेन्यू मिला । यह प्रश्न में नहीं पूछा गया था ।

श्री रियासत हुसैन––

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह कहा तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि ये ट्रान्सफर्स पब्लिक इन्टैरेस्ट में किये गये हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी पब्लिक इन्टैरेस्ट का आधार बतलायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चरणसिंह)––

पब्लिक इन्टैरेस्ट की परिभाषा करना मुश्किल है ।

तराई क्षेत्र में चूहों का प्रकोप

*४---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में प्रतापपुर ग्राम के आस-पास के पूरे क्षेत्र में आजकल चूहों का बड़ा प्रकोप है जिससे पहली फसल नष्ट हो गई तथा वह भी नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषिमंत्री (श्री गेंदासिंह)---

जी हां, गत रबी में नैनीताल जिले के सम्पूर्ण तराई क्षेत्र में चूहों का बड़ा प्रकोप था । गत जनवरी-फरवरी, १९६६ तथा मई और जून, १९६६ में रुद्रपुर विकास खंड के क्रमशः ५१ तथा ७६ ग्रामों में जिनमें प्रतापपुर ग्राम भी शामिल था, चूहामार अभियान चलाये गये, जिसके फलस्वरूप पहली बार ३९,६११ एकड़ तथा दूसरी बार ४१,२०६ एकड़ क्षेत्रफल पर चूहे नष्ट किये गये ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जैसा कि चूहों की तो समस्या प्रान्त और देश भर में बहुत बड़ी है और अन्न की भी उनसे बहुत हानि होती है, तो जैसा कि देश के कृषि विशेषज्ञों ने इसके लिये एक युक्ति औषधि निकाली है और वे इसमें सफल भी हुए ह कि उनको ऐसी दवा खिलाई जाये कि भविष्य में उनके बच्चे ही न पैदा हों, तो क्या इस युक्ति या औषधि के पूरे प्रान्त में प्रयोग के लिये सरकार ने कोई विचार किया है ?

श्री गेंदासिंह---

चूहों के प्रकोप की वजह से यह बात सोची जा रही है कि जिस प्रकार से भी उनकी संख्या कम की जा सके वह यत्न किया जाये । विशेषज्ञों की युक्ति के बारे में मैं माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि कुछ डाक्टरों का यह भी मत है कि, जबकि चूहों के बारे में पहले की यह प्रिज्यडिस है कि उसको खाना नहीं चाहिये, इसके गोश्त में बकरी, मछली और मुर्गी से ज्यादा विटामिन है तो श्रीमन्, इस पर भी सोचा जा रहा है । यदि यह थोड़ा और वैज्ञानिक के मत से सिद्ध हो जाये तो सरकार की तरफ से भी इस पर जोर दिया जाय और प्रचार किया जाये कि जिससे उसको खाने में भी लोग रुचि लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

चूहों की संख्या बहुत बढ़ गयी है और इसकी शिकायत इस सदन में की गई है तो क्या यह सही है कि सरकार दूसरे उपायों में असफल होने की वजह से उसने डाक्टरों को यह सजेस्ट किया कि वें ऐसा कोई उपाय बतायें कि इसको भोजन सामग्री बनाया जा सके ?

श्री गेंदासिंह---

इतने अधिक चूहों और अन्न की कमी को देखते हुये कई डाक्टरों ने भी समझा है कि अन्न की बहुत हानि होती है और उन्होंने स्वयं यह मत भेजा है कि इसका प्रचार किया जाय कि दूसरे जानवरों के मांस से इसका मांस अच्छा है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

मंत्री जी ने उत्तर में स्पष्ट किया है कि चूहे के मांस में प्रोटीन्स अधिक हैं । तो क्या इस पर हिन्दुस्तानी और रूसी वैज्ञानिकों के भिन्न-भिन्न मत हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४ श्री टम्बेश्वरप्रसाद ने पूछा ।

श्री गेंदासिंह—

अभी तो खोज हो रही है। डाक्टरों का मत यह भी है कि दूसरे प्रकार के मांसों से यह इन्फीरियर नहीं है और इसका प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री कुमार करुणाकृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने कहा कि वे चूहे को खाने के लिये प्रचार हेतु उपाय सोच रहे हैं तो क्या मंत्री जी स्वयं उस डाक्टर की राय को मान कर चूहों को खाकर एक्जाम्पिल सेट करेंगे? (हंसी)

श्री गेंदासिंह—

मैंने यह सोचा है कि विरोधी दलों के नेताओं में जो नान-वेजीटेरियन हैं उनकी दावत करूं कि आप इसका प्रयोग कीजिये। (हंसी)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय गेंदासिंह जीने जैसे "चूहा मारो अभियान" योजना का उद्घाटन पूर्वी जनपद में किया था वैसे ही अब "चूहा खाओ अभियान" का उद्घाटन करने का विचार रखते हैं? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बिजनौर गांव में कथित जाली राशन कार्डों का वितरण

*५—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर), श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़), श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहकारी समिति बिजनौर, परगना व जिला कानपुर के पदाधिकारी व सदस्य सर्वश्री ननोहर सिंह, छेदा सिंह व कृष्ण बहादुर सिंह ने मिलकर जाली व फर्जी राशन कार्ड छपवा कर, प्रति राशन कार्ड, १ रुपया शुल्क पर गांव सभा बिजनौर के नागरिकों को वितरित करके हजारों रुपये की अवैधानिक आय की है और उन राशन कार्डों से आज तक नागरिकों को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस जालसाजी के गंभीर अपराध की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी के माध्यम से कराके रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करेगी?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

प्रश्न में वर्णित आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया गया। प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस संबंध में मंत्रीजी ने कोई जांच की है और क्या उसमें राशन कार्डों का छपवाना सत्य पाया गया है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जांच की और राशन कार्ड छपवाये गये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उन पर कोई अन्न उन्हें मिला या नहीं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उन पर आटा और चीनी दी गई है।

धामपुर में राशन कार्ड बनाने वालों को पारिश्रमिक न मिलना

*६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति विभाग, जिला बिजनौर द्वारा मई, जून, १९६३ में धामपुर, जिला बिजनौर के प्रार्थना-पत्र के अनुसार विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा राशन कार्ड बनवाये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक उनका पारिश्रमिक न देने का क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

जी हां। मामला शासन के विचाराधीन है । इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

रुद्रपुर टाउन एरिया सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुद्रपुर टाउन एरिया, जिला देवरिया के किसी सदस्य ने देवरिया जिला परिषद् में अध्यापकी कर ली है ? यदि हां, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित करके कब तक उप चुनाव सम्पन्न कराया जावेगा ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । संबंधित सदस्य श्री सुरेश मिश्र के विरुद्ध टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ७(क)(१) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है जिसके बाद ही स्थान रिक्त होने पर उप चुनाव सम्पन्न करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

रूस द्वारा राज्य से भेजे गये पशुओं को लेने से इन्कार

*८—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार का ध्यान लखनऊ से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'नेशनल हेराल्ड' के दिनांक ७ जून, १९६६ के अंक (प्रभात संस्करण) के पृष्ठ ३ पर प्रकाशित "सोवियत रिजक्ट्स इंडियन कैटिल कनसाइनमेन्ट" शीर्षक समाचार की ओर गया है ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या थी ? तथा

(अ) राज्य सरकार को उक्त सौदे से कितनी हानि हुई ?

(ब) सौदा कब किया गया था ?

(स) क्या यह सत्य है कि मुख्य मंत्री द्वारा रूस को जो सांड़ उपहार हेतु भेजा गया था वह भी वापस आ रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य सत्य है ।

इस सौदे में राज्य सरकार को हानि होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि सौदे की शर्तों के अनुसार जानवर अस्वीकृति होने की स्थिति में उनको बम्बई से लखनऊ तक वापस भेजने पर जो व्यय हुआ है उसे राजकीय व्यापार निगम वहन करेगा । जानवरों को लखनऊ से बम्बई तक भेजने पर जो व्यय राज्य सरकार ने वहन किया है उसे भी राजकीय व्यापार निगम से प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

यह सौदा १५ अप्रैल, १९६६ को हुआ था ।

जी हां ।

श्री बालोजी अग्रवाल---

उस सौदे के रद्द होने के क्या कारण थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यहां जो लिखत-पढ़त हुई उसमें सारे विशेषज्ञों के और रूस के विशेषज्ञों के भी हस्ताक्षर हैं कि ये जानवर निरोग हैं और भेजे जा सकते हैं । बम्बई वेटरीनरी अस्पताल में फिर जांच होकर पाया गया कि कोई रोग नहीं है । किन्तु अन्त में रूस वालों ने जानवर लेने से इन्कार कर दिया और वे वापस मंगाने पड़े ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

ये जानवर किस एजेंसी द्वारा खरीदे गये और खरीदने से पहले देख लिया गया था कि ये फार्मायश के मुताबिक हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

२८ पशु उन्होंने खरीदे और १ उपहार स्वरूप दिया गया । साहीवाल सांड़ की कीमत ४,५०० रुपये साहीवाल ओसरा की ३,५००, मुर्रा सांड़ की ३,५०० और मुर्रा बछिया की ३,००० रुपये है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सौदा रद्द होने का कारण यह था कि रूस के विशेषज्ञों ने उन जानवरों में टी० बी० पाई ?

श्री गैंदासिंह---

यह सही है कि बम्बई जाने पर रूस क विशेषज्ञों ने कहा कि कोई रोग है लेकिन भारत क विशेषज्ञों ने कोई रोग के कीटाणु नहीं पाये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर -

ये जानवर कहीं से खरीद कर दिये या अपने गऊशालाओं से दिये ?

श्री गैंदासिंह---

कुछ स्टेट के गंजरिया फार्म से और कुछ भारत सरकार के कृषि फार्म से ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पथौरागढ़)---

हमारे जांच करने वाले विशेषज्ञों की क्या योग्यतायें हैं ?

श्री गदासिंह---

यहां तो रूस के विशेषज्ञों ने भी जानवरों को रोग-मुक्त पाया । क्वालीफिकेशन्स के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री टंकेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार ने प्रयास किया कि अन्य रोग-मुक्त जानवर देकर सौदा पूरा किया जाय ?

श्री गदासिंह---

यह तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मामला है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या यह सही है कि जब ये जानवर बम्बई में क्वारंटाइन में रखे गये वहां इन पर कोई रोग हावी हो गया ?

श्री गैंदासिंह---

क्वारंटाइन में रहने के बाद भी दोनों के परीक्षण में ठीक पाये गये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

उपहार वाले सांड़ में क्या रोग बतलाया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

वह भी वापस किया गया है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

भारतीय सांड़ क्यों नहीं प्रमन्द किया ?

श्री गेंदासिंह---

हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं लाद सकते और वह भी उपहार ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

इस सौदे के अनुबन्ध की क्या टर्म्स थीं और रिजेक्शन किन शब्दों में है ?

श्री गेंदासिंह---

नोटिस चाहिये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जब सौदा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा तय हुआ था तो मंत्री जी यह कैसे कहते हैं कि लखनऊ से बंबई भेजने का खर्चा उनसे वसूल करने का प्रयत्न किया जायगा ? इसमें क्या तर्क है ?

श्री गेंदासिंह---

यह प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्य को कोई खर्चा वहन न करना पड़े, सारा खर्चा राज्य व्यापार निगम ही वहन करे ।

मिलिटरी ग्रास फार्म, सीतापुर की जमीन

*९---श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९६६ में, नगरपालिका सीतापुर द्वारा पारित कोई इस आशय का प्रस्ताव कि मिलिटरी फार्म की जमीन ईसाई मिशनरियों के अस्पताल हेतु न दी जाय, सरकार को मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि नगरपालिकाओं के लिये आवास की एक समस्या है ३५ एकड़ के लगभग इस भूमि को जिसका मल्य ३७ लाख रुपया है, हस्तान्तरित न होने देने के लिये तब तक, जब तक कि आप इसकी सूचना एकत्र कर के न दे दें, आदेश देंगे ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह जमीन सुरक्षा विभाग की है और किसी जमाने में इस पर मिलिटरी ग्रास फार्म था । जब सुरक्षा विभाग कुछ मिशनरियों को अस्पताल बनाने के लिये इस जमीन को हस्तान्तरित करने जा रहा था तब पालिका, सीतापुर ने एक रिजोल्यूशन पास किया । हम केन्द्रीय सरकार को यह आदेश नहीं दे सकते कि जब तक पालिका से मामला तय न हो जाय तब तक हस्तान्तरण न हो ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई संस्तुति देने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, जब इसमें कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन की सम्मत्ति आ जायगी तब हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से पत्र व्यवहार करने का विचार रखते हैं ।

जहानाबाद, खागा तथा किशुनपुर टाउन एरिया की पेय जल योजनायें

*१०---श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की खागा, किशुनपुर और जहानाबाद में वाटर वर्क्स चालू किये जाने का प्रश्न विभाग में अलग-अलग कब से विचाराधीन है तथा उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा कार्य कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

नोट---तारांकित प्रश्न ९ श्री टम्बरेश्वरप्रसाद ने पूछा ।

श्रीमती तारा अग्रवाल---

टाउन एरिया कमेटी, जहानाबाद, खागा तथा किशुनपुर की पेय जल योजनायें कार्यान्बित करने के प्रस्ताव स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में वर्ष १९६४ में प्राप्त हो गये थे तथा उनके आधार पर जहानाबाद की पेयजल योजना कोड़ा, जहानाबाद के नाम से बनाई गई थी एवं उसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त विभाग के द्वारा जुलाई, १९६५ में प्राप्त कर ली गई थी। शेष कमेटियों की योजनायें बनाने का कार्य प्रगति पर है।

शासन को खागा तथा जहानाबाद से संबंधित प्रस्ताव वर्ष १९६५ में प्राप्त हुए तथा किशुनपुर से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

जहानाबाद टाउन एरिया कमेटी की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण जिलाधीश की सिफारिश के आधार पर कोई ऋण तथा अनुदान नहीं दिया गया। खागा तथा किशुनपुर का कार्य पूरा होने की तिथि वहां कार्य आरम्भ होने पर ही बताई जा सकेगी।

अमरूद के वृक्षों में सूखा रोग

*११---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध फल अमरूद धीरे-धीरे अमरूद के वृक्षों में सूखे रोग के कारण नष्ट होता जा रहा है ?

श्री गेंदासिंह---

जी हां।

*१२---श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमरूद के वृक्षों में सूखे रोग का क्या कारण है और उसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ? यदि नहीं किया है, तो किन कारणों से नहीं किया है ?

श्री गेंदासिंह---

अमरूद के वृक्षों में सूखा रोग एक फफूंदी के कारण होता है जिसको उकठा रोग भी कहते हैं। इसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने भूमि उपचारण, वृक्षों में दवाओं के उपचार का कार्य किया, परन्तु कोई अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। रोग के निदान हेतु रोग प्रतिरोधी जातियों की खोज की गयी है और कुछ रोग प्रतिरोधी जातियां पाई गई हैं। फल अनुसंधानशाला, बस्ती में एक रोग प्रतिरोधी मूलकांड (Root stock) तैयार कर लिया गया है जो कि करीब ३-४ साल के परीक्षण में इस रोग से मुक्त पाया गया है। इसका अब काश्तकारों के उन बगीचों में जहां पर बीमारी पाई जाती है परीक्षण किया जायगा।

इलाहाबाद जिले के बीज भण्डारों में गबन

*१३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के नियोजन विभाग के कार्यालय के अन्तर्गत कृषि बीज भंडारों पर लाखों रुपये के गबन का आरोप १९६५-६६ में आय-व्यय निरीक्षक (आडीटर) ने पाया है ? यदि हां, तो कितने का गबन है और उस पर सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, इलाहाबाद जिले के निम्नलिखित चार कृषि बीज भंडारों में नकदी गबन तथा स्टाक की कमी व अन्य अनियमितताएं विभागीय लेखपालों द्वारा पाई गईं :

बीज भंडार का नाम	नकदी गबन		स्टाक में कमी तथा अन्य अनियमितताएं	
	रु०	पै०	रु०	पै०
१—केन्द्रीय बीज भंडार, इलाहाबाद ..	१८१.५२		१७,७६५.०९	
२—कृषि बीज भंडार, खीरी ..	४७४८.११		११,३११.४०	
३—कृषि बीज भंडार, झूसी	३७.७२		८,४२३.५५	
४—कृषि बीज भंडार, कमला नगर ..	..		१०,०७७.१३	

संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

केन्द्रीय बीज भंडार, इलाहाबाद के इन्चार्ज को निलम्बित किया गया और उसने, जो गबन था, उसका रुपया जमा कर दिया । आगे और कार्यवाही हो रही है । आरोप-पत्र का उसने जवाब दे दिया है ।

खीरी बीज भंडार के इंचार्ज ने जो रुपया गवन किया था वह जमा कर दिया है । उसको भी १०-६-६६ से निलम्बित कर दिया गया है । उससे जवाब पूछा गया, लेकिन उसका जवाब उसने नहीं दिया है । उसके विरुद्ध जांच जारी है, कार्यवाही हो रही है ।

शेर मुहम्मद के खिलाफ ३७.७२ पैसे का गबन पाया गया था, जो उसने जमा कर दिया है । उसके बाद उसका स्वर्गवास हो गया । लेकिन विभागीय कार्यवाही इस संबंध में भी हो रही है ।

श्री जगदेवसिंह के खिलाफ ११,०७७.१३ रुपये की स्टाक में कमी पायी गयी उससे २२२४.५५ रुपया जमा करने के आदेश दे दिये गये हैं और बाकी को वसूल करने के संबंध में कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी पूछ रहे हैं मंत्री जी, कि क्या कृषि विभाग में गबन करने पर स्वर्गवास मिलता है ? (हंसी)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह १०१ और ३७ के गबन के अलावा जो यह १७ हजार और ८ हजार की स्टाक में कमी हुई इसको भी मंत्री जी गबन मानते हैं या नहीं ?

[८ अगस्त, १९६६, के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बदायूं नगरपालिका पर ऋण

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह मालूम है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं, पर गवर्नमेंट का सोलह लाख रुपया कर्ज और १।। लाख रुपया सूद वाजिब है जो कि राज्य सरकार ने वाटर वर्क्स स्कीम के सिलसिले में दिया था परन्तु उस पर आज तक टैक्स का एसेसमेंट क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां ।

बदायूं नगरपालिका एक नान-सिटी (Non-city) बोर्ड है । इस कारण इसके जल कर नियम सक्षम अधिकारी (Commissioner) द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं । इन नियमों को रुहेलखंड के कमिश्नर द्वारा ६-१-१९६६ को स्वीकृत किया गया था । चूंकि नियम बन जाने के बाद ही असेसमेन्ट लिस्ट नगरपालिका को तैयार करनी थी अतः उसे आदेश दे दिये गये हैं कि वह इस काम को तीन माह के अन्दर पूरा कर ले ।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं, को तीन मरतबा यह हुकुम दिया कि श्री जंगबहादुर मेम्बर के सगे भांजे और श्री नासिर उद्दीन मेम्बर के सगे बहनोई को चुंगी की नौकरी से अलहदा कर दिया जाय या मेम्बरान का इस्तीफा ले लिया जाय ? परन्तु फिर भी इसके ऊपर अमल-इरामद क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शासन ने केवल श्री जंगबहादुर मेम्बर के सगे भांजे, श्री ओमप्रकाश सक्सेना, के विषय में आदेश दिये थे जिसके परिणाम-स्वरूप श्री ओमप्रकाश सक्सेना को नौकरी से अलग कर दिया गया है । श्री नासिर उद्दीन के बहनोई के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आदेश शासन ने नहीं दिये ।

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं, पिछले साल सस्पेंड किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो सस्पेन्शन की मिसिल दाखिल दफ्तर क्यों कर दी गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष, नगरपालिका, बदायूं, पिछले साल निलम्बित नहीं हुये थे ।
प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन—

म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं, पर सरकार का सोलह लाख रुपया कर्ज और १।। लाख रुपया सूद वाजिब है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब ६-१-१९६६ को कमिश्नर ने एसैसमेंट के नियमों की मंजूरी दे दी थी तो आपकी बिना आज्ञा के एसैसमेंट न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह एक नौन्-सिटी बोर्ड है । कमिश्नर ने ६-१-१९६६ को मंजूरी दे दी । इसके बाद शासन ने यह आदेश दिया ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ६-१-१९६६ को कमिश्नर ने रूल्स की मंजूरी दे दी, अब उनको ३ महीने की मोहलत दी गयी है तो बिना आपके आदेश दिए ही, चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, ने उनका एसेसमेंट क्यों नहीं कराया ?

श्री चरणसिंह--

जब वह नियमावली स्वीकृत हो गई उस के बाद ही असेसमेंट वह कर सकते थे, उससे पहले नहीं। उन्होंने अभी तक नहीं किया तो यहां से हमने आदेश दे दिया कि इसको ३ महीने के अन्दर पूरा कर दें। अब आप यह जानना चाहते हैं कि उसने क्यों नहीं किया। यह आप उससे पूछ सकते हैं और इस बिना पर चेयरमैन नहीं हटाया जा सकता।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सप्लीमेंटरी न करूं इसलिये कि मंत्री जी ने जिस मूड में पहले सवाल का जवाब दिया उससे यह ज्यादा बेहतर है कि मैं सवाल न करूं।

श्री अध्यक्ष--

आप करें या न करें लेकिन सीधी बात यह है कि आपने जिस कार्य का प्रश्न उनसे किया, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर कैसे है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय मन्त्री जी जो जोश में आ गये उस पर माननीय रियासत हुसैन कह रहे हैं। यह मंत्री जी की चौपाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यदि वह सवाल नहीं करना चाहते तो मैं आगे चलूं।

श्री रियासत हुसैन--

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे सप्लीमेंटरी में कहीं भी चेयरमैन को हटाने का प्रश्न नहीं था, जो मंत्री जी ने अपनी तरफ से बढ़ा कर जवाब दिया।

मुझे इस पर सप्लीमेंटरी करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप ने कहा, मैं प्रश्न नहीं करूंगा। हो सकता है कि मंत्री जी ने थोड़ी नाराजगी की हो मगर आप वह प्रश्न नहीं कर सकते थे, प्रश्न आपका गलत था।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ओमप्रकाश सक्सेना को जिसको अब अलग किया गया है मेरे सवाल के बाद उसको पहले से क्यों नहीं अलग किया गया और श्री नसीरुद्दीन जो दूसरे मेम्बर के बहनोई हैं वह अब भी अलग नहीं किये गये तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्री ओमप्रकाश सक्सेना ६ अप्रैल, १९६६, को नौकरी से अलग किये गये। जहां तक दूसरे सज्जन का प्रश्न है, उसके बारे में जब आपने प्रश्न किया है तभी शासन को पता चला है, इसलिये शासन ने जिलाधीश को लिखा है।

श्री रियासत हुसैन--

यह समझते हुये कि मौजूदा चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, अपने इस टर्म से पहले टर्म में २ दफा सस्पेंड किये जा चुके हैं और सस्पेंशन के ऊपर कोई इन्क्वायरी होने के बजाय कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये गये, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अब म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं के ८ सदस्यों ने आपको एक दस्तखती मेमोरेन्डम दिया है जिसमें चेयरमैन के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं तो क्या आप सी० आई० डी० की या दूसरे प्रकार की इनक्वायरी करायेंगे ?

श्री चरणसिंह--

जो मेमोरेन्डम दिया गया है उस पर इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह कहा है कि १ हफ्ते के अन्दर जवाब दें और फोन पर भी कहा है कि १ हफ्ते से ज्यादा न लगे। तो उन्होंने कहा कि १ हफ्ता मुझे कम से कम पत्रावलियों को देखने में लगेगा, इसलिये ज्यादा समय चाहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सही है कि बदायूं नगरपालिका को चेयरमैन श्रीकृष्ण कांग्रेस के बहुत बड़े वर्कर हैं इसलिये आप उनको बचा रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*४-५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[५वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६-७--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

सफाई निरीक्षकों की सेवाओं का केंद्रीयकरण

*८--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले सेनिटरी इन्स्पेक्टर की सेवाओं का प्रान्तीयकरण करने पर सरकार कब तक कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रदेश की नगर महापालिकाओं एवं म्युनिसिपल बोर्ड के सफाई निरीक्षकों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण ९ जुलाई, १९६६, से कर दिया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह केन्द्रीयकरण किया गया है अथवा प्रान्तीयकरण ?

श्री चरणसिंह--

प्रान्तीयकरण और केन्द्रीयकरण दोनों सही हैं। केन्द्रीयकरण से मतलब यह नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

अब जब आपने प्रान्तीयकरण कर लिया है तो यह आपकी प्राविन्शियल सर्विसेज कहलायेगी ?

श्री चरणसिंह--

ये गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं होंगी। म्युनिसिपल बोर्ड सर्विस होगी। इस सिलसिले में जो नगरपालिका ऐक्ट और महापालिका ऐक्ट से सम्बन्धित सेक्शंस हैं उनको माननीय सदस्य पढ़ने की कृपा करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

संशोधित म्युनिसिपल ऐक्ट जो ३० नवम्बर, ६४, को पास किया था उसके अन्दर प्राविन्शियल सर्विसेज का विधान था। उसके बाद रूल्स बनने में देरी हुई। अब उसके बाद माननीय मन्त्री जी ने एक दम म्युनिसिपल आफिसर्स का तबादला कर दिया जिससे उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। बहुत से अफसरान के बच्चों का दाखिला लिया जा चुका है। तो इन तमाम असुविधाओं को ध्यान में रखते हुये जितने ट्रांसफर हो चुके वह हो चुके लेकिन बाकी जो होने वाले हैं उनको कुछ अरसे के लिये रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

माननीय सदस्य के सवाल से यह ध्वनि निकलती है कि एक दम नियम बनाने से सरकार ने गलती की। जहां तक तबादलों का ताल्लुक है, गवर्नमेंट अफसरान का एजूकेशन टर्म के बीच में भी तबादला किया जाता है। किसी की शिकायत वगैरह साबित हो जाने पर तो तबादले किये ही जाते हैं। लेकिन आम तौर पर तबादले करने की जरूरत नहीं होती। इस वक्त जो फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं तथा महापालिकाओं के एग्जीक्यूटिव आफिसर्स का तथा उनके कुछ अन्य आफिसर्स का तबादला किया है। इसके अलावा ८, १० म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे हैं जिनके एग्जिक्यूटिव आफिसर्स तथा म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं जिससे बोर्ड के काम खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके भी हमने ट्रासफर किये हैं। सेनिटरी इंस्पेक्टर्स तथा कुछ चीफ सेनिटरी इंस्पेक्टर्स के भी तबादले किये हैं लेकिन नीति यह है कि जो हजारों कर्मचारी हैं उनके तबादले न किये जायं और जब साल खत्म हो तभी उसके बाद किये जायं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

यह जो प्रान्तीयकरण म्युनिसिपल सेवकों का आपने किया है तो वेतन के आधार पर अथवा किस आधार पर आपने यह किया है ?

श्री चरणसिंह--

नियम यह रखा है कि जितने भी कर्मचारियों का वेतन-क्रम १५० रुपये मासिक से शुरू होता है उन सबको प्रान्तीयकरण कर दिया है। इसके अलावा ओवरसियर और सेनिटरी इंस्पेक्टर्स का वेतन-क्रम अगर्चे १२० से शुरू होता है उनको भी प्रान्तीयकरण कर दिया है क्योंकि उन लोगों का काम नागरिक जीवन से बहुत ज्यादा सम्पर्क रखने वाला होता है बावजूद इसके कि उनका वेतन १५० रुपये से कम शुरू होता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--

अगर माननीय मंत्री जी की नोटिस में यह आये कि १५० रुपये से आरम्भ होने वाले कुछ वेतन-क्रमों के लोग आपकी इन कैटेगैरीज में नहीं आये हैं तो क्या उनको भी उसमें लेने पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

वैसे १५० रुपये से वेतन-क्रम जिनका शुरू होता है उन सबके पुराने स्केल्स वगैरह देख कर के हमने सबका ही प्रान्तीयकरण कर दिया है। लेकिन दो, एक केसेज किसी पालिका या महापालिका में ऐसे हैं जिनका वेतन-क्रम १५० से शुरू होता है मगर उनका प्रान्तीयकरण इसलिये नहीं किया गया क्योंकि उनके समकक्ष कर्मचारी दूसरी पालिकाओं में नहीं हैं। मसलन्, एक ला आफिसर हैं, कानपुर में। दूसरी जगहों से चिट्ठी आयीं कि इनका भी प्रान्तीयकरण कर दिया जाय, लेकिन दूसरी जगह ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है कि उनका तबादला आपस में किया जा सके। इसलिये उनका प्रान्तीयकरण नहीं किया

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

जिन लोगों ने जानबूझ कर नगरपालिका में इसीलिये नौकरी की थी कि उन्हें उसी नगरपालिका में काम करना होगा, लेकिन प्रान्तीयकरण के बाद वे कहीं भी भेजे जा सकते हैं, तो इसके बदले में क्या सरकार उन्हें कोई और सुविधायें भी देगी या केवल प्रान्तीयकरण ही कर दिया ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीयकरण का यह अर्थ नहीं है कि उन कर्मचारियों को पहले से अधिक सुविधा दी जाय। मंशा केवल बेहतर प्रबन्ध का था क्योंकि एक ही जगह किसी कर्मचारी के २०-२५ वर्ष का रिटायर होने तक रहने के कारण प्रबन्ध में खराबी होती थी, पार्टी-बाजी होती थी, यहां तक कि प्रेसीडेंट के आदेश को भी नीचे के अफसर नहीं मानते थे और केवल एक्जीक्यूटिव आफिसर की तरफ देखते थे, इसलिये उनका ट्रांस्फर किया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज जो ए-क्लाज हैं उनमें वाटर वर्क्स इंजीनियर्स, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और दूसरे इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं जो १५० रुपये से ऊपर तनख्वाह पाते हैं। अब इन सबके तबादले से जो काम में कठिनाई पैदा हो गई है उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री चरणसिंह--

मैंने यह नहीं कहा कि सारे ही बदले जा रहे हैं। इस वक्त तो सिर्फ ऊपर के ही कर्मचारियों को बदला गया है। हर कर्मचारी को जिसकी तनख्वाह १५० रुपये से ज्यादा है नहीं बदला गया है और न उस कर्मचारी को बदला जायगा जिसका वेतन-क्रम १५० रुपये से कम से शुरू होता है लेकिन आज १५० रुपये से ज्यादा पा रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मेरे पूछने का मतलब तो यह है कि १५० रुपये से ऊपर बड़े बाबू आते हैं, वाटर-वर्क्स इंजीनियर आते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर आते हैं, टैक्स सुपरिन्टेन्डेंट आते हैं। मेरी जानकारी यह है कि सहारनपुर के इन तमाम अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी हो गये हैं जिससे काम में बड़ी असुविधा हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

वे तो कहते हैं कि सुप्रबन्ध के लिये हमें जो कुछ करना है करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

माननीय मन्त्री जी यह जानते हुये कि जितने नगरपालिकाओं के कर्मचारी थे वे यह बात पहले सोच कर कि हमें नगर में ही रहना है इसीलिये वहां नौकरी की लेकिन अब अपने सुप्रबन्ध की दृष्टि से उनके तबादले का अख्तियार ले लिया, तो क्या उनकी कठिनाइयों को देखते हुये कि वे बाहर जायेंगे जहां उन्हें मकान लेना पड़ेगा और अपनी फेमिली को सेट अप करना पड़ेगा, उन्हें कुछ और सुविधाएं देने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय गंगवार जी, वह कह चुके हैं कि सुप्रबंध कि दृष्टि से हमने यह किया है। ट्रांस्फर होते हैं तो सुप्रबंध के लिये होते हैं और उसमें वे मजबूर हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं जानना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड में कोई आदमी नौकरी करता है तो वह जानताहै कि वह म्युनिसिपल लिमि:्स में रहेगा। लेकिन अब सरकार ने परिस्थिति बदल कर उनको दूसरे स्थान पर भेजने की कार्यवाही की है तो उसको और सुविधायें देने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, किसी और सुविधा देने पर गवर्नमेंट विचार नहीं कर रही है। लेकिन आप्शन आफ रिटायरमेंट के प्रश्न पर गवर्नमेंट जरूर विचार करेगी। यदि वे ट्रांसफर से बचना चाहते हैं और इन संस्थाओं की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो उनको यह मौका है कि वे रिटायर हो जायं। इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या (१) की ओर दिलाना चाहता हूं। यह १८ जुलाई को स्वीकार हुआ था। यह पहले भी सदन के एजेन्डे पर आ चुका है। प्रश्न की महत्ता को देखते हुये इसका उत्तर मिलना जरूरी है। अब यह फिर सोमवार के लिये स्थगित कर दिया गया है अ.र विधान सभा की बैठक सोमवार को होने नहीं जा रही है। उस समय पहले स्ट्राइक चल रही थी तो इस कारण स्थगित कर दिया गया था। अब फिर इसको टाल दिया गया है अ.र अगले सोमवार के लिये रख दिया गया है; तो आप इसका उत्तर विधान सभा की बैठक समाप्त होने से पहले दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देखूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

छ5ा सोमवार आने वाला भी है या नहीं ? मैंने इसलिये निवेदन किया कि बाज दफा हम लोगों के प्रश्न भी मुल्तवी हो जाते हैं। मेरा प्रश्न अल्प सूचित अस्वीकार हो गया था। अब वह इतनी दूर लगा है कि उसकी नौबत ही नहीं आयेगी। पता नहीं तब तक सदन चलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

हमारे विभाग को तो नियमों का पालन करना पड़ता है। अब नियमों के अन्तर्गत यह है कि १५ दिन का समय दिया जायगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

नत्थी (ग) पर मैं सवाल नहीं कर पाया था। मैं चाहता हूं कि मुझे जवाब मिल जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल लिखकर भेज दीजिये तो हम जवाब दिलवा देंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति का प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष (श्री होतीलाल अग्रवाल)--

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति का प्रतिवेदन, जैसा कि वह १९६६-६७ की नियम समिति द्वारा संशोधित किया गया है, प्रस्तुत करता हूं।

†छापा नहीं गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सदन में कब आप रखेंगे और उस पर हम संशोधन कब देंगे और कब आप इस पर बहस करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वह मेज पर रख दिया गया है । मेरा खयाल है जल्द ही समय आयेगा । प्रेस से कहा गया है और जल्दी ही उसको छपा कर मंगाया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

इसी सदन में या बाद को ?

श्री अध्यक्ष---

इसी सदन में रखने की कोशिश करेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

सदन बन्द करने के पहले आप इसको रख सकें तो उससे इस सदन को फायदा हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

हम देखेंगे ।

विविध विषयों के संबंध में जानकारी

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

इस सप्ताह का कार्यक्रम क्या होगा, यह कृपया बतला दें ।

श्री अध्यक्ष---

वह अभी बतला देंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

हमने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था । उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

वह मेरे पास नहीं आया है । अभी मैंने देखा नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

उसको भी मैंने अभी देखा नहीं है ।

प्रदेश में बाढ़ से क्षति तथा कुछ जिलों में अवर्षण के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास आज नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें आई हैं । पहले भी इस तरह की सूचनाएं आ चुकी हैं । इन सब में बात की शिकायत की गई है और सरकार का ध्यान आकर्षित

किया गया है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर नदियों में बाढ़ आ रही है । एक तो आज माननीय हरीशकुमार गंगवार की है कि प्रदेश की ५ नदियों में गंगा, जमुना, घाघरा, रामगंगा तथा बड़ी गंडक में बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाने से सैंकड़ों बीघे फसल नष्ट हो गई है । हजारों एकड़ खड़ी फसल नष्ट हो गयी है तथा भारी तादाद में नर-नारी एवं पशु बेघरबार हो गये हैं । इसी संबंध में माननीय रामसुन्दर पाण्डेय और उग्रसेन और मंगल देव जी की नियम ५२ की सूचना है कि आजमगढ़, बलिया, देवरिया तथा अन्य तीन जिलों में लगभग पानी नहीं बरसा है और माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी का है कि शाहजहांपुर में गंगा का पुल टूट गया है उससे बाढ़ आ गयी है । तो मैं यह सोच रहा था इस खयाल से कि बाढ़ की काफी शिकायतें आ रही हैं, कदाचित् यह उचित होगा कि प्रदेश के संबंध में १२ तारीख को माननीय राजस्व मंत्री वक्तव्य दे दें ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

सारे प्रदेश से इसके लिये इत्तला मंगानी पड़ेगी इस कारण १२ तारीख तक तो वक्तव्य दे पाना संभव न होगा । यह सवाल मुश्किल इसलिये है कि कहीं पर बाढ़ है और कहीं सूखा ।

श्री अध्यक्ष---

तो मेरा निवेदन यह है कि १२ तारीख तक जितनी सूचना प्रदेश के बारे में आये वह आप कृपा कर दे दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां । यह मैं कर दूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मेरा निवेदन यह है कि आप सूचना बाद में मंगाते रहिये । जब सरकार को हमने इसकी सूचना दे दी और आपने सुना दिया कि ऐसी परिस्थिति है और इस पर आप को ध्यान देना चाहिये, तो सरकार को सहायता के लिये कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है ।

बलरामपुर बिजली सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली की सप्लाई में अनिश्चितता के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय शुकदेव प्रसाद जी की एक नियम ५२ की सूचना है कि बलरामपुर में बिजली कम्पनी की बिजली सप्लाई में व्याप्त अनिश्चितता और परिणामस्वरूप पूरे गोंडा जिले में हाहाकार मचा हुआ है । बिजली द्वारा चलने वाले नलकूप प्रभावित हो रहे हैं और कृषि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । मैं इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । इस पर मंत्री जी आप वक्तव्य कब देंगे ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

आप जब चाहें तब । मैं अभी बतला दूं या परसों दे दूंगा ?

श्री अध्यक्ष---

अभी बतलाना चाहें तो अभी बतला दीजिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

परसों ही बतला दंगा ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

सरकार द्वारा सदन में रखे गये आचरण कोड के संबंध में परिप्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी का एक है कि देवरिया जिले की सीमा में हो कर भारी मात्रा में बिहार के लिये खाद्यानों का तस्कर व्यापार खुले रूप से हो रहा है । राज्य सरकार की पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी इस रोक में पूर्णतया असफल हो रहे हैं । मैं इसको खाद्य मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैंने उस रोज नियम ३०१ के अन्तर्गत कोड से संबंधित एक प्रश्न मंत्रियों से संबंधित आप के सामने रखा था, किन्तु मुझे इन विधान सभा के नियमों में और अन्य कहीं कोई प्रश्न नहीं मिला जिसके अंतर्गत मैं इसे रख सकता । इस संबंध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जहां तक आचार संहिता का संबंध है, नियमों में तो कोई प्राविधान मुझे नहीं मिला जिसके अंतर्गत यह सदन में रखा गया है । हमारे यहां नियम १७२ या ऐसा ही कोई नियम है जिसमें विनियम, नियम और अन्य उपविधि, आदि किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित, सदन की मेज पर रखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त इसमें दो बातें देखनी हैं । एक तो इस सूचना के नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं कि किस ने जारी की है, कौन इसका जिम्मेदार है । तो एक बात यह समझ में नहीं आयी । दूसरी बात यह है कि किस नियम के अंतर्गत आप ने यह रखा है ? तीसरी बात यह है कि अगर आप ने सदन के समक्ष रखा है तो क्या आप सदन से यह चाहते हैं कि सदन इससे अवगत हो जाय ? सदन के सामने यह इसीलिये आया है क्या ?

माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद का कहना यह है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं,उसमें हम संशोधन देंगे । तो यह सब बातें मेरे सामने आ रही हैं । मैं चाहूंगा कि आप कृपा कर के आज या कल यह स्पष्ट कर दें कि किस कानून के अन्तर्गत, किस दृष्टिकोण से, यह रखा गया है, ताकि जो विविध सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं उनके ऊपर उचित कार्य कर सकूं ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

कल इसको कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहता हूं कि हमारे उठने के पहले इस पर . . . . .

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद--

मेरा निवेदन यह है कि एक चीज मुख्य मंत्री कई रोज पहले रख चुकी हैं सदन में, आज रख ने का उद्देश्य क्या है, यह जानना चाहता हूं । उस रोज आप से निवेदन किया था . . . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से सोच रहा हूं उसको रहने दें । इस प्रश्न को इस समय न उठावें । कोई बात ऐसी न सोंचे कि मैं रोकना चाहता हूं । स्पष्टीकरण हो जाय तब आप इस पर बोल सकते हैं।

सहारनपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर सड़ा आटा भिजवाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मंत्री के सभा सचिव श्री (हरीदत्त कांडपाल)--

सहारनपुर में २४ तथा २५ जुलाई को भीषण वर्षा व बाढ़ के फलस्वरूप राजकीय गोदाम न० ११ में पानी आ गया। जिस सड़क पर गोदाम स्थित है उस सड़क पर पानी पांच से छः फुट तक भर गया और गोदाम में गेंहूं की ४ छल्ली पानी में डुब गई और पांचवी छल्ली को भी पानी छू गया ।

पानी को गोदाम में जाने से रोकने के लिय सभी सम्भव प्रयत्न किये गये। मालिक गोदाम तथा कर्मचारियों ने टिन, लकड़ी के तख्ते तथा मिट्टी से भरे बोरे गोदाम के बाहर मुंह पर रखे परंतु पानी का बहाव इतना तेज था कि यह सब उपाय निष्फल रहे और पानी अन्दर चला गया।

उपरोक्त राजकीय गोदाम में १,४९९ बोरे गेहू के थे । उनमें से ७८८ बोरे छांटकर जो पानी से ऊपर थे गोदाम से निकाल कर दूसरे गोदाम में भेज दिये गये बाकी ७११ बोरे, जिसका वजन ६४९ क्वीन्टल, ८५ किलो ४०० ग्राम था पानी से प्रभावित था। इस गेहूं को खराब होने से बचाने के लिये यह तय किया गया कि इसे तुरन्त पिसवा दिया जाय। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि रोलर फ्लावर मिल में गेहूं को पीसने से पहले भिगोया और धोया जाता है। अतः सहारनपुर के रोलर फ्लावर मिल मालिक को बुलाकर गेहूं दिखाया गया और उनकी रजामन्दी से ६१२ बोरे दिनांक २७ जुलाई को और ९९ बोरे २८ जुलाई को मिल में भेज दिये गये । इसके अतिरिक्त ३२० बोरा सूखा गेहूं मिलाने के वास्ते भी दिया गया। ७११ बोरे भीगा गेहूं जो मिल को २७ व २८ जुलाई को दिया गया था उसमें १०६ बोरा गेहूं ऐसा था जो काफी भीगा था इसलिये उसको सुखाने के लिये मिल में ही बाकी बोरों से अलग निकाल कर रख दिया गया । शेष गेहूं में से २८, २९, ३० जुलाई को आटा बनाया गया और वह आटा वितरित किया गया और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई ।

पानी से व्यापारियों का भी काफी अनाज खराब हुआ और सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चला है कि जिला अधिकारियों ने शहर में जा जाकर के लोगों का खराब अनाज बेचने से रोका । उसी के दौरान यह भी लोगों से सुना गया कि मिल में खड़ा गेहूं पीसा जा रहा है। अतएव जुलाई ३० की शाम को सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट, एस० डी० एम० सदर, डी०एस०ओ० तथा स्वास्थ्य अधिकारी आटा मिल में गये और स्टाक का निरीक्षण किया उस समय १,०३१ बोरों में से जो कि मिल को दिये गये थे, लगभग २५०बोरा गेहूं खुली हुई हालत में था बाकी पिस चुका था। इस २५० बोरों में १०६ बोरा जो पानी से अधिक प्रभावित था वह भी शामिल है और जो सुखाने के लिये अलग रखा हुआ था । इसके अतिरिक्त ५० बोरा आटा भी रखा हुआ था। स्वास्थ्य अधिकारी के निरीक्षण के बाद उन १०६ बोरा गेहूं और ५० बोरा आटा में से सैम्पुल लिया और उन सैम्पुलों को पब्लिक एनालिस्ट के यहां भेज दिया गया । बाकी गेहूं का स्वास्थ्य अधिकारी ने निरीक्षण तो किया परन्तु कोई सैम्पुल नहीं लिया । जिस आटा व गेहूं का सैम्पुल लिया गया उसका वितरण तथा पीसना बन्द है ।

[श्री हरीदत्त कांडपाल]

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कोई खराब गेहूं न पिसवाया गया और न राशन की दुकानों पर बटवाया गया । जो गेहूं मिल को आटा पीसने के लिये दिया गया था वह इस शर्त पर दिया गया था कि मिल उतनी ही मात्रा में बाहर से आने पर विदेशी गेहूं वापस देगा । उस समय मिल के पास कोई गेहूं नहीं था ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह गेहूं मिल में किसकी आज्ञा से पहुंचा था और किस रूल के अनुसार यह दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

यह रोलर मिल वाले जो आटा पीसते हैं वह पहले गेहूं को भिगोते हैं, फिर उसको स्टीम द्वारा सुखा कर पीसते हैं । यह गेहूं रीजनल फूड कन्ट्रोलर की आज्ञा से दिया गया । वह बिक भी गया और किसी ने उसकी शिकायत नहीं की ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

जो गेहूं का नमूना मैंने माननीय मंत्री जी को दिया था वह गेहूं खाने लायक था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

माननीय सदस्य ने जो सैम्पिल दिया था वह काफी दिनों के बाद दिया था और वह अनफिट फार ह्यूमन कन्जम्पशन था और वह रुका हुआ है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जब सरकार को यह मालूम था कि इतने बोरे गेहूं पानी से प्रभावित था तो वह गेहूं मिल को देने से पूर्व क्या उसकी जांच किसी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करायी गयी थी या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उससे पहले स्वास्थ्य अधिकारी ने कुछ नहीं किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

जब वह गेहूं के बोरे २४ जुलाई को मांगे और २८-२९-३० को पीसने के लिये दिया गया, तो सरकार के पास क्या प्रमाण था कि वह खराब नहीं था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मिल वालों ने उसको देखा, उन्होंने उसको ठीक पाया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मेरी बात का उत्तर नहीं आया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ४-५ दिन तक गेहूं भीगा रहा तो अधिकारियों ने उसकी जांच क्यों नहीं करायी कि वह खराब है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वह तो २५ को पानी बरसा और २७ को निकाल कर दूसरी बिल्डिंग में रख दिया गया और तुरन्त ही मिल वालों को दे दिया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि यह गेहूं कहां पर रखा था; ठीक जगह पर था गया नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह गोदाम में था, मगर बावजूद एहतियात के, पानी जब बरसा तो वहां चला गया ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

जब लोगों ने उसकी शिकायत की तो पिसने से पहले यह जरूरी क्यों नहीं समझा गया कि उसकी जांच करायी जाती ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसा बयान में कहा गया है, पहले जो अच्छा था वह पिस गया और किसी ने उसकी शिकायत नहीं की । उसके बाद मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ ने खराब गेहूं जिसकी शिकायत की गयी थी, उसका सैम्पिल लिया और उसको एनालीसेस के लिये देहली भेज दिया और कहा कि वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ किया जायेगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि गेंहूं ४८ घंटे तक भीगने के बाद ठीक प्रकार से हवा न लगने से इस कदर सड़ जाता है कि वह आदमी के उपयोग लायक नहीं रहता ? अगर यह सत्य है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिसने यह जानकारी होने के बावजूद भी रोलर मिल को वह गेंहूं दे दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसा कि मैंने बताया, उसे भिगो कर ही सुखाते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उसे मिल वाले साइंटफिक प्रोसेस से भीगा कर सुखाते हैं लेकिन जिस तरह से यह गेहूं बोरे में भरा हुआ है दो रोज तक भीगता रहा और जिस कंडीशन में पड़ा रहा, वह मनुष्य के खाने लायक नहीं रहा, क्या यह बात सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दिल्ली से एनालिस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका निर्णय होगा ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या यह सही है कि वहां के जिलाधिकारियों ने इस प्रकार बहुत बड़ी तादाद में चावल और दाल जो इतने दिनों तक पानी में रहने से सड़ गया था उसे बिकवाया और यह १०६ बोरी गेहूं जो भीग गया था जिसे मिल में ही निकाल कर रख लिया गया था, यह खबर मिली कि गंदा गेंहूं पिसा जा रहा है और पबलिक में इसका हल्ला हुआ तब उसे रोका गया ? फिर इसकी क्या गारंटी है कि जो आटा पीसा गया वह ठीक था जब कि किसी सरकारी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी को उसे देखने का मौका ही नहीं मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आटे का नमूना एनालिस्ट के पास भेजा गया है, वह अच्छा था या खराब था, वहां से उसका निर्णय आने के बाद ही इसका फैसला होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी आइन्दा इस बात का खयाल रखेंगे कि हर मिल को जो गेंहू आटा पीसने के लिये दिया जाय उसे पहले कोई सरकारी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण कर लिया करे ताकि कोई खराब चीज उसमें न रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ का काम है ही ।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब मिल वाले गेंहूं को पहले भिगो कर ही फिर उसका आटा पीसते हैं, तो फिर ६०० बोरी सूखा गेंहूं देने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह तो संभवत: इसलिये कि बहुत म्वायस्चर था वह कम हो जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि मिल वाले पहले गेंहूं को साफ करके फिर उसे धोकर सूखने के लिये फैलाते है और तब उसका आटा पीसते हैं, न कि इस तरह से ६ दिन तक भिगो कर और बोरी में बन्द करके उसे पीसते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये छोटी चक्की की बात कर रहे हैं परन्तु वे तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं मैं उनकी ही बात कर रहा हूं कि धोने के बाद ही क्या वे पीसे जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मेरी जो जानकारी है मैं उसे ही कह रहा हूं कि उसी में आटा बनकर निलकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यह तो मंत्री जी कहते हैं कि उस गोदाम में गेंहूं के बोरे थे और बाढ़ का पानी आया जिससे वह खराब हो गया । क्या आर०एफ०सी० कोई ऐसी दवा वगैरह नहीं छिड़कवा सकते थे और दवा छिड़कवाने के बाद उस गेहूं को भिजवाते ? उन्होंने ये एतियाती कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उचित तो यह होता है कि आर० एफ० सी० मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ को भेजते परन्तु आर० एफ० सी० ने तो यह माल बचाने की नीयत से किया था ।

श्री उग्रसेन--

आपने उन्हें दंड क्यों नहीं दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

दंड इसलिये नहीं दिया कि उसमें दूसरी भावना थी कि पब्लिक का पैसा बरबाद न हो ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर० एफ० सी० जिनकी आज्ञा से वह गेंहूं पीसा गया वे चूंकि स्वास्थ्य के बारे में टैक्नीकल आफिसर नहीं थे इसलिये वे सक्षम नहीं थे कि वे गेंहूं पीसने के लिये दे देते । तो उन्होंने जब सड़े हुये या भीगे हुये गेंहूं को, जिस पानी में

सब तरह की गन्दगी होती है, और जो जांच के लिये आपने भेज दिया है, अगर उसमें कोई खराबी ज च निकली तो आप क्या ऐसे अधिकारी के नीयद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उन्हें यह चाहिये था कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच करवाते। पर चूंकि उनकी इसमें नीयत मैला फाईड नहीं है क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि सरकार का पैसा बच जायेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस बात की जांच करवाने के लि ये क्या मंत्री जी तैयार हैं कि जितना गेंहूं वहा पर पीसा गया वह सारा का सारा तीस तारीख के बाद पीसा गया जैसा कि क्लेक्टर ने कहा है ? मैं यह कहता हूं कि जो बयान दिया गया है वह सत्य से परे हैं। क्या इसकी जांच करने के लिये तैयार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे पास जो रिपोर्ट आ ई है उसमें यह है कि तीस तारीख के बाद का सब बन्द है ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास ऐसी कोई व्वयस्था नहीं कि वह आटे की जांच को यहीं करवा सकती और यदि नहीं तो इस बात को देखत हुये कि करोड़ों व्यक्तियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यहां लखनऊ में ऐसी व्वय था है। मैंने तुरन्त भेजा। उसको बीस पच्चीस दिन का अर्सा हो चुका है। बाकी जो अनिफिट फार ह्यूमेन कन्जम्पशन नहीं था वह दि ली भेजा गया है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर ने अपने दोष को छिपाने के लिये, मैलाफाइडी होने की वजह से जल्दी से वह गेहूं मिलों को दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी क्या जांच करायेंगे। भगवान ने ही इतना पानी एकदम बरसा दिया।

श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ में भीगे हुये अनाज पर सुन्दरता लाने के लिये उसमें सेलखड़ी मिला कर बेचा जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब उसका बेचा जाना बन्द कर दिया गया है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार को अपने साधनों से भी इस बात की सूचना मिली कि सड़ा हुआ गेहूं पीसा जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे नोटिस में तो यह बात तब आयी, जब आपने सवाल किया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हम लोगों ने जब तक शोर नहीं मचाया और व्यापारियों ने यह नहीं कहा कि खराब गेहूं पिसवाया जा रहा है, तब तक तक कोई जिला अधिकारी वहां नहीं गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो बयान में ही कहा गया है कि व्यापारियों ने शोर मचाया, तथा डी० एम० आये ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

माननीय मंत्रीजी ने बताया कि मेलाफाइडो तो उनके खिलाफ साबित नहीं होता, तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी में कोई ऐक्शन लेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसको नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी नहीं कहा जा सकता, एरर आफ जजमेंट भले ही हो सकता है ।

विविध विषयों के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने आपको एक प्रश्न नियम ३०१ के अन्तर्गत दिया था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया । मेरा विचार था कि उसको आप आठवीं मद पर ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी इसको देखा नहीं है । देख लूंगा तब बताऊंगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस आदरणीय सदन में मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अनेक बार आरोप लगाये गये हैं । नियम ५२ में भी प्रश्न आये हैं । हमने जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था, उसके उत्तर में वायदा किया गया था कि कार्यवाही की जायगी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसमें जो आरोप लगाये गये हैं वे सैय्यद अली जहीर जी, डाक्टर सीताराम, गिरधारी लाल जी, मुजफ्फर हुसैन जी, राम मूर्ति जी, कांडपाल जी और बनारसीदास जी के खिलाफ हैं। मैंने लिख कर आपको कारण दिये हैं । भिन्न-भिन्न कारणों से इन पर आरोप लगाये गये हैं । आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है । अब सत्र ही शीघ्र समाप्त होने जा रहा है । दूसरे प्रदेश का वातावरण दूषित हो रहा है । ये लोग आरोप ठीक होने की वजह से उनकी जांच नहीं कर रहे हैं । अगर सरकार उनको असत्य समझती है तो उनकी जांच करा कर हमारे सामने रखे । ऐसी स्थिति में प्रदेश का शासन ठीक स्थिति में नहीं चल रहा है । भला जब ऐसी स्थिति हो तो इनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों का मोरेल कैसे ऊंचा हो सकता है, किस प्रकार से वे नान-करप्ट रह सकते हैं ? आप सरकार से कहें कि वह इन सारी बातों की जांच कराये । इस वास्ते ही हमने आपका ध्यान ३०१ के अधीन आकर्षित किया था । आप इस प्रश्न को उक्त नियम में हमें रेज करने की अनुमति दें, क्योंकि इससे गंभीर मामला और कोई नहीं आ सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह आचार संहिता के प्रतिकूल.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे अभी देखा नहीं है, जब तक देख न लूं मैं क्या कह सकता हूं ।

साप्ताहिक कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष--

अब इस सप्ताह का कार्य-क्रम बताया जायगा ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, सदन का इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार से होगा कि ८ तारीख को अर्थात् आज उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार। और ५ बजे सायंकाल-वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण । ९ अगस्त, को, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार जारी एवं उसका पारण । १० अगस्त, को वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के प्रथम, अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। ११ अगस्त को यदि श्री उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा हो जाय, तो उसपर विचार, अथवा दिनांक ९ अगस्त, १९६६ का शेष विधायी कार्य, यदि कोई हो। और १२ अगस्त को असरकारी दिवस होगा।

अवमूल्यन का उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक अवमूल्यन के संबंध में मैंने २ घंटे की बहस स्वीकार की थी, अब उस पर ९ तारीख को २ घंटे चर्चा होगी ।

विविध विषयों के संबंध में जानकारी--(क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

आपने मुझे सदन के कार्यक्रम के बाद बोलने को कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह छितौनी बांध वाला विषय ५ बजे से लिया जाने वाला है इसको बजाय ५ के ४ बजे से ले लें। खादी वाले विधेयक में यह कहीं नहीं है कि आज ही उस पर चर्चा समाप्त होना है, वह कल तक चलता रहेगा ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह आप आपस में बातचीत करके तय कर लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमारे और माननीय नेता विरोधी दल के दस्तखत से मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के बारे में नियम ३०१ के अधीन प्रस्ताव भेजा गया है। उस संबंध में आप की ओर से यह कहा जाता है कि हमने अभी उसे देखा नहीं। हमें इससे बहुत तकलीफ होती है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी इस सदन में, मैंने उसको, नियम को पढ़कर देखा है, आपको तकलीफ होती है, लेकिन मैंने अभी दो दिन पहले परसों या नरसों....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह ऐसा विषय है जिसके बारे में आपकी जानकारी है इस सदन में ही एक बार नहीं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि परसों या नरसों ३०१ के संबंध में जब मैंने यह निर्णय दिया कि उस नियम में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आ सकता है । उसी नियम में आपने फिर प्रश्न उठा दिय । मैंने उस वक्त कहा था कि ३०१ में जिन प्रश्नों को उठाया जा सकता है वह प्रश्न साधारण नियमों के, सदन की कार्य संचालन पद्धति के संबंध में या सदन की कार्य सूची के संबंध में ही प्रश्न उठाया जा कता है । आपने जो प्रश्न उठाया है वह मेरे परसों नरसों के निर्णय की दृष्टि से उसके विरुद्ध मालूम होता है । उस पर माननीय नेता विरोधी दल ने आपत्ति भी की थी, लेकिन उसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया था । आपने इस में क्या लिखा है उसको देखने का आप मुझे समय भी नहीं देना चाहते । दूसरे में आप से स्पष्ट कह दूंकि आपकी तरफ से जब इस संबंध मे बहस होने लगती है तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं सरकार से भी पूछूं कि इन्हें क्या वजाब देना है । आरोप का उत्तर देने का सरकार को अधिकार होना चाहिये तो इस प्रकार से एक बहस पैदा हो जाती है । यह मुनासिब नहीं है । अतः जैसा मैंने निवेदन किया कि जब मैं देख लूंगा तो आपको इजाजत दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, एक नहीं कई बार यहां पर यह चर्चा का विषय रहा और माननीया मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिये कि मैं जांच कराऊंगी, अफसरों को नियुक्त करूंगी, लेकिन आज तक भी ऐसी कोई कमेटी की घोषणा नहीं हुयी । अगर ऐसा किया गया होता तो मैं मान लेता कि आरोपों का निराकरण होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखते हुये भी निवेदन करता हूं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि उनको करना चाहिये, लेकिन उस विषय को हम किस नियम के अनुसार सदन के सामने लें, उसको हमें सोचना है । आप कहते हैं कि आपको तकलीफ होती है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, जालौन जिले के काल्पी शहर में थाने के पास में ही दिन दहाड़े एक कत्ल हुआ है । उसके संबंध में मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसे माननीय मंत्री जी के पास भिजवाकर उस पर एक वक्तव्य दिलाने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष—

वे कतिपय स्वतंत्र पार्टी के उप नेता हैं और उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि नियम ५२ के अन्तर्गत एक बात स्वीकार हो गयी और अगर इस संबंध में मैं कहीं पर गल्ती कर गया हूं तो जैसा मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि वे यदि ऐसा हो तो, मुझ से मिल लें । माननीय सुखदेव जी आये थे तो बाद में आप भी आ सकते थे ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने जो बात अभी कही है, उस पर आपने व्वयस्था दी है कि आप उसका लिखी बात देख लेंगे तभी निर्णय देंगे । हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं । मुझे आशा है कि आप भी महसूस करते होंगे कि जब गंभीर आरोप किसी मंत्रि मंडल के सदस्य के विरुद्ध लगाये गये हों, और उसके स्पष्ट प्रमाण दिये गये

हों और जब कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया हो कि वह जांच कराकर सूचित करेंगीं, तो आप ऐसी व्वयस्था करें कि सरकार इन आरोपों का स्पष्टीकरण दे । इसको टालते रहना, मेरी राय में, उचित नहीं है । इसमें सरकार की ही प्रतिष्ठा और साख गिरती है ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६*

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मद संख्या १० में जो यह दिया हुआ है कि मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह एक धन विधेयक है और वह इसलिये है क्योंकि इसके उद्देश्य और कारणों (ज्ञापन) में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० में प्रस्तावित संशोधन के उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश, कानपुर के स्थान पर वर्तमान उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अपने कार्यक्रमों को स्वयं कार्यान्वित करेगा । उक्त प्रयोजनों के लिये बोर्ड को आवश्यक कर्मचारिवर्ग की जरूरत होगी जो इस समय उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग का स्थानान्तरण करके उपलब्ध किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

ज्ञापन जो दिया है ?

श्री कमलासिंह यादव---

हां उसी के बाद ।

श्री अध्यक्ष---

मैं पढ़ दूं । उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० में प्रस्तावित संशोधन से उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर के स्थान पर वर्तमान उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अपने कार्यक्रमों को स्वयं कार्यान्वित करेगा । उक्त प्रयोजन के लिये बोर्ड को आवश्यक कर्मचारिवर्ग की जरूरत होगी जो इस समय उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग का स्थानांतरण करके उपलब्ध किया जा सकता है । प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप बोर्ड को अपनी योजनायें कार्यान्वित करने के संबंध में आवश्यक व्ययों को पूरा करने के लिये उसे ६०, ५४,४०० रुपये का आवर्तक अनुदान देना होगा । उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश, कानपुर के बजट में तदनुरूप कटौती कर दी जायेगी ।

अनुच्छेद १९९ में धन विधेयक की व्यवस्था है.....

श्री कमलासिंह यादव---

मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

आप कहते हैं कि धन विधेयक है तो उसकी कल्पना हमारे सामने आ जाय कि किसे धन विधेयक कहते हैं ।

---

*५ अगस्त, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कमलासिंह यादव--

पहले श्रीमन्, मैं कह दूं।

सब से पहली बात यह है कि ज्ञापन-पत्र इसमें दिया गया है और उसमें कर्मचारिवर्ग का अप्वाइंटमेंट होगा और साथ ही जहां तक कर्मचारियों के उपलब्ध होने का सवाल है उन्होंने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक के कार्यालय के कुछ लोगों का स्थानान्तण करेंगे । तो इनका ट्रांसफर करने के बाद भी हो सकता है कि कुछ कर्मचारी और ऐसे होंगें जिनकी जरूरत हमें होगी । तो उस वक्त जब कर्मचारियों के अप्वाइंटमेंट का सवाल आयेगा तो उस वक्त उसके लिये हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी और जिसके लिये इसमें साफ दिया गया है कि आवर्तक अनुदान स्वीकृत होगा जो कि ६०,५४,४०० रुपये के करीब होगा और यह भी कह रहे हैं कि उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर के बजट में तदनुरूप कटौती कर दी जायगी ।

अब जहां तक अनुच्छेद १९९ का सवाल है वह इस प्रकार है :

"199(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :

(*a*) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax,"

श्री अध्यक्ष--

देखिये आप के बगल में कुंवर साहब बैठे हुए हैं, आप हिन्दी का विधेयक निकाल लीजिये । और अगर कुंवर साहब अंग्रेजी को बरदाश्त करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं हिन्दी में पढ़े देता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं हिन्दी में पढ़ रहा हूं श्रीमन्, अनुच्छेद १९९ के (ख) में यह दिया गया है--(माननीय सदस्य द्वारा अधिक तेज पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं धीरे-धीरे पढ़ दूं ताकि सब की समझ में आ जाय ।

"(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये या लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों (आबलीगेशन्स) से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का विनियमन....." अब किस में आप कहते हैं कि आता है ?

श्री कमलासिंह यादव--

अब आप बतला दें कि आपकी राय क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे क्षमा करें।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने 'ख' में यह पढ़ा "राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूतति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियम ।" तो जहां तक फाइनेन्शियल एप्लिकेशन का ताल्लुक है वह अंडरटेकिंग लेनी होगी ।

'ग' में यह दिया हुआ है कि, "राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उस में से धन निकलना ।"

'ङ' तथा 'छ' में भी यह आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

ज्ञापन में आप देखें यह लिखा हुआ है '६०,५४,४०० रुपये का आवर्तक अनुदान देना होगा । उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर के बजट में तदनुरूप कटौती कर दी जायगी ।" उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ में आप देखेंगे कि २० धाराओं तथा उपसंहार में यह लिखा हुआ है कि इसकी व्यवस्था के लिये इतना रुपया खर्च हुआ है । १९९ में एक शब्द है जिसको कृपा करके आप ध्यान में रखें तो परेशनी नहीं होगी । १९९ की तीसरी पंक्ति में यह है कि "संबंध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट ह ।" तो जो बातें १९९ के 'क' से ले कर 'छ' तक दी हुई हैं वही धन विधेयक होंगे और अगर दूसरी बातें भी हों तो वह धन विधेयक नहीं हो सकता । तो आप धन विधेयक न कह कर फाइनेंशियल बिल कहते, तब आपका आर्ग्यूमेंट ठीक हो जाता, लेकिन धन विधेयक कहते हैं तो उसमें "ही" शब्द बाधक होता है ।

श्री कमलासिंह यादव--

अंग्रेजी में यह दिया हुआ है--

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :"

श्री अध्यक्ष--

"ओनली" ही खास फैक्टर है ।

फाइनेंशियल बिल और मनी मिल में अन्तर यह होता है कि फायनेन्शियल बिल में "ओनली" नहीं है "आर" भी है और मनी बिल में "ओनली" है । फाइनेन्शियल बिल में ८ चीजों के अतिरिक्त और भी बातें हो सकती हैं । तो आपका आर्गूमेंट फैल हो जाता है ।

श्री कमला सिंह यादव--

आर्गूमेंट मेरा फेल नहीं होता है । आप टुइस्ट इतना कर रहे हैं कि . . . .

श्री अध्यक्ष--

अच्छा तो आपको जो कुछ कहना हो कह दीजिये तीन मिनट में ।

श्री कमलासिंह यादव--

इस अध्याय में कोई भी विधेयक धन विधेयक समझा जायगा यदि इसमें निम्नलिखित विषयों में से. . . .

श्री अध्यक्ष--

वह तो ठीक है ।

श्री कमलासिंह यादव--

तो इतना तो आप मानते हैं । अब आवर्तक अनुदान जो देना होगा वह तो कंसालिडेटेड फंड से ही रुपया आता है । तो उससे जो संबंधित धन हो वह मनी बिल में आ जाता है । इसका चूंकि उससे डायरेक्ट संबंध है इसलिये यह मनी बिल है । दूसरे, जो सदन में इंट्रोड्यूस किया गया है वह है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

[श्री कमलासिंह यादव]

और आज यह नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ। गवर्नर ने तो ओरिजिनल बिल के लिये रेकमेंडेशन भेजी है। जो विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है उसके लिये तो उनकी रेकमेंडेशन है नहीं। इसके अलावा ओरिजिनल बिल और जो परिषद् द्वारा पारित हुआ है, इन दोनों में काफी भिन्नता है, उसमें बहुत से संशोधन लाये गये हैं। संविधान की धारा १९८ के मुताबिक किसी भी धन विधेयक को पहले असेम्बली में इंट्रोड्यूस होना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

पहले यह तय तो हो जाय कि यह मनी बिल है तब न ये सब बातें लागू होंगी ?

श्री कमलासिंह यादव---

तो विधान परिषद् में मनी बिल पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---

यह सब बहस तो मैं आपकी मानता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज यह जो विवाद माननीय कमलासिंह जी उठा रहे हैं, यह असेम्बली के लिये कोई नया नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न आये हैं और उस पर श्रीमान् की रूलिंग हो चुकी है। इसमें कोई शंका नहीं है कि मनी बिल उसको कहा जाता है जिसमें कंसालिडेटेड फंड से गवर्नमेंट कुछ खर्च करती है। लेकिन यदि बजट में कंसालिडेटेड फंड में किसी जगह कोई प्राविजन हो और उसमें से थोड़ा-सा हम ट्रांसफर करें किसी दूसरे हेड में तो वह कंसालिडेटेड फंड से एक्सपेंडीचर नहीं माना जाता है। जैसा कि आप देखेंगे, इस विधेयक में लिखा है कि जो ६० लाख रुपया है वह उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर के बजट से लिया जायगा। इसका मतलब यह है कि कंसोलिडेटेड फंड से रुपया नहीं निकाला जा रहा है बल्कि कानपुर में औद्योगिक निदेशक हैं उनके बजट में रुपया भेज चुके हैं और उसको ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसलिये यह मनी बिल नहीं हुआ। माननीय कमला सिंह जी हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह बात नहीं आती है। अगर वह अन्तरउ समझ जायें तो सारी लीगल पोजीशन उनकी समझ में आ जायगी।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं तो इतनी विद्वतापूर्ण बहस में नहीं जाऊंगा। केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरी तुच्छ बुद्धि में १९९ का अभिप्राय यह है कि जिस विधेयक में केवल अनुच्छेद १९९ के उन खंडों के अतिरिक्त कोई और प्राविधान न हो और वह चाहे एक खंड से संबंधित हो, चाहे सारे खंडों से संबंधित हो, वह धन विधेयक होगा। यदि इसके अतिरिक्त और कोई प्राविधान हो तो धन विधेयक नहीं होगा। यह धन विधेयक नहीं है। जितनी आपकी बहस है वह जो विधेयक हमारे सामने है उस पर लागू नहीं होती है। रहा यह कि आपने एक बात कही कि राज्यपाल ने स्वीकृति कसे भेजी है। वह फाइनेंस बिल पर भी आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) के अनुसार "... मैं, विश्वनाथ दास, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, सिफारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक १९६६ पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में विचार किया जाय।" इन शब्दों में सिफारिश है।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, इसमें जो मैंने आपके सामने रखा है, यह कहा है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार करने के लिये सिफारिश की है। यह

नहीं लिखा कि जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है। उसमें वहां अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। तो जिस रूप में यहां पर रखा गया है वह भिन्न है इस संशोधन विधेयक से। इसलिये जब तक इसके बारे में रिकमेंडेशन न हो यह सदन में नहीं लाया जा सकता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि जैसी कि माननीय कमला सिंह जी ने बहस पेश की है वह अपनी जगह पर सही है। जो माननीय राज्यपाल महोदय ने सिफारिश की है वह ओरीजिनल बिल के लिये की है और उसकी शक्ल विधान परिषद् में बदल गई है। तब्दील की हुई शक्ल में यह बिल पेश किया गया है। इसके लिये राज्यपाल महोदय ने सिफारिश नहीं की, इसलिये आज यह नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---

मुझे इतना ही निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय किसी भी विधेयक, जो वित्तीय विधेयक है उस संबंध में अपनी अनुमति देते हैं कि उस पर विचार किया जाय। उन्होंने अनुमति दे दी। जिस बिल की अनुमति दी है उस बिल का नाम है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६। यह शब्द "जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है" केवल हमारी सूचना के लिये हैं। हम विचार करने जा रहे हैं जिस रूप में यह आया है। आप को सूचना दी गई है विचार विधान परिषद् ने कर लिया है। आप भी विचार कर लीजिये। अतः दुबारा इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आप कहेंगे, जब यहां पर विचार हो और उसमें संशोधन हों तो संशोधन फिर राज्यपाल के पास अनुमति के लिये जायं, यह नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---

यदि वित्तीय विधेयक में जिसके संबंध में राज्यपाल की अनुमति हो गयी उसमें संशोधन हों, उसमें तब्दीलियां हों, तो संशोधन का कोई प्रभाव उनकी अनुमति पर नहीं पड़ता। अतः हम आपकी आपत्तियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं इसका विरोध करता हूं, आज जिसकी प्रतियां मिली हैं, पहले हमें नहीं मिली थीं।

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता---

यह शुक्रवार को रख दिया गया था।

श्री कमलासिंह यादव---

लेकिन यह तो सदन उठने के बाद रखा गया था, इसकी प्रतियां हमें मिली नहीं। इस संबंध में मैं आपक ध्यान नियम १३० के परन्तुक की तरफ दिलाना चाहता हूं, उसमें दिया है--- "किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों, और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।" तो श्रीमन्, यह अधिकार हमारा है कि ३ दिन पहले इसकी प्रतियां हमें मिलनी चाहिये। शुक्रवार को आप कह रहे हैं, लेकिन यह उस दिन हमें मिला नहीं था, आज पहले पहल हम इसे पा रहे हैं। ३ दिन पूर्व न मिलने के कारण हम लोग इसके लिये कोई संशोधन वगैरह नहीं दे सके हैं।

एक बात और आप श्रीमन्, देखें कि जितने संशोधन आये हैं, उसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। इसमें यह किसी संशोधन में नहीं दिया गया है कि "जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।" इससे यह भी मालूम पड़ता है कि जिन लोगों ने संशोधन दिया है वह उन्होंने पुराने बिल पर दिया है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप बैठ जाइये। यह शुक्रवार (५ अगस्त) को आपके एजेंडे में रखा गया था। आप कार्यवृत्त को देखें, उसमें लिखा है "समिति अधिकारी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की मेज पर रखा। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि इस विधेयक को ८ अगस्त, १९६६ को लिया जायगा।"

अब किसी माननीय सदस्यों को उसकी प्रति प्राप्त हुई या नहीं हुई, इसका कोई इलाज नहीं है। वह मिल गई होगी जब कि तकसीम हो गयी।

श्री कमलासिंह यादव---

इतनी अधिक गलत अगर सदन की कार्यवाही होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मैंने आज सुबह ही पूछा था कि सोमवार को क्या कार्यवाही होगी। आपके जाने के बाद यदि कोई इस तरह की घोषणा करे तो मैं नहीं समझता वह कहां तक उचित और न्यायोचित है।

श्री अधिष्ठाता---

नियत समय उसके लिये मिल जाना चाहिये। जब तक सदन की कार्यवाही चलती है, उस समय तक यदि कोई चीज सदन के सामने रखी जाती है तो वह मानी जायेगी कि समय पर वह रख दी गई। इसलिये इसे सदन में रखा गया था और इस पर सदन की अनुमति मिल गई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि यह बिल ८ तारीख को लिया जायेगा। आपने यह कह दिया कि चूंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की इसलिये यह मान लिया जाये कि प्रतियां मिल गईं। तो इस तरह की आपकी व्यवस्था तो सदन के लिये बहुत घातक होगी। जैसा नियम में लिखा है ३ दिन पहले मिलना चाहिये---आपकी व्यवस्था से इस पर आघात होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की घोषणा करने के बाद भी हमें प्रतियां मिलनी चाहिये या नहीं यह भी तो आपको देखना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय केशरी प्रसाद जी, मैंने स्वयं आज सुबह देखा अपनी फाइल में तो यह बिल था, और जब एक बार माननीय अध्यक्ष ने इसे नियमित घोषित कर दिया तो यह नियमित हो गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

तो यह बात कैसे आपने कह दी कि उपाध्यक्ष के घोषणा मात्र से ही यह मान लिया जाना चाहिये कि प्रतियां वितरित हो गयीं ।

श्री अधिष्ठाता---

उन्होंने घोषणा भी की और मिल भी गया ।

श्री कृष्णानन्द राय---

तीन तीन बार पढ़ने के बाद भी पांडेय जी अगर न समझें तो क्या किया जा सकता है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, मैं इनकी अक्ल से तो काम करूंगा नहीं, मैं तो अपनी अक्ल से ही समझूंगा । इनकी अक्ल तो गाजीपुर तक ही है ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, यह वित्तीय विधेयक जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, मैंने सदन के समक्ष रखा है । ६ साल से बोर्ड कार्य कर रहा था और बोर्ड और खादी कमीशन ने यह अनुभव किया कि उसके कार्य संचालन में कठिनाई आती है । सबसे बड़ी कठिनाई जो उनको अनुभव हुई वह यह कि नीति तो खादी कमीशन बनाता था परन्तु उसको सम्पादित करता था उद्योग विभाग । कमीशन का कहना था कि इसमें बड़ी अड़चनें पड़ती हैं । जो नीति बनायें उसी के अधिकारियों द्वारा उसका सम्पादन भी होना चाहिये, काम करने वाले और, और काम लेने वाले और, इसमें देरी होती है । तो जो सब से बड़ा संशोधन इसमें है धारा १४ को निकाल कर वह यही है कि इसमें अब नीतियों के सम्पादन का कार्य भी खादी बोर्ड को ही दिया है । कमीशन की यह भी शिफारिश थी कि खादी बोर्ड मद्रास में जो बना है उसके पैटर्न पर हम अपना खादी बोर्ड बनायें । सरकार ने उस सिफारिश को माना और उसके परामर्श से ही यह विधेयक इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया ।

अब बोर्ड अपने कर्त्तव्य अपने आप करेगा, अपने कर्मचारियों की नियुक्तियां वह अपने आप करेगा और उन्हीं के द्वारा कार्य सम्पादन होगा । इस बोर्ड का गठन इस तरह से है:---माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार इस बोर्ड के सभापति होंगे । उपसभापति गैरसरकारी सदस्यों में से होंगे जो आयोग की सिफारिश पर उनके परामर्श से होंगे । उद्योग उप मंत्री साधारण सदस्य होंगे, ५ सदस्य सरकारी होंगे ।

अब तक इसमें था सरकारी सदस्य पद और नाम से होते थे लेकिन कभी-कभी पद बदल जाते हैं या सरकारी अफसरों की तब्दीली हो जाती है तो कठिनाई होती है । लेकिन इसमें अब यह दिया है कि सरकारी ५ सदस्य होंगे जिनको सरकार मनोनीत करेगी । ७ से कम नहीं, और ९ से ज्यादा नहीं, गैरसरकारी सदस्य होंगे जो सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ।

उप सभापति का कार्यकाल ३ साल रखा गया है जैसा पहले था । उप सभापति का कार्यकाल भी उतना ही होगा जितना सब सदस्यों का । अभी तक इसमें यह प्रतिबन्ध था कि जो बोर्ड का सदस्य दो बार लगातार रह चुका हो वह फिर तिबारा मनोनीत नहीं किया जा सकता । अब यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है । कभी कभी यह देखा गया कि वह सज्जन जिनको बहुत अनुभव होता है, बहुत दिलचस्पी लेते हैं और यह लाजिमी समझा जाता है कि उनको बोर्ड का सदस्य रहना चाहिये और उनके सदस्य रहने पर बोर्ड को लाभ होगा । इसलिये इस प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है । सरकार को अधिकार होगा कि वह ऐसे सदस्य को मनोनीत तिबारा भी कर सकती है जिनको दो टर्म तक कार्य करते हो गया ।

इस में एक परिवर्तन यह किया गया है कि अभी तक इस बोर्ड का हैड क्वार्टर, मुख्य कार्यालय कानपुर होता था । अब यह कार्यालय दूसरी जगह भी हो सकता है किन्तु जब तक गजट में

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

न निकाल दिया जाय तब तक इसका कार्यालय कानपुर में ही रहेगा।

इसकी मूल धारा १० में एक संशोधन इसमें यह किया गया है कि इसके सचिव और लेखाधिकारी को बोर्ड के परामर्श से नियुक्त किया जायगा। नियुक्त सरकार करेगी लेकिन बोर्ड से परामर्श ले लेगी। आवश्यक इसलिये समझा गया है कि ये मुख्य अधिकारी हैं, बोर्ड का कार्य करेंगे तो ये बोर्ड के परामर्श से नियुक्त होंगे क्योंकि इसमें पैसा जनता का लगा हुआ है इसलिये जरूरी समझा गया कि थोड़ा सा कंट्रोल सरकार का हो। इसमें एक नई धारा २५ यह भी रखी गई है कि १ हजार रुपया तक एक मामले में और १० हजार तक कुल वित्तीय वर्ष में बोर्ड को अधिकार होगा कि वह बट्टे-खाते में डाल सकता है। अभी तक ऐसा कोई प्राविजन इसमें नहीं था। जब धन किसी तरह से वसूल होता न दीखे और मजबूरी हो जाय उसके वसूल करने में तो बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह एक मामले में एक हजार रुपये तक और पूरे वित्तीय वर्ष में १० हजार रुपये तक बट्टे-खाते डाल सकता है। वसूलयाबी में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। जो धन कर्जे पर दिया उसके वसूल करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। इसलिये इसमें यह प्राविजन किया गया है कि उस कर्जे की रकम को मालगुजारी की तरह से वसूल किया जा सकता है। और साधन हैं वह तो प्रयोग में आयेंगे ही, लेकिन यदि यह आवश्यक समझा जाय तो मालगुजारी की तरह उसको वसूल करने का अधिकार इसमें दिया गया है। इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। कुल ये संशोधन हैं जो मद्रास के अनुरूप हैं। मुझे विश्वास है सदन इन पर विचार करेगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे।

जो कारण मंत्री जी ने बतलाये हैं वह कारण इसके उद्देश्य और कारणों में नहीं दिये गये हैं। एक कारण बतलाया गया है कि यह जो खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड था यह सेन्ट्रल खादी बोर्ड की पालिसी से निर्मित था। यह कारण, इसके कारण और उद्देश्य में नहीं बतलाये गये हैं। इसके साथ साथ अगर धारा १४ ओरिजिनल ऐक्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि यह एक स्वतन्त्र बोर्ड था। यह सेन्ट्रल खादी बोर्ड की नीति से कोई संबंध नहीं रखता था। आप धारा १४ को देखें जिस में है कि बोर्ड अपने द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का कार्यान्वयन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उस के लिये प्रविष्ट धनराशियों का उपयोग उद्योग संचालक उत्तर प्रदेश के माध्यम से करेगा। अब इस में यह बात कहीं नहीं आती है कि यह बोर्ड उन के आदेश से संचालित होता था। यह बोर्ड स्वयं को एक निश्चित अधिनियम के भीतर रह कर अपना काम चलाता था। जिस समय यह अधिनियम आया था उस समय यह कहा गया था कि इस का उद्देश्य केवल यह है कि चूंकि सेंटर में एक स्टेट्यूटरी बोर्ड कायम कर दिया गया है इसलिये यहां के लिये यह आश्वयक है। उस का एक विकल्प यहां भी कायम कर दिया जाय यह भावना उस समय थी। इसके साथ साथ और भी उसके उद्देश्य और कारण थे। मुझे खादी बोर्ड बनने से अथवा खादी से अश्रद्धा नहीं है, लेकिन इस ओरीजिनल ऐक्ट को लाने के लिये कोई यह भावना नहीं थी कि इससे खादी का विकास होगा अथवा उसका उत्पादन बढ़ेगा। जो संस्थायें पहले स्वचालित थीं, निजी काम कर रही थीं वह इस से पहले अच्छा काम कर रही थीं। उनका सरकारी करण करने के बाद जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, उतना काम भी नहीं हो सका। उस समय यह बहस हुई थी कि इस का सरकारीकरण क्यों किया जाय। जो संस्थायें त्याग और बलिदान के बल पर इस खादी को प्रोत्साहन देती थीं उनको क्रिपिल कर दिया गया। स्वयं सरकार ने अपने माथे पर यह बर्डन लिया और जैसा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस संशोधन से पता चलेगा कि अभी ६ वर्ष ही हुए हैं, खादी बोर्ड के दो टर्म भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसके पहले ही यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ गयी। यह भी पता नहीं चलता कि सरकारी काम में कोई खराबी थी। यह डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित होता था। यदि वे काम नहीं कर पाते थे तो उनके स्थान पर कोई दूसरा सरकारी अधिकारी नियत किया जा सकता था। आपने इस में मद्रास का पैटर्न रखा है, लेकिन इस संशोधन विधेयक को देख कर पता चलता है कि इसका सरकारीकरण न कर के मंत्रीकरण किया गया है। अभी ३०१ में एक सवाल उठाया गया था। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है कि जिस के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई न कोई मामला न हो, लेकिन आप एक दायित्व और लेना चाहते हैं। यह किस लिये इस को मैं बताता हूं। सन् ६७ का चुनाव आने वाला है। अभी तक तो डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के अधिकार में वह कर्मचारी हैं, लेकिन अब वे मंत्री जी के अधिकार में होंगे। अधिष्ठाता महोदय, आपने यह भी सुना होगा कि अभी जो एम० एल० सी० के चुनाव हुए हैं उन पर लोगों में बड़ा अविश्वास है। उन का विचार है कि उसमें मंत्रियों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। तो अब यह नया संशोधन जो ला रहे हैं चुनाव के पूर्व, उसका यही कारण है कि अब वह मंत्रीकरण करना चाहते हैं--अधिकारीकरण नहीं रखना चाहते। इतना ही नहीं, वह डिमोक्रैसी का ढोल पीटते हैं। उद्योग को मनोनीत सदस्यों द्वारा संचालन कराना चाहते हैं। जहां कराया जा सकता था सदन से, वहां यह भी नहीं कहा गया है कि सरकार किस को रखेगी। पहले यह कहा गया था कि जो लोग विशेष रूप से संबंधित हों वही रखे जायेंगे। अधिकारियों के विषय में एक तर्क दिया गया कि वह अधिकारी ट्रांस्फर हो जायगा इस वजह से एक्स-आफिशियो नहीं रखेंगे बल्कि मनोनीत करें। इसमें भी हम वही तर्क देते हैं कि जो व्यक्ति मंत्री महोदय के होंगे, जिनपर वह इनफ्लुएंस डाल सकते हैं उनको मनोनीत कराया जायगा। उस एक्स आफिशियो में तो पता नहीं किस प्रकार के व्यक्ति होंगे ? ५ अधिकारी जो पहले रखे गये थे वह वही लोग थे जो इंडस्ट्री से संबंधित थे और वह चाहे वित्त सचिव, उद्योग सचिव, उद्योग संचालक, विकास आयुक्त और सहकारी समितियों से संबंधित आयुक्त अब उसको खत्म करके उन्होंने कहा कि ५ सरकारी आफिसर रख दिये जायेंगे। तो हमारा तर्क यह है कि इससे उसी तर्क को बल मिलता है कि सारे के सारे मनोनीत करने हैं--चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी।

दूसरा संशोधन जो उसमें लाया गया है वह १० हजार रुपये को बट्टे खाते में डालना है। १०,००० रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। यह भी अधिकार बोर्ड को नहीं देना चाहिये। अगर कोई ऐसे सरकमस्टैंसेज पड़ जाय जिसमें किसी कारणवश वसूली नहीं हो सकती है तो उन अधिकारियों का दायित्व होता है कि क्यों ऐसे लोगों को दिया गया जिससे वह बट्टे-खाते में जाय। उसकी सिक्योरिटी होती है, क्या वह ऐसे ही लोगों को धन दे दिया जाय जिन से वसूली न हो सके।

एक संशोधन उपसभापति का था, जो पहले में नहीं था कि वह एक गैर सरकारी होगा और अध्यक्ष या सभापति के न रहने पर सभापति का काम करेगा, वह भी गैर सरकारी रखा गया। कार्यालय के लिये अभी तो कानपुर रखा गया है, लेकिन कहीं भी रख सकते हैं। यह तो जब सभापति या अध्यक्ष चुने जायेंगे तो अपनी सुविधानुकूल कहीं रख सकते हैं, लेकिन यह नहीं रखा गया कि कहां होगा। तो इस प्रकार से ६ वर्षों में ही विशेष त्रुटियां न बता करके यह कह देना कि "बोर्ड की अपनी योजनाओं को, उद्योग निदेशक के अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित कराने के बजाय स्वयं कार्यान्वित करना चाहिये।" क्यों स्वयं करना चाहते हैं, क्या विशेषताएं मंत्री महोदय में हो जायंगी जिनकी वजह से ज्यादा अच्छी तरह से चलेगा और उनके न रहने पर न चलेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं की गयी है। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी प्रवर समिति में भेजने वाले संशोधन को स्वीकार कर लें ताकि इसमें जो त्रुटियां हैं, वे दूर हो सकें और एक पूर्ण विधेयक के रूप में यह यहां आ सकें, वरना आज मद्रास के पैटर्न पर आप यह विधेयक लाये हैं कल आप पंजाब के पैटर्न पर लायेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

श्रीमन्, इस विधेयक को देखने से और माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को सुनने से यह प्रतीत होता है कि इससे बोर्ड के कार्यों में कुछ सुधार हो सकेगा और वहां कुछ अधिक कार्य हो सकेगा, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस विधेयक द्वारा खादी बोर्ड का सरकारीकरण किया जा रहा है। यह भी अन्य सरकारी विभागों की भांति एक विभाग बन जायेगा। डाइरेक्टर सरकार के अधीन न होते हुये भी इनडाइरेक्टली वह सरकार के ही अधीन रहेगा। इससे बोर्ड को कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह सही है कि बोर्ड की जिस प्रकार की वर्किंग रही है, उसमें कुछ कठिनाइयां रही हैं और उनको दूर किया जाना आवश्यक था, किन्तु जिस प्रकार का यह विधेयक आया है, उससे यह परिलक्षित नहीं होता कि उससे बोर्ड में कुछ सुधार हो पायेगा। खादी उद्योग ऐसा उद्योग था जिसको महत्मा गांधी के समय में सारे देश में व्यापक सहयोग मिला, घर घर में खादी का प्रचार हुआ और लोगों के मन में खादी के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। खादी के प्रति जो श्रद्धा लोगों में थी आज वह खत्म होती जा रही है। लोगों में खादी के प्रति उस उत्साह और श्रद्धा को बढ़ाने के लिये यदि सरकार कोई विधेयक लाती या इसमें ऐसा संशोधन लाती तो उसका सारे सदन में स्वागत किया जाता, उत्तम भावनाओं की पूर्ति हेतु इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस पर कोई प्रकाश डाला है कि किस प्रकार हम खादी के काम को बढ़ायेंगे।

मैं सदन का ध्यान उन संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको इस बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस समय कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो यह जांच कर सके कि उन संस्थाओं को बोर्ड द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसका सही उपयोग होता भी है या नहीं अथवा कहां उसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि इस विधेयक में उसके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की होती तो हर माननीय सदस्य उसका स्वागत करता। आज अनेकों संस्थाओं द्वारा उस अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्रीमन्, ऋण या अनुदान, बोर्ड द्वारा संस्थाओं को दिया जाता है, उसमें से जितना अनुदान का धन होता है उसको लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो लोन के रूप में होता है उसको वह निश्चित समय के बाद दो या तीन साल के बाद फिर वापस कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो उद्देश्य संस्था का है जितना रुपया खर्च करके उस कार्य को चलाया जा सकता है, वह पूरा नहीं होता, जो अनुदान का पैसा होता है उसका मिसयूज होता है, सही माने में उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता।

इस संबंध में एक बात और यह है कि बोर्ड के पास अपने टेक्निकल साधनों का न होना भी इसकी एक वजह है। जो संस्थायें पैसा लेती हैं उनके पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं होते। जिस कार्य के लिये पैसा दिया जाता है वह नान टैक्निकल हैंड के द्वारा किया जाता है उनके पास ऐसे कभी कभी ट्रेंड आदमी नहीं होते जो उस पैसे का सही उपयोग कर सके। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जहां अन्य तमाम बातों की खानापूरी आप कराते हैं वहां इस बात को भी देखा जाय कि जिस कार्य के लिये किसी को पैसा दिया जाय, उसको चलाने के लिये उसके पास क्या साधन हैं या बोर्ड के पास क्या साधन हैं जिनसे वह सहायता कर सकते हैं। इस बात की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से जरूर होनी चाहिये कि जो उद्योग चलाया जाय, जिसके लिये पैसा खर्च किया जाता है, उसके लिये टेक्निकल हैंड्स काफी हों। इसके लिये यह हो सकता है कि आल इंडिया बेसिस पर और अन्य जगहों पर भी संस्थाओं की तरफ से ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि जो छोटी-मोटी संस्थायें हैं उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वे अपने वर्कर्स को इस तरह की ट्रेनिंग के लिये बाहर भेज सकें। इसके लिये बोर्ड को चाहिये कि वे स्वयं स बात की व्यवस्था करें कि संस्थायें इतनी सक्षम हों कि वे

ट्रेड हैंड्स तैयार करें ताकि जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है उनको इस तरह के आदमी मिल सकें । इस संबंध में भी अगर सरकार ने कोई कदम उठाया होता तो मैं समझता हूं कि वह एक ऐसा कदम होता, जिससे जिस भावना को लेकर यह विधेयक आया है और जिस भावना को लेकर इस बोर्ड का संगठन हुआ है आगे बढ़ सकने में सक्षम हो सकता था । खादी बोर्ड का मतलब जैसा कि मैं समझ पाया हूं वह यह है कि केन्द्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर जो संस्थायें व्यक्तिगत रूप से जहां जहां खादी के काम में और छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के कार्य में लगी हों, उनको सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाय, कुछ सहायता दी जाय ताकि वे संस्थायें छोटे-छोटे उद्योगों के आगे बढ़ा सकें और उनके सहायता मिल सके । इसी उद्देश्य से ये चलायी गयी थीं । लेकिन आज आप देखें कि जितना धन संस्थाओं को दिया गया है, उनमें से कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस ओर काफी काम किया है, किन्तु यह मैं दावे के साथ जरूर कहूंगा कि कम से कम ५० फी सदी ऐसी संस्थायें जरूर हैं जिन्हें जिस कार्य के लिये पैसा दिया गया था वे उस पैसे को उस कार्य में यूटिलाइज नहीं कर सकीं हैं और न उन्हें इसमें कोई सफलता ही मिल सकी । इसकी वजह यह हो सकती है कि उनके पास टेक्निकल आदमी न हों, कुछ भावनाओं की वजह से और कुछ ज्यादा छानबीन न होने की वजह से भी ये सब कठिनाइयां रही हों । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन भावनाओं को उन्हें समझना चाहिये । आज जरूरत इस बात की है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बोर्ड का गठन किया गया है और जिस भावना से किया गया है उसको हम कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं । यह जो संशोधन लाया गया है यह काफी नहीं है । ऐसी दशा में जरूरी यह है कि हम इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि वह देख सके कि जो खामियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं । जब यह विधेयक संशोधित रूप में सदन के सामने आवेगा तब हम उस पर नये सिरे से विचार कर सकेंगे और उससे बोर्ड को भी लाभ होगा, खादी का काम भी बढ़ सकेगा तथा जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा होगा । सरकार तथा बोर्ड जिस भावना से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के पक्ष में है इससे उसमें भी हमको हैल्प मिलेगी और हम आगे बढ़ सकेंगे ।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हो सकता है कि सरकार यह कहे कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम बोर्ड के लिये एक नया स्टाफ प्रोवाइड कर सकें । इसके लिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में जो क्षेत्र समितियां हैं, ये बोर्ड का माध्यम हो सकती हैं ; इन्डस्ट्रीज आफिसर के थ्रू या एकाध आदमी की रिकमैन्डेशन पर पैसा देना उचित नहीं । यदि इन क्षेत्र समितियों के माध्यम से लोन दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इनके द्वारा, जो कुछ अंधेरे में रक्खा जाता है, वह सभी बातें प्रकाश में आ सकेंगी कि जो संस्था लोन ले रही हैं वे संस्थायें वास्तव में हैं भी या नहीं और कार्य हो भी रहे हैं या नहीं या जिस आदमी को यह लोन दिया जा रहा है वह कुछ काम कर भी रहा है या नहीं । इसके अतिक्ति जो आवेदन पत्र संस्थाओं की तरफ से जाते हैं उन पर विचार के लिये केवल दफ्तर पर ही बोर्ड को आश्रित नहीं रहना चाहिये । उसके लिये बोर्ड के सदस्यों को दिलचस्पी लेनी चाहिये । होता यह है कि बहुत सी एप्लीकेशन्स पड़ी ही रह जाती है । कुछ लोगों को ही धन मिल पाता है । जिनकी कोई एप्रोच नहीं वे पीछे रह जाते हैं और इने-गिने लोगों को ही उसका लाभ बार-बार मिलता है । इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा और इसे अधिक प्रभावी बनाना होगा ।

एक बात और है जैसा कि एक वित्तीय वर्ष में दस हजार की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि अगर यह पावर बोर्ड को दी गई तो हर वर्ष दस हजार की यह रकम बट्टे खाते में पड़ जायेगी । उसको न सरकार ही रोक सकती है और न ही सदन रोक सकता है । ऐसी पावर देना उचित नहीं होगा । प्रदेश में कम से कम पचास प्रतिशत ऐसी रकमें हैं जो बट्टे खाते में जा चुकी हैं । इससे सरकार को कोई लाभ होने वाला नहीं है । जो आप इन्डस्ट्रीज के नाम पर दे रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है ।

एक बात जो इसमें यह रक्खी गई है कि यह पैसा जिन लोगों ने लिया है उसकी वसूली लगान की वसूली की तरह होगी, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात है । जो

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

चाहेंगे वे उसका दुरुपयोग करते वक्त भयभीत होंगे और जिन लोगों ने पैसा लेकर हजम कर लिया है वे भी। क्योंकि उसकी वसूली इस प्रकार हो सकेगी। एक बात श्रीमन्, मैं और कहूंगा, यदि हमें इस खादी के काम को बढ़ाना है तो उसके लिये हमें खास तरीके से व्यवस्था करनी होगी जिसके द्वारा हम गांव गांव में ऐसे लोगों को प्रशिक्षित कर सकें और जिससे वे आत्म-निर्भर हो सकें। खादी का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से कताई और बुनाई करके कपड़े के मामले में आत्मनिर्भर हों। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि बोर्ड की ओर से अम्बर चर्खे की व्यवस्था चलाई गई है और लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। अगर, श्रीमन्, इस बात का सर्वेक्षण कराया जाय तो नब्बे फीसदी ऐसे अम्बर चर्खे हैं जो ज्यों के त्यों रखे हैं। उन पर कोई काम नहीं होता है, वे बेकार पड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों को सहारा मिला। अगर इसको ही एक्टीवाईज किया जाता तो कुछ लाभ हो सकता था। इन संस्थाओं के अनुदान लेने के बाद इस बात को देखने की जरूरत है कि कितना सूत और कपड़ा तैयार हुआ। इस विधेयक के उद्देश्यों की ही पूर्ति के लिये इसका संयुक्त प्रवर समिति को जाना आवश्यक है ताकि इसके सिद्धांतों के अनुरूप विधेयक बनकर सदन में आ सके।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय हरिनाथ जी तिवारी और रामकिशोर जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

इस विधेयक के सिद्धांतों से कोई असहमति नहीं प्रकट की गई है, बल्कि जो इसमें त्रुटियां रह गई हैं उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिये, उनको ठीक करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने का सुझाव है। हमारे देश में खादी का काम सब से पवित्र रहा है और महात्मा गांधी के अन्दोलनों में सबसे पवित्र राष्ट्रीय कार्य यह रहा है। हाथ से काता और बुना हुआ कपड़ा और उसका महत्व राष्ट्रीय एकता और भावनाओं को प्रेरित करता था। लेकिन जब से इस सरकारी सहायता प्राप्त होना आरम्भ हुई तब से इसमें भी भ्रष्टाचार आगया। पहले ये संस्थायें अपने बल पर खड़ी थीं, और बड़े तपस्वी कार्यकर्ता थोड़ा वेतन लेकर गरीबी का जीवन व्यतीत कर के इसमें कार्य करते थे। गांव-गांव में घूम कर वे चर्खे और राष्ट्रीयता का प्रचार करते थे। लेकिन जब से सरकार का हस्तक्षेप हुआ उनका स्तर बहुत गिर गया है। यह रखा गया है कि खर्चा संचालक के माध्यम से न होकर बोर्ड को पूरी छूट दे दी गई हैं कि वह जैसे चाहे कार्य करें। जो भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है उसे किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको मालूम होगा कि हर चीज में मिलावट हो रही है। सारे खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है। इसकी चर्चा और निन्दा जीवन का सामान्य अंग हो गई है। सरकार भी इस पर बेबसी का जीवन व्यतीत कर रही है। जब खादी में भी मिलावट हो गी तो वह कैसे पनप सकती है? खादी इतनी मंहगी हो गई है कि, माफ कीजियेगा, हर खादी का पहनने वाला कहने लगा है कि मैं खादी का गुलाम हो गया हूं लेकिन खादी में भी मिलावट प्रारम्भ होने से प्रदेश की सरकार—सरकार मैं इसलिये कहता हूं कि सरकार का उसमें हस्तक्षेप है—के ऊपर इसकी सारी जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा जो संस्थायें संचालित हो रही है उनमें लाखों जुलाहों और दूसरे लोगों की गुजर-बसर होती है। ऐसी संस्थाओं को पनपना चाहिए था। लेकिन इस सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। हमारा अपना विश्वास है कि कुछ केन्द्रों और संस्थाओं को छोड़ कर प्रदेस में कम से कम ४०, ५० फीसदी मिल का सूत मिलाकर आज खादी का निर्माण हो रहा है। जो लोग इसकी जानकारी करना चाहें वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करने की कृपा करें, तो वहां सारी बातें खुल सकती हैं। आज वे सारी संस्थायें जो पहले अच्छा राष्ट्रीय काम करती थीं, सारी की सारी लुंज-पुंज हो गई हैं।

खादी के काम को पनपाने के लिये सरकार ने सहायता देना प्रारम्भ किया। रुपये में कभी २ आने, ३ आने और हो सकता है कि कुछ ज्यादा भी रहा हो क्योंकि हमारा इसमें

सक्रिय संबंध नहीं है, रिबेट देना प्रारम्भ किया। लेकिन जबसे रिबेट का सिस्टम आया तब से इसमें भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। कागज पर सब कुछ है कि चर्खे कितने चल रहे हैं, कितना सूत और कपड़ा तैयार हुआ, जुलाहे को कितना दिया गया, धोबी को कितना दिया गया और खादी कितनी तैयार हुई। उसके हिसाब से रिबेट का हिसाब भी तैयार होता है। आप अच्छी भावना से इस कार्य को करते हैं लेकिन इसका, रिबेट का, गलत इस्तेमाल हो रहा है। फर्जी हिसाब दिखाकर रिबेट ले लेते हैं।

खादी के अलावा, बहुत सी दूसरी चीजों के लिये, जैसे मधु-मक्खी पालन, मिट्टी के खिलौने, साबुन, कागज, तेलघानी, आदि की बात भी है। तेलघानी की बात लीजिये। गांवों में जिनके बाप-दादे हमेशा से इस काम को करते चले आ रहे हैं उनको अनुदान और लोन मिलने चाहिये और रिबेट मिलना चाहिये। लेकिन हम लोग, सफेद कुर्ता पहनने वाले, कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के, मैं सभी के लिये कहता हूं, जिन्होंने कभी जिन्दगी में तेल पेरा नहीं, कोल्हू कैसे चलाया जाता है या कैसे बनता है यह जाना नहीं, बैल चलाना नहीं जानते, सरकारी अनुदान पा जाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। सब केवल कागजों पर पैदा हो जाता है। कागज पर कोल्हू लग जाते हैं, तेल पैदा हो जाता है। बैलों के लिये रुपया दिया जाता है, लोग उसको लेकर खेती करते हैं लेकिन कागज पर सब ठीक कर दिया जाता है। कोई आपको बतलाता भी है तो आप उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वह भी किसी न किसी नेता से संबंध रखता है, खद्दर पहनता है, समाज का एक प्रभावशाली अंग है, कहीं न कहीं उसकी मजबूती है।

एक बात रामकिशोर जी ने कही कि आपने बट्टे-खाते का भी प्राविजन कर दिया है। आपने पहले से ही संकेत कर दिया है कि १ से १० हजार रुपया तब बट्टे-खाते डालेंगे, यह पहले से ही लोगों को बदनीयती सिखायेगी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बट्टेखाते डालेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है कि जो रकम वसूल नहीं होगी, उसको बट्टेखाते डाला जा सकता है।

श्री मंगलदेव—

मैं माननीय मंत्री की बात को मान लेता हूं लेकिन माननीय मंत्रीजी पहले से ही उसका श्री गणेश क्यों करते हैं? साधारण रूप से जो होता है वह तो होगा ही। जैसे कोई लगान नहीं देता तो उसका चालान होता है, तकावी नहीं देता है तो उसकी कुर्की होती है, लेकिन इसमें बट्टे-खाते डालने की बात आप कहते हैं, इस पर मुझे ऐतराज है। इसका संकेत पहले से ही आपको नहीं करना चाहिये था। अगर कोई नहीं देता है तो उसके खिलाफ आप नियमों के अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकते हैं, या वसूल बिल्कुल नहीं होता तो उसके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। उस समय विवेक से काम लिया जा सकता है लेकिन इसमें रखना ठीक नहीं है।

इस हाउस में और इसके बाहर बहुत-सी कमेटियां बनती हैं और उनका चुनाव होता है, उनका कोई न कोई आधार होता है लेकिन इस में आपने कोई आधार नहीं रक्खा है। "इन उद्योगों से संबंधित अनुभव के आधार पर जिनको जानकारी हो, उनमें से चुने जायेंगे" अगर यह चीज रही तो न जाने कौन कौन लोग उस बोर्ड में आ जायेंगे उसमें कौन होगा? वही जो आपके सहयोगी होंगे, जिनसे आपकी पटती होगी, जो कमाऊ पूत होंगे, उनको आप टीम बना देंगे। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो सकता है। ऐसा आज भी बहुत सी जगह हो रहा है। इन सब बातों को रोकने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है, जहां इस पर विस्तार से विचार हो जाये और एक अच्छा बिल इस सदन के सामने रखा जा सके।

(श्री कमलासिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय हरिनाथ तिवारी ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के सम्बन्ध में उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब माननीय उप मन्त्री जी इस विधेयक को सदन में उपस्थित कर रहे थे तो मैं बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मद्रास खादी बोर्ड भारतवर्ष में सर्वोत्तम बोर्ड है और उसी के अनुसार हम भी यहां बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मन्त्री जी को सुनने के बाद और मद्रास के खादी बोर्ड को देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह विधेयक हमें कहां ले जा रहा है और मद्रास में क्या है। इन दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। मैं अधिक ब्योरे में न जाकर यह कहूंगा कि सदन के बाहर जब खादी उद्योग बोर्ड की बात हम करते हैं तो जनता के मुंह से यही निकलता है कि अंग्रेजों के जमाने में जो ईस्ट इंडिया कम्पनी थी ठीक वही नाम इसको भी दिया जा रहा है। यह नाम बहुत अर्थों में उपयुक्त ही मालूम देता है। धन के उपयोग का यदि कोई साधन हो सकता है तो वह इस ईस्ट इंडिया कम्पनी म हो सकता है जो खादी बोर्ड के नाम से मशहूर है। अभी कोशिश यह थी कि उद्योग विभाग के निदेशक के हाथ से निकाल कर इसका संचालन स्वतंत्र बोर्ड को दे देंगे और वह एक आटोनामस बाडी की तरह काम करेगा। तो वह बोर्ड उत्तम होगा लेकिन जिस तरह से इस बोर्ड का काम हो रहा था उससे हमें आश्चर्य होता है। जब खादी बोर्ड बनाया गया तो उसके लिये एक चेयरमैन की नियुक्ति हुई और उसके बारे में सिर्फ टी० ए०, डी० ए० देने की बात कही थी और धारा १२ जो है उसमें इस प्रकार है:

"12. *Terms and conditions of Service of employees of the Board and terms of Office of its members*—The terms and conditions of service of the Employees of the Board shall be such as may be provided by regulations made in this behalf.

(2) The Chairman and other non-official members shall draw travelling and daily allowance in accordance with regulations made under this Act."

चेयरमैन ही की एक रेस्पांसिबिल पोस्ट है तो उसके लिये यह प्राविधान है:

"Chairman and other Non-official members shall draw travelling and daily allowance."

इन्हीं दो बातों का प्राविधान है। इसकी धारा ३६ में दिया हुआ है:

"36. *Power to make rules*—The State Government may, after previous publication and by notification in the official *gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters namely :

The term of Office of the Chairman and other non-official members of the Board and the allowances to be paid to them."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ऐक्ट में केवल डी० ए० और टी० ए० का प्राविधान है।

स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी हैं वे केवल डी० ए० और टी० ए० की हैं लेकिन रूल में आनरेरियम का भी प्राविधान कर दिया गया है। नियम ४ में दिया है:

"*Rule* 4—The Chairman shall, in addition to the travelling and daily allowance, payable to him in accordance with the provisions contained in that respect in the regulations, be entitled to draw such honorarium as may be fixed by the Government from time to time."

तो ऐक्ट में टी० ए० और डी० ए० और नियमों में ओनरेरियम का अधिकार दिया गया है। सरकार को जब सदन ने पावर दी इस तरह के नियम बनाने की। तो सिर्फ यह पावर टी० ए० और डी० ए० के लिए दी लेकिन यह आनरेरियम देने की बात कहां से आयी? किस धारा के अन्तर्गत ऐसा प्राविधान किया गया है? यह ऐक्ट बना १९६२ में। तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस बात को बतलावें कि चेयरमैन को कितना आनरेरियम इस कानून के खिलाफ दिया गया है? इस तरह से ऐक्ट कुछ कहते हैं और सरकार के नियम कुछ और बनते हैं। इस प्रकार से सदन की आंख में धूल झोंकी जा रही है। इसी तरह से अपने आदमियों क जेबों में रुपया दिया जा रहा है जबकि कोई इस प्रकार का प्राविधान नहीं है। यदि इस प्रकार की आप एन मली करेंगे तो जनता का जो रुपया है उसका दुरुपयोग होगा और इससे बढ़ कर और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो ऐक्ट बनते हैं, नियम उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं और जिसको चाहा उसको इस कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बतायें कि कितना रुपया आनरेरियम के तौर पर दिया गया। यह आनरेरियम क्यों रखा गया जबकि ऐक्ट के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं दी गई है?

खादी उद्योग का जहां तक सम्बन्ध है यह बहुत ही अच्छी चीज थी और गांधी जी ने इसलिए प्रेरणा हम लोगों को दी थी कि हम लोग जो बाहर के बने हुए कपड़ों पर निर्भर रहते थे वह ठीक नहीं था, इसलिये उन्होंने एक जागृति दी जिससे यह कोशिश करने लगे कि रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें जो हैं कम से कम उन का उत्पादन स्वयं कर लें जिससे जीवन यापन के लिये हमें दूसरों का आश्रित न रहना पड़े और विदेशी माल पर आश्रित न होना पड़े। इसीलिये खादी उद्योग उन्होंने चलाया। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि खादी उद्योग बना और काफी रुपया इसमें खर्च भी हुआ लेकिन बराबर इसमें नुकसान होता जा रहा है और कटाक्ष के रूप में मैंने आप से कहा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी यह बनती जा रही है। मतलब यह है कि १ रु० के माल का १० रु० वसूल होता है। जहां सामान बनता है वहां १ रु० में बनता है तो बाजार में वह ४ रु० में बिकता है और इस तरह से मनमाने ढंग से रुपया वसूल किया जा रहा है, जबकि हम चाहते थे कि इस से जनता की भलाई होगी और हर आदमी स्वतंत्र रूप से अपनी डेली जरूरियात पूरी कर सकेगा।

तेल उद्योग को देखें। जब बाजार में साढ़े तीन रुपया तेल बिक रहा था उस के बाद ५, ६ रु० हो गया तो इनका तेल ४ रु० बिक रहा था और ज्यों ही बाजार में भाव बढ़ा इन के तेल का भाव भी ६ रु० हो गया। मैं समझ रहा था कि इससे प्राइस कंट्रोल होगा लेकिन ऐसा न कर के यह भी बाजार की तरह भाव बढ़ा रहे हैं और जिस भावना से बोर्ड स्थापित हुआ था कि प्राइस को कंट्रोल करे वह परपज ही डिफीट हो रहा है।

खरीदारी पर जब रिबेट मिलता था तो गांधी आश्रम में भीड़ रहती थी लेकिन अब मुश्किल से १०० आदमी ही दिन भर में आते हैं। खादी इतनी मंहगी होती जा रही है कि लोग परशान हो गये हैं और खादी के प्रति जो प्रेम था वह खत्म होता जा रहा है। गांधी जी ने शराब बन्दी की, उत्तर प्रदेश में बन्द हो गई लेकिन आज बिल्कुल उल्टी गंगा बही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर शराब पीना निषेध हो और यहां भी वही हाल हो रहा है

[श्री कमलासिंह यादव]

मनमाने ढंग पर इस का भी काम होता जा रहा है। पहले जब रिबेट था तो कुछ लोग लेते थे लेकिन रिबेट हटाने का मकसद यह था कि अभी तो लोगों में बनी हुई चीजें खरीदने की प्रेरणा है लेकिन अगर सूत कातने की प्रेरणा होगी तो सूत भी कतेगा और खादी भी बनेगी। लेकिन आज जिस प्रेरणा से यह रिबेट हटाई गई है उस का बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। मंत्रियों में १, २ परसेंट ही ऐसे मुश्किल से होंगे जो रोज सूत कातते होंगे। यही हाल माननीय सदस्यों का होगा। रिबेट के नाम पर कपड़ा काफी बिकता था लेकिन जब से बुनकरों को रिबेट दिया है तब से कपड़ा बिकना कम हो गया है इससे इस उद्योग को काफी ठेस पहुंची है। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर रिबेट के बल पर ही इस उद्योग को चलाना है तो कृपया इस रिबेट को बन्द कर दिया जाय। छूट वगैरह देने की जो बात थी वह तो अपनी जगह पर है ही, विधेयक में २५ (क) में एक नई धारा रखी गई है जो इस प्रकार है :

"बोर्ड किसी अकेले मामले में १ हजार रुपये तक की और किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिला कर दस हजार रुपये तक की धनराशि को जो उसे देय हो, बट्टे-खाते में डाल सकता है यदि उसकी राय में ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो।" अभी तक जितने अधिनियम भारत में बने हैं उनको देखने की मैंने कोशिश की है और खास तौर से मेरा ध्यान मद्रास ऐक्ट की तरफ गया है। मद्रास ऐक्ट में भी ३,००० रु० का जिक्र है। लेकिन यहां पर १०,००० रु० का जिक्र है। और उसमें फर्क यह है कि जहां तक मद्रास गवर्नमेंट के रुपये का सवाल है उसमें यह दिया गया है कि बट्टे खाते में डालने के लिये सरकार का अंकुश रखा गया है और उसमें यह दिया गया है कि सरकार की मर्जी से हम उस काम को कर सकेंगे।

मद्रास ऐक्ट की धारा २२ इस प्रकार है :

"22. *Power to write off irrecoverable amount*—The Board may write off any amount whatsoever due to it, whether under a contract or otherwise or any sum payable in connection therewith, if in its opinion such amount or sum is irrecoverable to ;

Provided that the Board shall, before writing off any such amount or sum exceeding three thousand rupees, obtain the sanction of the Government."

तो इसमें सरकार की सैंक्शन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि चूंकि मुख्य मंत्री को बना दिया प्रेसीडेंट इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मनमाने ढंग से यह करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य मन्त्री की आड़ में यह शिकार करना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है। वहां के बोर्ड का भी अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं, तो अगर वहां पर गवर्नमेन्ट की सैंक्शन की जरूरत है तो मैं नहीं समझ पाया कि यहां पर गवर्नमेंट की सैंक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं की है? मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था बोर्ड के अन्दर करें कि अगर कोई भी एमाउन्ट जो राइट आफ करना है अगर उसके लिये गवर्नमेन्ट की सैंक्शन लेंगे तो यह जरूरी होगा कि कुछ जिम्मेदार अधिकारी इसकी जांच करेंगे और जब सही नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह धन रिकवरेबिल नहीं है तो उसी वक्त रिकमेन्ड करेंगे और नतीजा यह होगा कि जिस धन का दुरुपयोग हो सकता है उस से बचत हो सकती है और जो अंकुश रखा गया है उससे फायदा हो सकता है, इतना प्रावधान होना चाहिये।

जहां तक बोर्ड का सवाल है मैजारिटी नान-आफिशियल मेम्बर्स की होनी चाहिये और अफसरान को भरने की जरूरत नहीं है। जब बोर्ड के अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि जो एक्सपर्ट होगा। काफी जानकारी रखता है उसको बोर्ड के सामने बुला कर राय ली जा सकती है, उसको सुना जा सकता है तो यहां अधिक से अधिक मात्रा में १७ मेम्बर्स हो सकते

हैं। यह जो लिखा है कि मैजारिटी नान-आफिशियल्स की होगी तो मैं यह चाहता था कि अधिनियम में यह बात आये और उन्हीं को मतदान करने का मौका दें तो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि आप आफिशियल्स को बोर्ड का मेम्बर बनायें और उनको भी मत देने का अधिकार दें। सेक्रेटरी का भी जहां तक सम्बन्ध है उसे भी मतदान करने का अधिकार होता है लेकिन यहां बिलकुल विपरीत हालत है। यह कांग्रेस सरकार जनतंत्रवादी है और उसमें अगर सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के जरिये से ही कार्यवाही होने जा रही है तो मैं नहीं समझता कि जनतंत्र की बात वह कैसे कर सकती है? जनतंत्र प्रणाली है तो यह चाहता था कि बोर्ड एक्सपर्ट्स का होना चाहिये और जो लोग रुचि रखते हैं वही इसके नामिनी होने चाहिये। ऐसी बात होने से जो खादी के एक्सपर्ट हैं उनको इसमें लाने से यह उद्योग बहुत अच्छी तरह से आप चला सकेंगे क्योंकि इस मामले में उनको पूरी जानकारी होगी। मुख्य मन्त्री को इसमें चेयरमैन रखा गया है लेकिन उनको समय न मिल सके इसलिये वाइस प्रेसीडेंट का जिक्र इसमें किया गया है और वाइस प्रेसीडेंट ही ज्यादातर काम करेगा। अब वाइस प्रेसीडेंट बनाने की बात इसलिये सच्ची हो कि कोई एक्स मिनिस्टर हो जो हार गया हो, उसे वाइस प्रेसीडेंट बना दिया जायगा, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया जाता है। हो सकता है कि मंत्री जी की निगाह किसी आदमी पर हो जिसे वह वाइस प्रेसीडेंट बनाना चाहते हों। हमें वैसे एतराज नहीं है लेकिन यह कांग्रेस सरकार एक कस्टूडियन है, आपको कांस्टीट्यूशनल राइट जरूर हैं लेकिन अगर इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जायगा तो उससे दुर्व्यवस्था ही होगी। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा अंकुश इन चीजों पर रखें कि हमारी बदनामी न हो।

माननीय मन्त्री जी मद्रास के खादी बोर्ड से बड़े प्रभावित हुये। मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि दक्षिण में कोआपरेटिव बेसिस पर मिलें, उद्योग वगैरह इतने अच्छे चल रहे हैं कि हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और शायद स्वप्न में भी उत्तर प्रदेश में नहीं देख सकते। मिसाल के लिये जो मिल्क यूनियन, बम्बई की है वह नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चलायी गयी है और बम्बई की ५० लाख की आबादी है जिसमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५ लाख आदमियों को वह दूध सप्लाई कर रही है और थर्ड प्लान में ५० लाख आदमियों को दूध सप्लाई करेगी। और हमारे यहां की मिल्क सप्लाई यूनियन म पानी के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा है और दाम भी दुगुने कर दिये हैं। तो मैं चाहता हूं कि रुपया तो आप ले लें लेकिन उद्योग को बरबाद करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिये दुर्व्यवस्था को रोकने के लिये जो सख्त बात हो वह करें।

अभी परसों नेगी साहब सदन में इतनी जोरों से बम्बास्टिक वर्ड्स में कह रहे थे कि हम प्राइसेज को कंट्रोल कर लेंगे मगर हमने कहा था कि जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं। ठीक वही हालत हुई। शाम को बड़ी गिरफ्तारियां हुयीं लेकिन दस बजे रात को ही मैजिस्ट्रेट ने जा कर उन लोगों से माफी मांग ली और जमानत पर छोड़ दिया। अगर सरकार की ऐसी ही व्यवस्था है कि एक तरफ तो गिरफ्तारियां करते हैं और दूसरी तरफ एक, दो घंटे भी रोक नहीं सकते। हम लोगों को तो एक महीने तक जेल में डाले रहे जब कि कोई जुर्म नहीं किया था और इस तरफ के लोग जो देश के दुश्मन हैं, उनको एक घंटे भी रोक नहीं सके। इसलिये मैं कहूंगा कि आप उद्योग चलाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जिस परपज के लिये रुपया लें उसमें अगर ७५ फीसदी भी खर्च कर दें तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। जो बोर्ड आप कायम करने जा रहे हैं उसमें जिन लोगों का तजुर्बा है उन को अगर नामिनेट करें तो बहुत ही सुन्दर होगा और खादी का उद्योग जो गांधी जी की देन है उसको आप कायम रख सकेंगे। इसमें लिखा है कि "खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये बोर्ड द्वारा दिये गये किसी ऋण या अग्रिम धन या अनुदान के सम्बन्ध में यदि कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो उसे विधि द्वारा व्यवस्थित

[श्री कमलासिंह यादव]

किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मालगुजारी को बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।" उद्योग के सम्बन्ध में आप किसी को ऋण देंगे तो वह दो तरह कम हो सकता है, शार्ट टर्म होना या लांग टर्म होना। छोटे उद्योगों को चलाने के लिये रुपया एडवांस करेंगे। अगर छोटे उद्योगों को चलाने के लिये लोग रुपया लें और उसको कायम न करके दूसरे काम में रुपया खर्च कर दें तो मैं समझता हूं कि उनसे रुपया ही वसूल न किया जाये बल्कि पेनाल्टी भी लगाई जाय ताकि ४२० करने वाले लोगों को चेक किया जा सके। लैंड रेवेन्यू की तरह से ही रुपये की वसूली का खाली प्राविधान नहीं होना चाहिये बल्कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट को धोखा देकर रुपया लिया है और उस उद्योग को कायम न कर के दूसरे काम में रुपया खर्च कर दिया तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती होनी चाहिये और कानून के अन्दर उनका प्रासीक्यूशन होना चाहिये।

मंत्री जी का उद्योग से सम्बन्ध है इसलिये उनका ध्यान दिलाऊंगा कि गाजीपुर जिले में लोगों ने उद्योग के नाम पर हजारों रुपया लिया है। वहां का इंडस्ट्री आफिसर १० परसेंट लेकर रुपये के लिये सिफारिश कर देता है, भले ही सिक्योरिटी नाकाफी हो। नाममात्र के लिये देखा जाता है कि मशीन रख दी हैं जब से रुपया दिया जाय और उद्योग चलने की बात कही जाती है तब से मन्त्री जी देखें कि कितना काम हुआ है तो उनको असलियत का पता चलेगा कि उद्योग चल रहे हैं या नहीं? कुछ लोग उद्योग कायम भी करना चाहते हैं लेकिन उनको रा मैटिरियल नहीं मिलता इसलिये नहीं कर पाते हैं। यह भी देखा जा रहा है कि जिनको रा मैटिरियल दिया जा रहा है वे लोग ब्लैक में बेच देते हैं। जितना रा मैटीरियल दिया जाता है अगर उतने का माल बना हुआ मिल जाय तो हम धन्यवाद देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिये रुपया दिया जाता है तो वे लोग एक आध फावड़ा और बाल्टी वगैरह बना लेते हैं और बाकी सारी चादर और टिन ब्लैक में बेच देते हैं। उद्योग के नाम पर जो रुपये का दुरुपयोग हो रहा है उस को मंत्री जी बचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, अवमूल्यन हो गया है। अगर रुपया बचता तो हम अच्छी मशीनें ला सकते थे लेकिन जब अवमूल्यन हो गया है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि जिस उद्योग के लिये हम रुपया देते हैं तो देखें कि उससे प्रोडक्शन होता है या नहीं? यदि प्रोडक्शन नहीं होता है तो सख्ती बरतें। इससे प्रदेश का भला हो सकता है और आर्थिक दशा भी अच्छी हो सकती है। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि यह चीजें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ तो रुपये का दुरुपयोग हो और दूसरी तरफ जनता के ऊपर टैक्सेज का बर्डन बढ़ता चला जाय यह ठीक नहीं है। ट्रांस्पोर्ट का और भूमि भवन कर का कर बढ़ता जा रहा है। जो रुपया उद्योग के नाम पर लिया जाता है तो वह रुपया सरकार का है और सरकार को देखना चाहिये कि वह उद्योग चलता है या नहीं। इस वक्त मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल को आप प्रवर समिति में भेज देंगे तो इसकी जो खामियां हैं वे हम दूर कर सकेंगे और मद्रास के नमूने पर हम एक अच्छा बिल बना सकेंगे।

एक चीज और है विद्युत् शुल्क विधेयक इस सदन में बहुत दिन पहले रखा गया, लेकिन आज तक वह नहीं पास कराया गया और न मुझे उम्मीद है। रिहन्द और अल्मूनियम को जो १२ करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, उसके लिये मैं चाहता था कि उसमें अब ज्यादा समय न लगे। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से दो दिन लगेगा इसलिये ऐसे महत्वपूर्ण बिल को लिया जाना चाहिये। इस सरकार को जो अधिक रुपया देने वाले बिल हैं उन्हें पहले लिया जाना चाहिये, सरकार को उन पर पहले विचार करना चाहिये। ऐसे ऐसे छोटे मोटे बिलों पर सरकार को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिये। वह बिल यदि जल्दी से पास कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे डर है इसलिये कि वह बिल उस दिन से लागू होगा, उस दिन से आप उसे लागू करेंगे जब कि उसका नोटीफिकेशन होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो इससे बिलकुल एक अलग चीज कह रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

इन शब्दों के साथ जो तिवारी जी ने संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिये रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १८९ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, इसका खंड (४) आप कृपा करके देखें,

"यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।"

मैं सिर्फ इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चेयर पर आप बैठे हैं और संविधान के अनुसार आपका यह फर्ज है कि कोरम न हो तो आप सदन को स्थगित करें। इसलिये जब कि सदन में कोरम नहीं है और संविधान ने जो ड्यूटी आप पर डाल रखी गयी है, उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यहां इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक तो इस सदन की मर्यादा है कि एक व दो बजे के बीच में इसका प्रश्न नहीं उठता है। उसके अतिरिक्त यदि कोई माननीय सदस्य मेरे ध्यान में ले आएं या पीठासीन व्यक्ति देख ले, तो . . . . .

श्री धीरसेन—

इस मामले में मेम्बर की जिम्मेदारी नहीं है, अधिष्ठाता की स्वयं जिम्मेदारी है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

मुझे एक जानकारी आपके द्वारा प्राप्त करनी है। आज सदन में ऐसा बिल प्रस्तुत है, जिसमें गरीब, मजदूर और किसान का हित निहित है और आप जो बोलने का अधिकार देते हैं आपने जो परम्परा डाल रखी है, इसमें मुझे बड़ा खेद है। खादी बोर्ड ने जो जुल्म कर रखा है, उस पर जो अपने-अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, उसमें आप उनको मौका नहीं देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह तरीका ठीक नहीं है, माननीय हरीसिंह जी, आप बैठिये।

श्री हरीसिंह—

तो ठीक तरीका आप ही समझा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठकर सुनिये। सदन में प्रत्येक माननीय सदस्य को कई कई बार खड़ा होना पड़ता है। आप एकदम खड़े हो जायं और कहें कि मौका मिले और अगर न मिले तो नाराज हों जायं। आपको देखना चाहिये कि इस समय तो इधर बोलने ले नहीं है।

श्री हरीसिंह—

इधर बोलने वाले बहुत हैं। लोगों को जब यह मालूम हो जाता है कि बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो चुप रह जाते हैं ।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष—

हरीसिंह जी, आप बैठ जाइये। आपको जबरदस्ती मौका तो मिल नहीं जायगा आप का यह तरीका ठीक नहीं है । आप बैठिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी अधिष्ठाता जी के सामने माननीय वीरेन्द्र जी ने गणपूर्ति का सवाल उठाया था । गणपूर्ति अब भी नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो प्रस्तुत विधेयक है वह प्रवर समिति में जाय या न जाय । मान्यवर, प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया । मैं बड़े आदरपूर्वक उनके भाषण को सुनता रहा और उनके भाषण को सुनकर मुझे ताज्जुब ही नहीं दुख भी हुआ । यह धृष्टता होगी यदि मैं यह कहूं कि उसमें से अधिकांश तथ्यों की जानकारी न होने के कारण कहा गया लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि वह तथ्यों से बिलकुल विपरीत हैं । एक प्रवृत्ति हो गयी है कि सरकार की ओर से कोई बिल आवे तो उसमें कोई न कोई बड़ा भारी षड्यन्त्र है ऐसा अनुमान कर लिया जाता है । माननीय तिवारी जी ने यह कह दिया कि ६७ का चुनाव सामने है और माननीय मुख्य मंत्री अर्थात् उद्योग मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है और यह कारण इंगित है कि ये सारे कर्मचारी चुनाव में कार्य कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि खादी बोर्ड का जो पहले बिल आया थी उसके मन्तव्य में खादी कमीशन की पालिसी का जिक्र नहीं किया, इसमें उसका कहीं जिक्र है कि उसमें कोई कठिनाई पड़ रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि जो संस्थायें खादी का कार्य कर रहीं थी उनको क्रिपिल कर दिया गया है । तो मान्यवर, मैं तो उस समय विस्मय से अपनी आंखें मल रहा था कि माननीय तिवारी जी क्या कह रहे हैं और इस संशोधन का क्या मन्शा है। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बतलाऊं । उस पृष्ठ भूमि को जानने पर हमारा एक ही निर्णय होगा । मेरा निश्चित विश्वास है कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनकी केवल एकमात्र भावना यही रही होगी कि वह इसके लक्ष को ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं, उस ऐक्ट की ज्यादा सेवा करना चाहते हैं क्योंकि जितने माननीय सदस्य बोले उन्होंने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि हमारे प्रदेश में ग्रामोद्योग और खादी की उन्नति की आवश्यकता है इससे हमारे देश में गरीबों का संरक्षण होता है लेकिन इस भावना के रहते हुए मेरा यह कहना है कि प्रवर समिति की मांग से उस लक्ष्य को फायदा पहुंचा है या नुकसान पहुंचता है । इसके लिये यह पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है जिसमें कदाचित् यह संशोधन विधेयक आया है । १९६० में इस सदन में खादी बोर्ड का बिल आया था और वह एक कानून के रूप में पास हुआ । उस समय भी कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि जो संस्थाएं हैं उनको किसी तरह से क्रिपिल किया जाय या उन संस्थाओं को किसी अधिकार से वंचित किया जाय या उनके कार्यक्षेत्रों में किसी तरह से बाधा डाली जाय । एक मात्र उद्देश्य यह था कि जो खादी संस्थायें हमारे प्रदेश में कार्य कर रही हैं उनके मार्ग में सहायता प्रस्तुत की जा सके, उनके मार्ग में सुविधा उपलब्ध की जा सके और उनको हर प्रकार से जो सहायता आवश्यक है वह देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में और प्रभावी बनाया जा सके इस एक मात्र भावना से १९६० में खादी बिल इस सदन में पारित किया गया था । खादी बोर्ड में कुछ कठिनाइयां आई । उसमें सब से बड़ी कठिनाई यह है कि किसी बोर्ड को जिम्मेदार बनाना है किसी कार्य के करने का । कार्य के कार्यान्वयन के लिये उसमें ताकत न हो वह किसी दूसरी एजेन्सी के ऊपर हो तो उसमें यह स्वाभाविक है कि उसमें कठिनाई पड़ती है । इसके बारे में बोर्ड की ओर से, खादी कमीशन की ओर से और उसके उच्चतम व्यक्तियों की ओर से प्रदेशीय सरकार से बार-बार प्रार्थना की गई कि सरकार इन कठिनाइयों को दूर करे । सरकार को कुछ अड़चन होती है और यह स्वाभाविक है कि जहां से सरकारी अधिकारियों के कंट्रोल को हटाने की बात हो तो विभाग इसमें बहुत सोच विचार करते हैं और कुछ रुकावट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी होती और अवरोध पैदा होता है । तो इसमें काफी समय लगा । समय लगने के बाद सौभाग्य की बात है कि इसी सत्र के समाप्त होने के पहले यह पेश हुआ । माननीय मुख्य मंत्री और सरकार ने बहुत दिनों के बाद इस मांग को माना और यह स्वीकार किया कि इस खादी बोर्ड के कार्यान्वयन एजेन्सी इंडस्ट्री डाइरेक्टरेट नहीं होगा बल्कि खादी बोर्ड स्वयं होगा. . . .।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इंडस्ट्रीज डाइरेक्टरेट के अन्तर्गत जब यह था तो बहुत सी कठिनाइयां मंत्री जी ने बतलाई कि बोर्ड को हुई काम करने में तो इस पर वह प्रकाश डालने की कृपा करें कि वे कौन सी कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से वह डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के हाथ से इसको अलग कर रहे हैं ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आशा करता था कि माननीय कमलासिंह जी मेरी बात सुनकर यदि कोई प्रश्न उपस्थित करते तो उत्तम होता । मैं इस समय वही बात कह रहा था । जहां तक कठिनाइयों का संबंध है, मैं निवेदन करता हूं । पहली बात तो यही है कि एक एजेन्सी अगर किसी पालिसी को निर्धारित करती हो, एक एजेन्सी उसे फाइनेंस करने वाली हो और उसका कार्यान्वयन किसी दूसरी एजेन्सी के पास हो, उसके पास न हो जो उसकी पालिसी को निर्धारित करती है तो फिर उस कार्य की प्रगति में निश्चय ही अवरोध उत्पन्न हो जायगा । इस कारण ही अगर उस एजेन्सी ने किसी कार्य के लिये एक करोड़ रुपये के खर्च करने का निश्चय किया कि इतने पैसे का वितरण इस कार्य के लिये होना चाहिये तो वह नहीं हो पाता और यही हुआ खादी बोर्ड में । जितना रुपया खादी कमीशन से प्राप्त हुआ प्रदेश के उद्योगों को वितरण के लिये, उसका ठीक से वितरण नहीं हो सका। कारण यह था कि उसके लिये इंडस्ट्रीज विभाग में आवेदन पत्र आने थे इंडस्ट्रीज अफसर को उस पर सिफारिश करनी थी, यह अनिवार्य था और इन सारी स्टेजेज से गुजरने के बाद उसे पैसा मिल पाता था और इन सब पर खादी बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं था और इसी से कठिनाई पड़ती थी । माननीय कमलासिंह जी कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में एक प्रथा है कि जब तक दस परसेन्ट अधिकारी पहले ले नहीं लेते, तब तक सिफारिश नहीं करते । मैं उन की बात का खंडन या समर्थन नहीं करता, लेकिन मान लेता हूं कि जब एक माननीय सदस्य वह बात कह रहे हैं तो जिम्मेदारी से ही कहते होंगे और जब स्थिति इतनी विकट है तो दिक्कत पड़ती ही है । इस से ज्यादा विस्तार में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन यह कठिनाई थी जिस के कारण खादी बोर्ड और खादी कमीशन और उस में लगे हुये लोगों की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रही कि वह इस मूलभूत कठिनाई को दूर करें। इस का विरोध हुआ, किन्तु अन्ततोगत्वा सरकार ने इस को माना । पहले दफा १४ थी जिस में लिखा था कि इस का कार्यान्वयन इंडस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट के माध्यम से होगा और जो प्रस्तुत विधेयक है इस की दफा ११ में मूल अधिनियम की धारा १४ को डिलीट कर दिया गया है और वास्तव में प्रस्तुत विधेयक की दफा ११ इस विधेयक का प्राण है, आत्मा है । यही इसका आधार और भित्ति है । इसी एक आवश्यकता के कारण इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता पड़ी और यही इस का सब से उपयोगी, आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है । इस के अतिरिक्त मान्यवर, स्वाभाविक है कि जब कोई बिल आता है तो उस में जो कठिनाइयां आती हैं उन का जिक्र होता है। मैं, जो पैटर्न की बात माननीय कमलासिंह जी कह रहे थे उसे ठीक से समझ नहीं पाया। पता नहीं उन का लक्ष्य क्या था । आरम्भ करते समय मैंने यह समझा कि उन की शिकायत यह है कि जो मद्रास पैटर्न पर चलने की माननीय उपमंत्री जी ने बात कही है शायद उस से हमारा पैटर्न बहुत दूर है, लेकिन सारे भाषण को सुनने के बाद मैं वह बात समझ नहीं पाया । मान्यवर, किसी स्टेट के बिल के पैटर्न को मानने के लिये अगर हम उस की मूलभूत बातों को मान लें तो हम कह सकते हैं कि हम उस पैटर्न को ले रहे हैं । यह मैं नहीं मान सकता कि उस की हर धारा की नकल हम यहां कर लें तभी उस पैटर्न को मानने की बात कही जा सकती है । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं. . . . . .

श्री कमलासिंह यादव—

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं । मैंने यह कहा था कि नान आफिशियल मेम्बर्स की तादाद बोर्ड में अधिक होनी चाहिये और मैंने इसी बात पर जोर दिया था । अगर इस पर आप का कोई आक्षेप हो तो आप बोलें ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मान्यवर बड़ी कठिनाई है जब कमलासिंह जी जैसे पंडित और पार्लियामेंटेरियन मुझे अकिंचन सदस्य को मंत्री के रूप में बतला रहे हैं। जब मंत्री जी बोलेंगे तो सारे जवाब देंगे । मेरा उत्तरदायित्व हर एक बात का जवाब देने का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे एक एक पद पर प्रश्न करते चले जायं, तो मुझे ताज्जुब होता है । जहां तक सरकारी सदस्यों का सवाल है, मैं कहूंगा कि कृपया वह इस बोर्ड के गठन को पढ़ें । जो संशोधन विधेयक है उसमें एक मुख्य मंत्री होंगे और ७ से ९ तक गैर सरकारी होंगे, यानी अगर न्यूनतम मान लें तो ९ वरना ११ हैं और कुल संख्या १६ है । तो गैर सरकारी सदस्य मैजारिटी में है, जैसे कि वहां पर है, इसमें भी मौजूद हैं । तो आज जो प्रस्तुत संशोधन विधेयक है उसमें मैजारिटी गैर सरकारी सदस्यों की है । मद्रास वाला मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर उसमें एक ज्यादा है या एक कम है, इसके माने यह नहीं है कि वह पैटर्न से हट गये । पैटर्न तो वही है । यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि आखिर मद्रास का पैटर्न हमें क्यों पसन्द आया । इसका केवल एक कारण है कि हिन्दुस्तान में इस समय जितने खादी बोर्ड काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तरक्की और आउटटर्न मद्रास का हुआ । इसलिये उस पैटर्न को शायद स्वीकार किया गया ।

अब मूल भूत प्रश्न यह है कि उद्योग मंत्री सभापति होंगे, इस पर बहुत एतराज हुआ और तिवारी जी का कहना यह था कि उनको अपना भार संभाल नहीं मिलता, अपने आरोपों का जवाब दे नहीं मिलता, वह एक बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं ? तो मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जो भी मंत्री या मुख्य मंत्री होगा उसके ऊपर दायित्व, भार और आरोप होंगे ही, इससे कोई मुक्त हो नहीं सकता, लेकिन जो कार्य आवश्यक है, जिससे किसी काम की गति विधि में सुविधा हो सकती है उसको करना आवश्यक है । मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्री भी एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है । उसको एक अफसर, नौकरशाही का एक पुर्जा मानना एक मौलिक भूल है ।

एक सदस्य—

उनको "सरकार" लिखा है इसमें ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

इसलिये मैं यह कहता हूं कि मंत्री का इसमें सभापति होना उसकी कार्य क्षमता को बढ़ायेगा । वह कम से कम बोर्ड और सरकार के बीच में लिया होगा । कमलासिंह जी ने कहा कि उप सभापति विशेष रूप में सारा कार्य करेगा । मैंने भी मुख्य मंत्री और उपमंत्री से कहा था कि उप सभापति का नाम होना चाहिये "कार्यकारी सभापति", मगर हमारा जो ला डिपार्टमेन्ट है उसमें बड़े तजुर्बेकार लोग हैं । मैं तो ला बहुत थोड़ा जानता हूं, मगर उनको यह लीगल कठिनाई दिखी कि उप सभापति के स्थान पर कार्यकारी सभापति कैसे रख दें । जितनी मेरी सीमित क्षमता है, मैं उसके अन्दर कोई औचित्य नहीं समझ सका, मगर चूंकि यह ला डिपार्टमेन्ट का दायित्व है और उनकी राय वैधिक रूप में मान्य हो सकती है, मुख्य मंत्रीऔर उप मंत्री जी ने भी उसको ज्यादा माना । मानना चाहिये इसीलिये शायद माना, लेकिन जैसा कि कमलासिंह जी कह रहे थे वस्तुस्थिति ऐसी होगी कि गैर सरकारी उप सभापति जो होगा उसके ऊपर केवल एक कार्य होगा । लेकिन उसको ही सारा कार्यभार संभालना चाहिये, इसलिये मंत्री का वहां पर होना आवश्यक है । वह गवर्नमेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन और बोर्ड के बीच में एक लियाजां का काम कर सकता है । वह बिना लाल फीतेशाही के रास्ते से गुजरे हुये उसका भार संभालने में सहायक हो सकता है । मैं समझता हूं कि शब्दों को अगर ला विभाग अपने मत के अनुसार ठीक प्रकार

नहीं समझ सका या उसका मत दूसरा रहा है, तो ठीक है, अगर यह मंशा है कि उप सभापति का वही कार्य हो जो सभापति का होता है तो उससे भी काम चल जायेगा ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात मान्यवर, सभा सचिव की होती है, उप सचिव और लेखाकार की होती है । उप सचिव और लेखाकार के बारे में मूल ऐक्ट में एक क्लाज था । इस संशोधन विधेयक में माननीया मुख्य मंत्री ने और उप मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि मंत्री और लेखाकार यह सरकार द्वारा नियुक्त होने चाहिये, मगर अन्य कर्मचारी बोर्ड द्वारा नियुक्त होने चाहिये । मैं समझता हूं यह ठीक है इसलिये कि मंत्री की पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और नियुक्ति के संबंध में इस तरह की जो बातें हो जाया करती हैं उनसे बोर्ड मुक्त रह सकेगा । इसलिये इस प्राविधान का स्वागत होना चाहिये । शंका यह है कि इस विधेयक में उप सचिव का नाम नहीं है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने भाषण में इसे स्पष्ट करें कि इससे उनका क्या अभिप्राय है । मैं समझता हूं कि उसको अन्य कर्मचारियों के दायरे में समझा गया है, इसलिये उसको इस विधेयक से निकाल दिया गया है ।

एक बात इस विधेयक में धारा १४ के अन्तर्गत १० हजार रुपये तक बट्टे पर डालने के बारे में कही गयी है । मैंने विधान परिषद् की कार्यवाही भी देखी, इन १० हजार रुपये के प्राविधान पर अधिक मतभेद दिखाई दिया । माननीय रामकिशोर त्रिपाठी ने भी इस पर ऐतराज किया और कहा कि पहले से ही हम इस बिल में ऐसा प्राविधान कर रहे हैं । मान्यवर, जो भी कानून किसी संस्था आदि के बारे में बनाया जाता है तो उसमें एक क्लाज अनिवार्यरूप से यह रहता है कि अगर यह डिजाल्व हो जाये, ऐसी स्थिति आ जाये कि सोसाइटी, न चल सके तो क्या होगा ? इसलिये इस तरह के प्राविधान स्वाभाविक ही हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई गलती है । जितने भी सरकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विभागाध्यक्ष हैं उनको १० हजार रुपये तक बट्टे में डालने की छूट रहती है और यह अधिकार हमारे सदन ने ही दिया है । तो कोई कारण नहीं है कि इस ऑटोनामस बाडी को जितना जिसका बजट करीब १ करोड़ का होगा उसे हम यह अधिकार न दें जो यदि देखा जाय तो अनुपात में ०.१ थाऊजेन्ड की राशि में आता है । मैं नहीं समझता कि यह अधिकार कोई अनर्गल है, या अनौचित्यपूर्ण है । यह अवश्य दिया जाना चाहिये । ऐसी बात नहीं है कि उसके न रखने से कोई दुरुपयोग बच जायेगा । मैं यह अवश्य प्रार्थना करूंगा कि जब सरकार नियम बनाये तो उसमें ऐसी व्यवस्था करे जिससे जितना अनुदान सहायता के रूप में दिया जाय उसका ठीक ठीक यूटीलाइजेशन हो सके, उसका दुरुपयोग न हो सके । माननीय कमलासिंह जी ने तो उदारतापूर्वक ७०–७५ प्रतिशत तक यूटिलाइजेशन का वचन दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्रतिशत का सदुपयोग हो, यूटिलाइजेशन हो, फिर १० हजार रुपया बट्टे में पड़ जाय तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं रहती है ।

यह कहा गया कि जो अधिकारी हों, जिनकी भूल या गलती से यह रुपया बट्टे में पड़ जाय उनके खिलाफ दंड देने का भी प्राविधान होना चाहिये । जहां तक उनके खिलाफ कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, वह अधिकार तो है ही । अगर किसी अधिकारी की वजह से कुछ रुपया बट्टे में पड़ जाय और उसका लायबिलिटीज बोर्ड के ऊपर पड़े तो उसके लिये वह अधिकारी तो जिम्मेदार होगा ही, इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं होता ।

एक दूसरी महत्वपूर्ण धारा है मालगुजारी की तरह से रुपया वसूल करने की । मैं समझता हूं कि यह परम आवश्यक था । और यह संशोधन हमको उसी दिशा में ले जाता है जिसकी माननीय सदस्यों ने अपने विवाद में चर्चा की है और जिस आवश्यकता की ओर उन्होंने संकेत किया है । यदि रुपये का दुरुपयोग हो तो बोर्ड को यह ताकत होनी चाहिये, यह अधिकार होना चाहिये कि वह रुपये को जल्दी से जल्दी वापस ले । लेकिन जिस तरह का मूल अधिनियम है उसमें इस सदन ने वह अधिकार प्रदत्त नहीं किया है । इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि हम वह अधिकार बोर्ड को प्रदान करें जिसके द्वारा अगर कहीं रुपये का दुर्भाग्यवश दुरुपयोग हो जाय तो उसे हम लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल करना चाहिये ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

माननीय कमलासिंह जी ने अपने भाषण में यह कहा और इसका स्वागत किया, इससे मुझे सन्तोष नहीं था उन्होंने यह कहा कि ऐसे व्यक्ति से केवल रुपया ही वापस नहीं लेना चाहिये बल्कि और भी स्टैप्स उसके खिलाफ लेने चाहिये । मैं शत प्रतिशत उनके इस विचार का समर्थन करता हूं और इस बात के पक्ष में हूं कि जो व्यक्ति धोखा दे और रुपये का दुरुपयोग करे, यह उन गरीब जनता के साथ अन्याय करता है जिनके द्वारा वह रुपया एकत्र होता है, जिनकी गाढ़ी कमाई से वह रुपया आता है लेकिन अगर माननीय कमलासिंह जी की कृपा करके इस संशोधन विधेयक को देखने का कष्ट करें तो उसमें है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या कार्यवाही की जा सकती है। उसमें लिखा हुआ है--"खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास के लिये बोर्ड द्वारा दिये गये किसी ऋण या अग्रिम धन या अनुदान के सम्बन्ध में यदि कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो उसे विधि द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।"

मान्यवर, प्रत्यक्ष यह कहा गया है और इस संशोधन विधेयक में स्वयं यह लिखा हुआ है कि विधि के अनुसार किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति को दंडित करने के लिये या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये प्राविधान है और उस रुपये को किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। अगर बकाया मालगुजारी के रूप में वसूल करने की बात इसमें है, तो हम इससे किसी को क्लीअरेंस सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहे हैं कि फिर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी । वह कार्यवाही हो सकती है और इस संशोधन विधेयक की विशिष्ट धारा के अन्तगत इसका प्राविधान है ।

हां, एक बात और है जिसकी तरफ और माननीय सदस्यों ने और बातों को कहते हुये जिक्र नहीं किया लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की बात तो है ही लेकिन मैं यह आवश्यक समझता हूं कि आज की समाज रचना में सरकारी अधिकारियों का भी बड़ा उपयोग । मैं इस राय का हूं और इस बात को ठीक समझता हूं कि उनका सहयोग, उन की सहायता और उनके परामर्श की बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां के सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और आस्था खादी और ग्रामीण उद्योगों में मान्यवर उतनी नहीं है जितनी कि हम अपेक्षा करते थे या जितनी कि होनी चाहिये । आज मैं भी समझता हूं और सदन भी इस बात को मानेगा कि हमारे हिन्दुस्तान में इस बेरोजगारी के जमाने में आज भी खादी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ।

आज भी ग्रोमोद्योग के द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है जो बढ़ती जाती है पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या और सरकारी अधिकारी इस ओर ज्वलन्त आस्था रखते हैं क्या उनमें यह आस्था तो नहीं बन चुकी है कि खादी आउट-मोडेड हो चुकी है जो हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद खादी का कोई महत्व रह ही नहीं गया है। अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो वे बहुत जोश से काम कर सकें, इस में संदेह होता है। आपने जो एक जगह प्राविधान रक्खा है कि पांच सरकारी अधिकारी इस की झलक देखते हैं। आप अगर इस अधिकार का सही प्रयोग करें तो आप ऐसे अधिकारी दे सकते हैं जिन की खादी में ज्वलन्त निष्ठा हो आस्था हो। अगर आप ने इस अधिकार को लेकर उसका उपयोग ठीक नहीं किया, उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं, हमें बहुत सशंकित भावना से नहीं देखना चाहिए। मैं माननीय उप मन्त्री जी से, जो यहां बैठे हुये हैं, यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की कोई व्यवस्था अवश्य करें कि जो अधिकारी आये वह ऐसा हो जिसको ग्रामोद्योग या विलेज इन्डस्ट्रीज में ही आस्था हो, विशेषतया जो सचिव आप नियुक्त करें जिसकी नियुक्ति का अधिकार इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार ले रही है वह सचिव एकमतित्व हो एक प्वाइन्ट हो जिसके चारों ओर इसका निर्माण हो और सरकारी अधिकारी जो समय-समय पर मीटिंग में बैठते हैं, वे, जहां तक हो सके, ऐसे हों, लेकिन वह व्यक्ति जिसको चौबीसों घंटे काम करना है वह ऐसा हो जिसको खादी का अनुभव हो जिसको खादी में आस्था हो और जिसको साथ ही साथ ग्रामोद्योग का भी अनुभव हो। इसमें इस प्रतिबन्ध का यह परिणाम हो सकता है कि

ऐसे ही आदमियों के आने में सहायता हो और सुविधा हो। लेकिन इस प्रतिबन्ध को एक सक्रिय प्रतिबन्ध के रूप में रखना चाहिये। आप को याद होगा कि गांधी जी जब शर्तों की बात करते थे तो वे उन के पालन की मजबूती भी देखते थे, क्योंकि उसी पर ही कार्यान्वयन निर्भर करता है। यह एक फारमेलिटी ही न रह जाय और इसका प्राविधान अगर रूल्स में हो सके तो कर दें और जो आदमी सचिव होगा वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति होगा जिसका अनुभव रहा है और जिसकी आस्था हो। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि और कोई धारा इस संशोधन विधेयक में है ही नहीं जिसका कि कोई महत्व हो। जो धाराओं का संकेत इसमें है उसमें यही धारा प्रभावी है। आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो इस लक्ष्य की ओर बड़ी हानि पहुंचेगी। आज अगस्त है और यह घोषित हुआ है कि १२ अगस्त तक सदन चलेगा और उसके बाद यह प्रश्न है कि हम नवम्बर दिसम्बर में कुछ दिनों के लिए बैठ पायेंगे। अगर यह प्रवर समिति के लिए जाता है तो उसके साफ माने यह हुये कि यह बिल फिर इस सदन में इस सेशन में नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो मेरा विचार है कि माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी की चाहे जो भी भावना रही हो पर उन्हें इसकी वास्तविकता की ओर भी विचार करना चाहिये। क्योंकि उससे अहित हो जायेगा और इसका परिणाम यह होगा कि जो प्रगति रुकी हुई है और जिसकी मांग दस साल से खादी कमीशन की ओर से हो रही थी और जिसको अब कठिनाइयों के बाद सरकार ने स्वीकार किया है, अगर ऐसा कहूं कुछ ज्यादती है, सरकार खुश होती इस बात से। सरकार में बड़ी निष्ठा रखने वाले लोग हैं, मशीनरी खुश होती अगर प्रवर समिति में देकर कोल्ड स्टोरेज में डाल दें और यह शैल्व हो जाय तो अच्छा है। लेकिन मान्यवर, प्रवर समिति को देने के माने होते हैं कोल्ड स्टोरेज में डाल देना। इसलिए मेरा विचार है कि इस सदन में जो वाद विवाद हो, उसके अनुसार रूल्स बनाये जायं, उसके अनुसार इस का कार्यान्वयन हो। अतः जिस रूप में यह संशोधन विधेयक पास हो उसी रूप में हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, अभी बाबू जगदीशशरण अग्रवाल जी ने, जिन को खादी बोर्ड और उसके कांस्टीट्यूशन के बारे में बहुत जानकारी है, उन्होंने बहुत सी बातें इस बिल के सम्बन्ध में प्रस्तुत कीं। उपाध्यक्ष महोदय, खादी पहनना हम लोगों के लिए एक कानून है, खादी हमको पहनना अनिवार्य है। इसलिए आप की जानकारी के लिए मैं कुछ बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। इस सरकार द्वारा करोड़ों रुपया इस खादी बोर्ड को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है लेकिन फिर भी खादी के प्रोडक्शन और उस के वितरण पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। गरीब जनता पर कर लगाकर, विधान सभा द्वारा यह पैसा खादी बोर्ड को दिया जाता है। यह बात ठीक है कि उसमें जिस किस्म के लोग काम करते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिये। लेकिन खादी के दाम पर कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिये। यह नहीं कि आज खादी का दाम १ रुपया है तो कल को किसी के दिमाग में यह बात आ गयी कि इसका दाम सवा रुपया होना चाहिये, और वह दूसरे ही दिन सवा रुपया हो गया। अगर सरकार का इस की प्राइसेज पर कोई नियन्त्रण नहीं तो या तो खादी पहनने पर प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिये लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस नियंत्रण को रखना चाहती है तो उस को खादी की कीमतों पर नियंत्रण रखना होगा। यह नहीं कि आज आचार्य विनोबा भावे की व्हिप घूम गयी, और खादी का दाम ४ आना बढ़ा दिया गया। इसके डायरेक्टर्स हवाई जहाज में सफर करते हैं। एक एक लाख रुपये की सम्पत्ति आज १५-१५, २०-२० हजार में बेची जा रही है। करोड़ों रुपये का दुरुपयोग खादी बोर्ड ने किया है। मैं समझता हूं कि इस के फाइनेंसेज पर कोई आर्डिनेंस जारी करके कब्जा होना चाहिये और उसके सारे एकाउन्ट्स की जांच होनी चाहिये। आज इस को कोई देखने वाला नहीं है कि उस ने किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया है आज तो वह ईस्ट इन्डिया कम्पनी बन गया है जिस पर किसी का काबू नहीं है। मैं आप के द्वारा मन्त्री जी से कहूंगा कि वह एक दो करोड़ की जितनी भी सहायता दे सकें वह दें लेकिन इस तरफ

[श्री बे० पी० मिश्र]

भी आप का ध्यान होना चाहिये कि खादी के दामों पर भी आप का काबू रहे और मनमाने तौर से दामों घटाने बढ़ाने का अधिकार आपको खादी बोर्ड से वापस लेना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी रेट्स की छानबीन कर के उसके प्रोडक्शन और वितरण की तरफ उचित ध्यान दें। चाहे मुख्य मन्त्री या मन्त्री जी उस के चेयरमैन हों, लेकिन अगर यह काबू न होगा तो आटोनामस बाडी के नाम पर जो यह करोड़ दो करोड़ रुपया बोर्ड को जा रहा है या खादी और ग्रामोद्योग को जा रहा है उसका क्या प्रयोग हुआ है वह आप देखें। हजारों रुपया फर्जी बांटा गया है, तेल घानी या कुछ भी वजूद में नहीं है, कोई काम उन का नहीं है, लेकिन वह ८-७ साल से पैसा मारे बैठे हैं, कोई वसूली नहीं कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं देखता, सुपरवाइजर ने लिख दिया, सिफारिश कर दी और कर्ज मिल गया। इस तरह से खैरात खाते में बोर्ड का लाखों रुपया पड़ा है। पहले उसकी छानबीन होनी चाहिये। चार्टर्ड अकाउन्ट्ट खादी बोर्ड के अकाउन्ट्स को क्या चेक कर सकते हैं? क्या आप ने कभी दो चार साल पहले खादी बोर्ड के हिसाब-किताब को अपने अकाउन्टेंट्स से चेक कराया, कोई आडिट कराया? कभी कोई रिपोर्ट मिली आप को कि वहां पैसे का दुरुपयोग है, तसाम घपला है, किसी अकाउन्टेंट ने खजाना और हिसाब वहां का देखा या बे नकेल काम हो रहा है आप का संस्था पर कोई काबू नहीं है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जितना पैसा आपने दिया है पहले आप उसका आडिट कराइये, हिसाब चेक कराइये, और बाद में बोर्ड को अब आप कोई पैसा दें। दामों पर काबू होना चाहिये, और उन पर आपका कन्ट्रोल होना चाहिये, अगर आप उन की सहायता करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि दामों पर आप का कंट्रोल न हो। आज हालत यह हो गई है कि यह कुरता आढ़े ४ रुपये गज की खादी का है, २२ रुपये की धोती और २७ की तारा जी की धोती आती है तो कैसे छोटा वर्कर गुजर करेगा। ढाई हजार रुपया साल में क्या होता है। श्रीमन्, आप भी इसके शिकार हैं, तिवारी जी खादी नहीं पहनते, उनके ऊपर कोई पाटी की पाबन्दी नहीं है माननीय कमलासिंह की भी कोई परीक्षा नहीं लेगा कि खादी पहनते हैं या नहीं लेकिन हम तो खादी पहनें तभी कांग्रेस में रह सकते हैं। इस मुसीबत में कांग्रेस पार्टी ही ज्यादा सफर करती है और श्रीमन्, आप भी इस मुसीबत में शामिल हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से कहूंगा कि वह दामों पर नियन्त्रण और काबू रखें। जितना पिछला पैसा बोर्ड को दिया गया है उसका आडिट कराया जाय।

खादी बोर्ड के सारे आडिट किये हुये एकाउन्ट सदन में पेश किये जायं और यदि प्राइसेज पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस के आगे क्या कह सकते हैं? श्रीमन्, यह मेरी ही राय नहीं है यह यहां के १०० या १५० कांग्रेस के सदस्यों की राय है भले ही वे मन्त्री जी के डर के कारण यहां पर न कहना चाहते हों। यह पैसा जो इस बोर्ड को दिया जा रहा है नाले में बह रहा है और जो पहले दिया जा चुका है वह तो बह ही गया है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से, आप के द्वारा, श्रीमन्, प्रार्थना करता हूं कि इस बोर्ड के डायरेक्टरों को, जो कि हवाई जहाजों पर सफर करते हैं, पूरे अधिकार नहीं मिलने चाहिये। खादी की प्राइसेज को कम नहीं कर सकते हैं। एक सूत कातने वाले मजदूर को ८ घन्टे काम करने के बाद मुश्किल से ८ आने, १० आने या १२ आने प्राप्त होते हैं। तो माननीय मन्त्री जी को चाहिये कि इन लोगों की वैजेज को बढ़ायें और ऊपर के खर्चे को कम करें और प्राइसेज को फिक्स करें। तभी इस बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है।

श्री हरीसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस सदन में उत्तर प्रदेश खादी तथा उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक १९६६ प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री जी से, आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्लाज और कानून की बात को छोड़िये। देश और प्रदेश में जब बापू जी ने खादी का प्रचार किया था तब इस प्रकार का कोई बोर्ड और इस प्रकार के कोई कानून नहीं थे तो आज क्या आवश्यकता हुई, क्या विशेष परिस्थिति

हुई कि सरकार द्वारा दिया गया जनता का करोड़ों रुपया इस ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा अपव्यय किया जा रहा है। पहले लोग बड़े से बड़े लीडर तू: कातते थे और अपनी पीठ पर गांठें लाद कर कार्य करते थे। उन को खादी के प्रति स्नेह और प्रेम था और वे प्रेमपूर्वक खादी को पहनते भी थे, लेकिन जब से इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है तब से इस में करोड़ों रुपया इस ग्राम उद्योग बोर्ड को सरकार द्वारा दिया गया है। यदि गांधी आश्रम के कार्यकर्त्ताओं और इस समय के कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों के वेतन को देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि जो वेतन सरकार के अफसरों को मिलता है वही वेतन इन के लोगों को मिलता है। अब वे लोग हवाई जहाजों से सफर करते हैं। मेरठ में जो गांधी आश्रम का एक सेन्टर है, और मैं ने स्वयं देखा है वहां के कार्यकर्त्ताओं को कि अधिक से अधिक वे लोग सेकिन्ड या थर्ड क्लास में सफर करते थे। पर आज वे लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं जिसका नतीजा यह है कि आज हमें ७०–७२ रुपये की एक-एक धोती मिलती है। एक ओर तो उन को देखिये जिन्होंने अपना सारा जीवन जेल में बिता दिया और उन्हें धोती भी नसीब नहीं और दूसरी ओर आप इन कार्यकर्त्ताओं को देख लीजिये जो इस बोर्ड में काम करते हैं।

गांधी आश्रम के कार्यकर्त्ता को १०० रुपये माहवार मिलते हैं और वहां मिलते हैं २५० रुपये माहवार तो खादी से प्रेम कहां रहे? इस सरकार ने गांधी आश्रम या खादी आश्रम संघ में जो रुपया व्यय किया है, उसका जो दुरुपयोग हुआ और जो गबन हुये उसकी कोई आवश्यकता न पड़ती और उनके कार्यकर्त्ताओं के द्वारा ही खादी का प्रचार भी होता। हुआ बिलकुल उल्टा और उसका कारण है। जो सूत कतनी चर्खे से कातती हैं उनको इतने पैसे नहीं मिलते जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। हां जो जुलाहे हैं वे जरूर २००, ३०० रुपये महीना कमा लेते हैं क्योंकि वे लोग दस्तकार थे और पैसा पैदा करना जानते थे और आज उनकी खादी की बदौलत बसें चल रही हैं, लेकिन एक भी कतनी की झोपड़ी भी बनी हो तो मुझे दिखला दी जाय। जो खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुई और इसके जो सदन खुले और उसमें जो गबन हुये उससे गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा और न कोई गरीब आदमी सर्विस में ही रखा गया। बड़े-बड़े लोग उसमें रखे गये। गरीब लोग तो गांठ ढोने के लिये ही रखे गये हैं और ७०० अथवा ८०० वेतन पाने वाले नहीं है। कई सदस्य इस आदरणीय सदन के भी है जिनको केवल भत्ता ही २०० रुपये माहवार मिलता है। यह है आपका खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड।

खादी की बिक्री का प्रबन्ध जरा देखिये। हर कांग्रेस मैन को खादी पहनना अनिवार्य है जबकि आज खादी की धोती की कीमत ५ रुपये से बढ़ कर १६ रुपये हो गयी है और साड़ी की कीमत ७ रुपये से बढ़कर २५ रुपये हो गयी है। चाहे रहने को झोपड़ी न हो, बच्चों को पढ़ाने के लिये देने को फीस न हो, खाने को रोटी न हो, लेकिन खादी पहननी होगी और दूसरी ओर सरकार की इस खादी योजना के फलस्वरूप करोड़ों रुपये लोग खा गये और खा रहे हैं और उसके लिये आप यह संशोधन बिल ला रहे है। हमारे जगदीश जी भी कानून हांक रहे हैं। आप यह तो बतायें कि इस बोर्ड का काम क्या है? आप खायें या मैं खाऊं। सिवाय गांधी आश्रम को छोड़ कर कोई गरीबों का भला हुआ हो तो एक आध उदाहरण तो प्रस्तुत कीजिये जिससे हमें संतोष हो कि इस प्रदेश के रुपये का कहीं सदुपयोग हुआ है। श्रीमन्, जो वकील लोग हैं उनके सामने तो बिल चाहिये। कानून आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जाकर देखिये तो। आपने कभी खादी पहनी नहीं, कभी उसका रंगना नहीं देखा और खादी क कानून बना रहे हैं। हमारे ठाकुर साहब है जिनका सारा जीवन चरखा कातते चला गया, जो स्वयं खादी कातते हैं। एक और एम० एल० सी० थे वे स्वयं खादी कातते थे। इन दो व्यक्तियों को तो हम जानते हैं कि ये खादी के ज्ञाता है। ठाकुर साहब यहां विराजमान है, अपने हाथ से काते हुये सूत का कुरता पहने हुये है। श्रीमन्, खादी से प्रेम उन्हें है, मैं क्या जानूं? कमलासिंह जी जो विरोध कर रहे हैं कि प्रवर समिति में भेज दो, उसमें खादी के पंडित आयेंगे, तो खादी के पंडित तो इस सदन के सदस्य के भी नहीं हैं, दो चार को छोड़ कर। उनका तो सूत कातते जीवन चला गया, कैसे वे इस सदन के सदस्य बन सकते हैं। खादी तो हमारे देश की वेश भूषा है, लेकिन

[श्री हरीसिंह]

करें क्या ? जो धोती पांच रुपये की थी वह १८ रुपये की हो गयी है। जो दो आने गज कपड़ा मिलता था वह सात रुपये गज में मिल रहा है। जब पूछते हैं कि इतनी महंगाई क्यों तो कहते हैं कि कतनियों को दिया जा रहा है। अरे, कतनियों की हालत तो चल कर देखिये कि क्या है। अम्बर चर्खे को देखिये। लाखों रुपये ठेकेदारों ने कमा लिये, लेकिन चल कर देखिये कि अम्बर चर्खे की आज क्या हालत हो रही है। यह है हमारी सरकार की योजना।

आज अगर मंत्री जी उसके प्रेसीडेंट बनते हैं तो फिर भगवान ही जाने। जो लोग खादी के ज्ञाता है वे बतायें कि इसमें क्या क्या बुराइयां है। खाली प्रवर समिति में जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम और आप खादी के बारे में क्या जानें। हम तो यों जानते है कि हम गांव में रहते है। आज खादी ग्रामोद्योग की लाखों रुपये की बिल्डिंग्स हैं जबकि गांधी जी की खादी का प्रसार झोपड़ियों से हुआ था। आज आप असफरों को भी कहते हैं कि तुम्हें भी खादी जरूर पहननी होगी। खादी कोई जबर्दस्ती की चीज थोड़े ही है, वह तो प्रेम की चीज है। खादी में हमारे देश की स्वतन्त्रता निहित है।

श्री कमलासिंह यादव—

आप चाहते हैं कि खादी को तोड़ दिया जाय।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब कमलासिंह जी खादी के बारे में कुछ नहीं जानते तो कुछ कहने के बजाय खामोश रहें। आप वकील हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जनता वकील को किस शब्द से पुकारती है वह मैं जानता हूं। खादी के बारे में आप कुछ नहीं जानते और मैं भी कुछ नहीं जानता।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, आप भी वकील हैं। आपको किस दृष्टि से....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपको कोई बात कहनी हो तो कहिए।

श्री हरीसिंह—

अब मैं आप को बताऊं कि जनसंघी क्यों इसका विरोध करते हैं। इस की वजह है। कांग्रेस ने एक चीज हमको सिखाई है कि जो सत्य है उससे कभी मत डरो और झूठ का हमेशा विरोध करो। लेकिन ये लोग दोनों में से किसी को नहीं समझते हैं। खादी इन्होंने कभी देखी नहीं है। उद्योग विभाग के मन्त्री इसके प्रेसीडेंट होंगे इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। खादी बोर्ड के सेक्रेटरी को चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी पे दी जाय, लेकिन उस पर सरकारी आदमी को रखा जाय। किसी पब्लिक के आदमी को न रखा जाय। खादी बोर्ड से जनता परेशान है। गांधी आश्रम में कुछ ईमानदारी है, लेकिन अगर यही हालत रही तो इसकी भी धीरे-धीरे वही स्थिति हो जायगी जो खादी बोर्ड की है। खादी उद्योग के सदनों की हम कहानी सुनायेंगे तो आप लोगों को पीड़ा होगी। इससे एक भी गरीब को लाभ नहीं हुआ है क्योंकि पैसे वाले हर चीज में घुस जाते हैं। वह चाहे गबन करें लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इंक्वायरी करायें कि कितना रुपया खादी बोर्ड का इन लोगों के पास है। इसमें जो बड़े-बड़े नेता हैं उनकी क्या हालत है। इसकी ऐसी हालत है कि यह कोई कार्य सफलता को प्राप्त नहीं कर सका।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि खादी बोर्ड के सेक्रेटरी के पद पर किसी सरकारी अधिकारी को रखा जाय वरना इस संशोधन का कोई अर्थ नहीं होगा। उन की जिम्मेदारी होगी। उनसे हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन इन नेताओं से कुछ नहीं कह सकते। जिनको सहायता दी गई है उनकी क्या हालत है? इसके द्वारा आज तक एक भी इंडस्ट्री इतने बड़े स्केल पर नहीं चल सकी जैसी कि इन लोगों की खुद की चल रही हैं। वही हालत हो रही है जो करघों की हो रही है। प्रवर समिति में देने का प्रस्ताव बेकार है क्योंकि वे जो खादी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सिवाय कांग्रेसियों के खादी के बारे में और कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं और इसमें जो संशोधन रखे गए हैं, उनका विरोध करता हूं। हम इसे देखें कि यह विधेयक किसलिए लाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि खादी कमीशन ने यह निश्चय किया, गवर्नमेंट से कहा कि खादी बोर्ड के कार्य संचालन में जो हाथ उद्योग निदेशक का होता है उसको अलग कर दिया जाय। अभी तक खादी बोर्ड के सारे कार्य का कार्य-संचालन उद्योग संचालक द्वारा होता था। मैं समझता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की दिशा में यह एक अच्छा कदम है। यह असरकारी हाथों को मजबूत करने की तरफ एक कदम है। इस संशोधन को लाने के लिए, जब यह संशोधन विधेयक लाया गया तो इसमें सरकार ने और भी बहुत से संशोधन जो उसने संगत समझे, रख दिए। मैं जब पूरे बिल को देखता हूं तो एक परिणाम पर पहुंचता हूं कि जो पहले खादी बोर्ड काम करता था और बाद में जो काम करेगा, उसमें उसके कार्य बढ़ जायेंगे और उसके अधिकार बहुत बढ़ जायेंगे। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। हम जब कोई काम सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों से कराते हैं तो खास कर के विरोधी दल के माननीय सदस्य और हम लोग भी उनकी टीका-टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि यह लोग बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं जनता की मुसीबतें नहीं समझते हैं, आदि आदि। और जब कभी हम यह करते हैं कि असरकारी आदमियों के हाथों में काम देते हैं तो यह कहा जाने लगा कि सरकारी आदमियों के हाथों में दिया जाय, यही ठीक है, तो इस ओर हमारा एक निश्चित सिद्धान्त होना चाहिए। क्या सरकारी और असरकारी सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं? यदि ऐसा है, तो कोई काम कैसे चल सकता है? तो मैं इस विधेयक का विशेष रूप से इसलिए स्वागत करता हूं कि इसमें खादी बोर्ड के हाथ मजबूत किए गए हैं, उसको अपने काम को चलाने में अधिक शक्ति दी गई है।

इसमें पहला संशोधन यह है कि उद्योग मन्त्री इसके सभापति रहेंगे। मैं समझता हूं कि इससे खादी बोर्ड का स्टेटस बढ़ेगा। किसी भी बोर्ड का अध्यक्ष यदि उस विभाग का मन्त्री बना दें तो यह साधारण सी बात है कि उसका स्टेटस बढ़ा, अधिकारी भी उसका सम्मान करेंगे और हर एक उसका सम्मान करेगा। उसको कार्य में भी सुविधा होगी।

अन्य जिन संशोधनों के बारे में यहां चर्चा हो चुकी है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें एक संशोधन यह भी है कि १० हजार रुपए तक की माफी हो सकती है और एक हजार रुपए तक की एक आदमी को माफी हो सकती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई जो माफी की व्यवस्था है वह ठीक कैसे नहीं है। कहा गया कि जो माफी हो वह सरकार करे और इसमें उन्होंने मद्रास प्रदेश का उदाहरण भी दिया। १० हजार रुपए तक की माफी की तो हर विभाग में विभाग के सचिव कर सकते हैं और खादी बोर्ड तो इतना बड़ा बोर्ड बनाया गया है और उसका मन्त्री उद्योग का सभापति बनाया गया है, वह न कर सके, तो मैं इसे एक विडम्बना ही समझता हूं।

एक सदस्य—

माफी ही क्यों की जाय। इसकी आवश्यकता क्यों पड़े?

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

मैं भी आप में से हूं। हम सब लोग माफी के लिए मिनिस्टरों का दरवाजा देखते हैं और उस समय हम सब कायदे कानूनों को भूल जाते हैं। कभी-कभी उनकी मजबूरियां होती हैं। यह माफी अधिक नहीं है, साल भर में १० हजार नियत किया गया है, जो बोर्ड वर्ष में करोड़ों रुपए का काम कराएगा। तो वह १० हजार रुपया माफ करने का अधिकार लेता है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

इसमें एक बात का और प्राविधान किया गया है कि इसमें रुपए की वसूली के लिए यह व्यवस्था कर दी गयी है कि इसके रुपए की वसूली मालगुजारी के रुपए की वसूली की तरह से की जायगी। इसमें वही नियम और व्यवस्था लागू होगी। सरकारी रुपए की वसूली में जो ढील होती है उतनी अन्य किसी प्रकार की धनराशि की वसूली में नहीं होती और सरकार का वही रुपया वसूल होता है जो मालगुजारी के तरीके से वसूल होता है।

अब इसके कांस्टीट्यूशन की बात है। एक बात स्पष्ट हो गयी है कि इसमें बहुमत गैरसरकारी सदस्यों का होगा। मैं चाहता हूं कि सदस्य नामांकित हों। यह नहीं होना चाहिये कि २ वहां से लिये जायं और २ वहां से लिये जायं, जो सरकारी सदस्य हों, नामांकित हों। हां, यह जरूर है कि जिनका जीवन उसमें लगा हो या जिनको अभिरुचि हो उनको रखा जाय। सचिवों के नामांकन के विषय में भाई जगदीश शरण जी ने कहा कि उन्हीं को उसमें रखा जाय जिनकी उसमें आस्था हो यह तो ठीक है न लेकिन मैं इसमें इतना अवश्य कहूंगा कि इसमें उन सचिवों को अवश्य होना चाहिये जिनके विभाग का ताल्लुक इसके संचालन से हो। जैसे वित्त सचिव, या उद्योग विभाग का सचिव उसमें अवश्य होना चाहिये जिससे रुपया यदि लेना हो या कोटा लेना हो तो रुकावट न पड़े।

खादी का मूल्य भी चर्चा का विषय बन गया है। मैं स्वयं खादी पहनता हूं और जानता हूं कि उसका मूल्य बढ़ गया है। लेकिन आज से ४० वर्ष पूर्व जब मैं खादी पहनता था तब खादी के मूल्य में और विदेशी कपड़े के मूल्य में जो अनुपात था आज उससे ज्यादा नहीं है। उस समय भी खादी उन कपड़ों के मुकाबले में महंगी पड़ती थी। जहां तक उसके मूल्य निर्धारण की बात है वह डिमांड और सप्लाई के इकनामिक सिद्धांत पर कभी आधारित नहीं रहा। गांधी जी ने कभी इसको आर्थिक सिद्धांत पर नहीं चलने दिया। अगर आर्थिक कैलकुलेशंस पर चलता तो हम लोग खादी नहीं पहन सकते थे यह दूसरी बात है कि आज आप विदेशी कपड़ों में कमी करके बुशर्ट पहनने लगे हैं लेकिन पहले कोट, कमीज, टोपी आदि पहनते थे और खादी के कुरते से हम काम चला लेते थे लेकिन यह सब होते हुये भी खादी उस समय महंगी पड़ती थी। पुराने माननीय सदस्य जानते हैं कि मूल्य निर्धारित करने का सिद्धांत यह रहा है कि कत्तिनों और बुनकरों को उचित पारिश्रमिक मिल जाय। गांधी जी ने कहा था कि अगर उनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता तो वह खादी खादी नहीं है। मिश्र जी ने कहा कि ७ और ८ घंटों तक काम करने के बाद अगर ८ आना उनको मिले तो यह शोषण है और वह खादी, खादी नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि यह विनोबा जी की ह्विम्स हैं तो खादी तो गांधी की ह्विम्स थी गांधी जी की बात जरा पहले समझ में नहीं आती थी। जिस समय नमक सत्याग्रह चला तो एक माननीय नेता ने उनसे यह पूछा था कि "आर यू इन अर्नेस्ट" वह पहले समझ नहीं सकते थे कि क्या मकसद है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती थी तब मालूम हो जाता था। तो मूल्य निर्धारण के लिये भी विनोबा जी ने क्या किया कि कत्तिनयों और बुनकरों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया और कार्यालय का व्यय कम कर दिया। अब अगर इससे कुछ मूल्य बढ़ गया तो हम क्या करें ? वह तो होगा ही।

एक सिद्धांत और है और वह यह है कि अगर हम कातेंगे नहीं तो खादी चलेगी नहीं। मैं हाथ खराब होने की वजह से कातता नहीं हूं, पहनता अवश्य हूं, लेकिन यह कह सकता हूं

कि जो कातने वाला है उसको खादी रुई के मूल्य में पड़ जायगी। इससे ज्यादा सस्ती और क्या हो सकती है, लेकिन हम बात भी नहीं, हमारी आस्था भी नहो, हम ज्यादा पैसा भी न देना चाहें और दोष महंगे होने का देते रहें इससे तो काम चलने वाला है नहीं।

एक बात मैं कहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से कह देना चाहता हूं कि संचालन इसका संतोषजनक नहीं है। संचालन किसी सरकारी कार्यालय के काम का ठीक न हो तो केवल एक भय है कि रुपया वेस्ट होता है क्योंकि सब जानते हैं कि यह तो चलता ही रहता है, लेकिन खादी का काम करने वाले सेन्टर्स के लिये भी यही रेपुटेशन अगर हो कि ऐसे ही चलता रहता है तो वह बहुत बुरा है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैं खादी का काम नहीं करता लेकिन मेरी तहसील हसनपुर में सबसे ज्यादा खादी के सघन क्षेत्र खुले हुये हैं। जितने क्षेत्र वहां हैं वह तमाम प्रदेश और तमाम भारत में किसी एक तहसील में नहीं होंगे। आज हजारों की तादाद में अम्बर चरखे हमारे क्षेत्र में हैं। और वह बेकार पड़े हुये हैं यदि आप चाहें तो १० रुपये और ५ रुपये में मिल जायेंगे। मैंने भी एक चरखा मंगवाया और कार्यकर्त्ता से यह मैंने जरूर कह दिया कि जो काम में लगा हो वह मत लेना। वह मैंने केवल कहने व दिखलाने के लिये ही मंगाया था। मैं कात नहीं सकता। लेकिन इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया बेकार चला जाय यह ठीक नहीं है। खादी के काम को कैसे बढ़ाया जाय इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार एक मूल्यांकन समिति का निर्माण करे जो खादी के काम को देखे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, सवेरे यह बात आयी थी कि ४ बजे से छितौनी बांध पर विवाद चले। इसलिये इसको इस समय यहीं रोक दिया जाय और माननीय जगदीश प्रसाद जी अपना भाषण कल जारी रख लें और छितौनी बांध वाला आइटम अब ४ बजे से ले लिया जाय।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसके बीच में आप देखें कि एक आइटम और है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह ठीक ५ बजे पेश होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

वह ५ बजे हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या उद्योग मंत्री जी इस बात पर राजी हैं कि इस वक्त छितौनी बांध पर विवाद शुरू हो जाय और जितना टाइम इसमें लग जाय वह लगता रहे और ५ बजे वह १२ वाला आइटम पेश हो जायगा।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वह ५ बजे पेश होने की बात है तो वह उस समय बीच में हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो यह तय हुआ कि आज यह विवाद मुल्तवी हो जाय और माननीय जगदीश प्रसाद जी का भाषण कल के लिये जारी रहे। इस वक्त छितौनी बांध पर विवाद शुरू हो जाय और ठीक ५ बजे वित्त मंत्री अनुपूरक बजट को प्रस्तुत कर दें।

छितौनी बांध के टूटने के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन में २६ जुलाई को छितौनी बांध पर माननीय सिंचाई मंत्री का बयान हुआ नियम ५२ के अन्तर्गत । इस पक्ष की ओर से और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के द्वारा बहुत तथ्य जानने की कोशिश की कि छितौनी बांध पर ३।। मील पर भूरिहारी के पास कैसे टूट हो गई । माननीय मंत्री जी ने स्वयं और माननीय रामनारायण पांडेय जी ने उत्तर यहां पर दिये मगर जो जवाब अधर से आये वह संतोषजनक नहीं थे । इसलिये नियम ५३ के अन्तर्गत हमने और हमारे साथियों ने यह दिया जो आज यह चर्चा का विषय आया । कब्ल इसके कि और बातों को कहूं मैं उसकी कुछ पृष्ठभूमि को बता दूं । छितौनी का बांध मिट्टी का बांध है । १४ मील लम्बा यह बांध १४ लाख में बना । पहले एक मील फिर दो मील और फिर किसी ने कहा कि ३ मील बने, फिर कहा कि ४ मील बने, इस तरह से यह १४ मील बन गया और गंडक नदी के पेटे में यह बांध बना । सन् ५३ से ६५ तक यह बनता रहा । इस बीच इस बांध पर १ करोड ६० लाख रुपया खर्च हुआ । १४ मील लम्बे बांध पर १ करोड़ ४६ लाख खर्च हुआ और कुछ मरम्मत पर लगा । एक ताल है जिसकी मरम्मत पर ५० लाख रुपया खर्च हुआ । यह बहुत ऊंचा ताल है । चीफ इंजीनियर गये उन्होंने कहा कि छितौनी बांध बनना बहुत जरूरी है । यह १९५३ की बात है । यह भी उनका विचार था कि नदी के पेटे में बना दिया जाय । यह हुक्म दिया । तो सन् १९६० में चीफ इंजीनियर जे० एस० गुप्त गये तो उन्होंने यह बयान दिया गोरखपुर में बांध के निर्माण के बाद कि सन् ५३ में अगर मैं चीफ इंजीनियर होता तो इस बांध को बनने का आदेश न देता । यह बांध गलत बन गया है । बनना नहीं चाहिये था । उन्होंने यह कहा । दो-दो चीफ इंजीनियर आये और कई एक्जिक्यूटिव इंजीनियर आये और बयान हुये । आज ८ अगस्त तक इस बांध पर हमारे बहुत से इंजीनियर और ओवरसियर आते रहे और खाते कमाते रहे । उस दिन मैंने कहा था कि यह खाऊ कमाऊ बांध है । जो गया वह खाता कमाता रहा । तो इस प्रकार छितौनी बांध पर सरकार का एक करोड़ ६० लाख रुपया खर्च हुआ । इस बांध में कितनी ही बार टूट हुई । एक बार १९६४ में टूट हुई, एक बार ५९ में टूट हुई और मरम्मत में पैसा खर्च होता रहा । सिंचाई विभाग के बड़े अफसर और मंत्री लोग सोचते रहे, लेकिन उन्होंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि आखिर किस कारण ये बांध बार-बार टूट जाता है और इस पर सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी और इसका नतीजा यह हुआ कि हिमालय की तराई में जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जाता रहा, पानी में बहाया जाता रहा ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि यह बांध खाऊ कमाऊ है यह मैंने उस दिन कहा था । आज कहता हूं कि यह पोलिटिकल बांध है, राजनीतिक बांध है । सन् १९५२ में चुनाव के सिलसिले में मंत्री लोग उस इलाके में गये । वहां कुछ विरोधी दल काम करते थे । मंत्रियों से लोगों ने कहा कि आप कुछ काम करते नहीं और वोट मांगने आते हैं । उस पर जब मंत्रियों ने काम करने का आश्वासन दिया तो लोगों ने बतलाया कि वहां पर नारायणी नदी उन के लिये बड़ी तकलीफदेह है । राप्ती में पानी का बहाव एक सेकेंड में १ लाख क्यूजेक्स है, घाघरा में एक सेकेंड में ३ लाख क्यूजेक्स है, लेकिन नारायणी का डिस्चार्ज एक सेकेंड में सात लाख क्यूजेक्स है । केवल ब्रह्मपुत्र इससे बड़ी नदी है जिस में एक सेकेंड में डिस्चार्ज साढे सात लाख क्यूजेक्स है । ब्रह्मपुत्र के अलावा हिन्दुस्तान की और कोई नदी ऐसी नहीं है जो नारायणी जैसी खतरनाक हो । उस के पेटे में यह बांध बना दिया गया । लोगों ने कहा और वहां बांध बना दिया गया । तो वह बांध ५३ में बना और उस की कमायी यह ६३ तक खाते रहे, लेकिन आगे वह पचा नहीं । इसका कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह है कि पहले तो एक एक्सपर्ट कमेटी गयी । उस ने वहां जा कर बांध का इलाका देखा । लेकिन उस बारे में कोई विशेष जांच नहीं हुई । फिर १९६४ में हमने विधान सभा में सवाल उठाया और उस के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट करे कमेटी बनायी और उसने जांच करके कहा कि यह बांध गलत जगह पर बना है । यह बांध छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बनाया जा सकता । यह बांध नक्शे से काट कर दूसरा बांध बनाया जाना चाहिये और उस ने बतलाया कि १ करोड़ १७ लाख रुपये अगर मिल जाय तो एक नया बांध बनाया जा सकता है ।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या कारण था कि जब आप करोड़ों रुपया योजनाओं पर खर्च करते हो तो देवरिया की २३ लाख जनता को बचाने का यत्न क्यों नहीं करते और इसके लिये आप ने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के फैसले को क्यों नहीं माना ? आप ने कहा कि योजना में सारे हमारे पैसा नहीं है और आप ने कहा कि हम मरम्मत करने के लिये एक लाख रुपया देते हैं । २८ जून से १ लाख में रुपया क्रेट और बोल्डर के लग गया । स्टाक में केवल ५ मन जाली भी लेकिन उस का जाल बना कर आप ने एक लाख रुपया के बोल्डर डाल दिये ९ जुलाई तक और १२ जुलाई को भेड़ीहारी पर एक सौ गज की लम्बाई में वह बांध उस के बाद भी टूट गया और आज वह टूट ४ फर्लांग की हो गयी है । जो पानी पहाड़ से आता है वह सब उस टूट द्वारा देवरिया में आ रहा है । आप के सिंचाई मंत्री और गेंदा सिंह जी और स्थानीय एम० एल० ए० वहां गये थे, और उन्होंने जा कर उसे देखा । मंत्री जी ने उसे देख कर कहा कि इस में इस समय तो कुछ नहीं हो सकता । हम लखनऊ में चल कर फाइल देखेंगे । जिस दिन यह सब किया गया उस दिन ३ फर्लांग टूट थी, आज ४ फर्लांग हो गयी । मैं कहना चाहता हूं कि ये वह गांव हैं जिनकी आज ऐसी बुरी दशा हो गयी है कि क्या बतलाऊं । वे गांव हैं मैड़िहारी, सिसई, दधीचि, सिसवागोपाल, मैंसल, पकड़ी बृजलाल, हनुमानगंज, खलंरंजीता, भगवानपुर, गांधीम ठिया, गरि हवा, जंगल नौतार। ये वह गांव हैं जिनकी सारी जमीन, सब मकानात, पक्के मकान बरबाद हो गये हैं और कम से कम ३०–४० हजार जहां के लोग बेघर बार हो गये । पानी इतना बढ़ा कि नारायणी का पानी खड्डा ताल में घुस गया और उसी के बगल से ६०० फीट की दूरी पर जो खजूरिया ब्रांच है पश्चिमी गंडक नहर की, उसके लिये बड़ा खतरा है कि अगर यह पानी पश्चिमी गंडक नहर में पहुंच गया तो उत्तर प्रदेश का ६० करोड़ और बिहार का ६२ करोड़-यानी १२२ करोड़ का जो प्रोजेक्ट, पश्चिमी गंडक नहर योजना वह आज बरबाद होने जा रही है । मंत्री जी, आपने बांध गलत बनाया है और उसको तोड़ा, उसमें खूब आपने खाया, कमाया । मैं बराबर कहता रहा हूं कि यह छितौनी बांध अगर टूटेगा तो खतरा है कि पश्चिमी गंडक में नारायणी नदी घुस जायगी और गंडक नहर भी नरायणी नदी बन जायगी और इस प्रकार १२२ करोड़ का प्रोजेक्ट खत्म होने जा रहा है ।

अभी मंत्री जी जांच में गये । उन्होने कहा कि अभी यहां तो कुछ नहीं हो सकता है, हम फाइल देखेंगे । केवल १, १७ लाख का खर्चा था जो कि गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की समिति ने सिफारिश की थी, उसके पहले कहने पर आपने नया बांध नहीं बनाया और आज नतीजा यह है कि छितौनी बांध की टूट के अन्दर इतना बड़ा जुआ आप खेलने जा रहे हैं, यह १२२ करोड़ रुपये का जुआ होगा । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे सरकार रहे या चली जाय, चाहे आप भीख मांगें, अमरीका जायं या जरमनी जायं, हमसे कोई मतलब नहीं है । आपको १२२ करोड़ का प्रोजेक्ट बचाने के लिये और २३ लाख जनता को बचाने के लिये जो कि देवरिया की है, बांध को बनाना ही पड़ेगा । (लाल बत्ती होने पर) मुझे पांच मिनट और दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

१५ मिनट हो गये । आप दो मिनट और बोल लें ।

श्री उग्रसेन––

२ मिनट में क्या बोलूंगा । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अखबारों ने, टाइम्स आफ इंडिया, पायोनियर, नवजीवन, स्वतंत्रभारत, नैशनल हेरल्ड सभी ने लिखा कि जांच होनी चाहिये

[श्री उग्रसेन]

और आज भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं । अगर आप जांच नहीं बैठाते तो यह केवल रुपये का ही खतरा नहीं है बल्कि यह सरकार खतरे में है, सरकार की इज्जत खतरे में है । कामेश्वर स्वरूप ओवरसियर ने १,६० लाख रुपया कमाया और बलिया में सीता भवन बनाया है । देवेन्द्र कुमार ओवरसियर ने बोरों में गड़बड़ी की और २ लाख रुपया कमाया और इस तरह से वहां स्टाफ को ७ लाख की कमायी हुई । साथ ही चौधरी गिरधारी लाल भी खाये ह, यह मैं स्पष्ट कह रहा हूं । चौधरी साहब, यह जरूरी नहीं है कि कानून की विशुद्ध परम्परा में कि सरकार न्याय प्रिय हो, लेकिन जनता समझे कि सरकार ईमानदार है । तो जनता तो आपको बेईमान समझती है । १,६० लाख रुपया खाया है और मेरी मांग है कि किसी हाई कोट के जज को इंक्वायरी बैठाकर चौधरी गिरधारीलाल के कंडक्ट की जांच करायी जाय । या तो इंक्वायरी चौधरी गिरधारीलाल के खिलाफ बैठायें या मैं मांग करता हूं कि सुचेता कृपालानी उनको अपने कैबिनेट से निकाल दें । अगर वास्तव में वह जनतंत्र को यहां उत्तर प्रदेश में फलते फूलते देखना चाहती हैं तो आवश्यक है कि मंत्री ईमानदार हों । अगर ईमानदारी साबित कराने के लिये न्यायिक जांच नहीं बैठाते तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिये । जब इंजीनियर मना करते हैं तो नदी के पेट में बांध क्यों बनाया ? जहां पर यह बांध बंधा है उसके नीचे ३२०० फीट बालू है । उस बालू पर यह बांध बनाया गया है । इसको इंजीनियरों ने जानबूझ कर बनाया, मंत्रियों के कहने पर, मंत्रियों ने सोचा चलो वोट मिल जायेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि जब यह बांध बना तो उसके पूर्व उसके नीचे के लेयर की जांच की गयी या नहीं की गयी ? जैसे डिमान्ड और सप्लाई की सर्किल चलती है, उसी तरह से इनकी भ्रष्टाचार और लूट की सर्किल चली है । मैं कहता हूं कि इतने लाख रुपये बरबाद होने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? देवरिया में २३ लाख आदमियों का जीवन खतरे में डालने की जिम्मेदारी किसकी है ? मेरी मांग है कि हाई कोर्ट के किसी जज से न्यायिक जांच इसकी करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त ।

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालूम यह होता है कि इस छितौनी बांध के संबंध में कुछ भ्रम माननीय सदस्यों को हो गया है । दफा ५३ में जो प्रश्न लिखे हैं, मैं एक एक का उत्तर दूंगा, बालू के ऊपर बांध बनवाने की बात कही गयी है । प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में यह बांध है ? और अगर बांध नहीं है तो यह किस प्रकार और किस कार्य के लिये बनाया गया ? श्रीमन्, इसको बांध नहीं, वरन् यह एक इम्बैंकमेंट कहा जा सकता है । यह कैसे बना ? १८६० के करीब नारायणी का कोर्स दूसरी तरफ था । जो माननीय सदस्य हैं वे जानते होंगे कि रेलवे लाइन के बाहर की तरफ बाढ़ का कोर्स था । हर बरसात के बाद बाढ़ का पानी बहुत से रेत और कटरी आदि छोड़ जाया करता है । कभी-कभी चिकनी मिट्टी भी इस बाढ़ के पेट में बहती है और वह जमा हो जाती है । उसी से बचाने के लिये इम्बैंकमेंट के रूप में यह कार्य प्रारम्भ किया गया । जिस समय यह प्रारम्भ किया गया तीन साढ़े तीन मील का टुकड़ा था जिस पर यह कार्य प्रारम्भ किया गया । (व्यवधान) ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

माननीय सिंचाई मंत्री जी अब आ गये हैं, उनसे कहिये कि वे जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वे गवर्नमेंन्ट की तरफ से जवाब दे रहे हैं ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैं श्रीमन्, जवाब दे रहा हूं, मैंने इसको डिटेल से अध्ययन किया है । टैक्निकल स्तर से भी इसको देखा है । तो मैं कह यह रहा था कि उस समय यह कार्य प्रारम्भ हुआ । जैसा कि श्रीमन् जानते हैं, कितनी शक्तिशाली नदियां हैं वहां पर जहां कि ७ लाख क्यूसेक्स तक पानी बह जाता है । आगे चल कर १२ और १६ लाख तक नदी पहुंच जाती है । इतनी बड़ी नदी और इतनी बड़ी नदी के पानी का जब दबाव इतना हो और जो नदी बराबर अपना कोर्स बदलने वाली हो वह उनके लिये बड़ा भयंकर दृश्य होता है । नदी का प्रभाव केवल एकसिरे पर नहीं पड़ता बल्कि नीचे वाल की खाई उसकी नींव गहराई करने के हिस्से में पड़ता है और यही वह स्थिति है जो बड़ी खतरनाक स्थिति है और उस स्थिति में यदि सैकड़ों फीट नीचे तक पक्की नींव न बनायी जाय तो....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री की बतालाने कि कृपा करेंगे कि एक क्यूजेक में कितना गैलन पानी होता है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

एक क्यूबिक पानी एक सेकेंड में जितना बहता है वह एक क्युजेक होता है। एक सेकेंड में ७ लाख क्यूबिक फीट पानी बहता है । यही पानी की एक नाप है अब आप इसे चाहे गैलन में नाप ले या किसी प्रकार से नाप लें । जहां पानी का इस प्रकार से बहाव हो वहां बांध न होकर केवल इनबैंकमेंट हो तो उस बहाव को रोकना मुश्किल ही नहीं असम्भव भी हो सकता है । वहां इम्बैंकमेंट बना है । उसके बनने के पीछे जैसाकि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं बाहर उसने दाहिनी तरफ की जमीन है वह खाली है । उस जमीन में पानी भरता था और भरता ही नहीं था बल्कि वहां यह भय उत्पन्न हो गया था कहीं रेलवे लाईन न बह जाय । उस रेलवे लाइन के अलावा जो वहां चीनी मिल है उसको भी बड़ा खतरा था । ऐसी स्थिति में जब इम्बैंकमेंट प्रारम्भ हुआ था तो उसके बाद नदी बराबर कभी इधर कभी उधर बढ़ती रही । दाहिनी तरफ जब नदी बढ़ी तो उससे यह महसूस होने लगा कि कहीं इम्बैंकमेंट बह न जाय । तीन साढ़े तीन मील तक इम्बैंकमेंट बना, फिर यह महसूस हुआ कि कहीं यह बह न जाय तो ६-७ मील ऊपर और ३ मील के लगभग नीचे तक और उसे बनाना पड़ा । इस तरह से करीब १४ मील बांध बन गया । बाद में वह पानी आगे की तरफ न बह कर पीछे की तरफ बहने लगा । जहां कोई कच्चा बांध बनता है वहां पर पक्का बोल्डर बल्लियों से बनाया जाता है । इस पर भी कभी तीन लाख, कभी ४ लाख का बराबर बनता रहा है । धारा को रोकने के लिये इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है और हर साल उसे बनाना पड़ता है । यह सही है कि जब उसकी आवश्यकता पड़ी और यह देखा गया कि नदी का बहाव दाहिनी तरफ होता जाता है तो सारे प्राबलम को अनुसंधान के लिये अनुसंधानशाला में भेज दिया गया । उन्होंने दो स्पर की सिफारिश की । उसमें व्यय पर्याप्त था । फिर सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन के चेयरमैन को लिखा गया । जब उनको यह मामला रेफर किया गया तो उन्होंने एक स्पर की राय दी । जहां इस प्रकार के पानी का बहाव हो वहां स्पर या इम्बैंकमेंट का टूट जाना कोई अनहोनी बात नहीं है । यह बांध को केवल रक्षा करने के लिये ही बनाया जाता है कि किसी चीज की कैसे ज्यादा से ज्यादा रक्षा की जाय । उसके बाद जो पीछे के हिस्से वाले बांध बनने की बात हुई है वह बांध तैयार है । यदि यह टूट जाय तो पीछे के हिस्से में पानी भर जाय । यहां के ग्रामवासियों ने दो जगहों के लिये यह प्रोपोज किया है । केवल एक जगह बनने दिया और दूसरी जगह वालों ने इसकी इजाजत नहीं दी । गांव वालों के विरोध से हमारे लिये बनाना सम्भव नहीं था । यदि हम कुछ और कार्यवाही करते तो माननीय

[डाक्टर रामनारायण पांडेय]

सदस्य फिर कहते कि गांववालों को उजाड़ दे रहे हैं, खेती के योग्य जमींनें ले रहे हैं। बिना जमीन के लिये हुए श्रीमन्, बांध बन ही नहीं सकता है। जमीन की आवश्यकता होती है उसी से मिट्टी लेकर मेंड़ ऊंची की जाया करती है। अब जब यह बांध बना है उसके बाद उसके अध्ययन करने के लिये हमारे चीफ इन्जीनियर और यहां के विभागीय लोग जगह पर गये कि ३८ लाख रुपये को यहां लगायें और इस रुपये के लगाने के बाद यह निश्चित हो कि बांध बना रहे-गा आजकल की स्थिति में कठिन है। अभी स्वयं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सौ फीट चौड़ी दरार प्रतीत हो गई है। २०० फीट २ फर्लांग में और माननीय सदस्य का यह कथन कि तीन या चार फर्लांग में है दो फर्लांग तक तो मैंने स्वयं अध्ययन किया था, चार फर्लांग तक हो जाना कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है और वह जितना हिस्सा जिस प्रकार का है और मैं यह निवेदन कर दूं कि बालू के ऊपर बांध की बात कही गई...

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, जो इतिहास मंत्री जी बता रहे हैं वह सब तो लिखा हुआ है। हमारी मांग तो यह है कि इतना रुपया क्यों खाया और जांच कमीशन बैठायेंगे कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी बात इस तरह से बीच में कहना ठीक नहीं है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, सारी बात उसी बांध के बारे में है। यदि बांध के सबंध में बालू के ऊपर की बात कही जाय तो मैं समझता हूं कि ९० फीसदी जगहों में जहां बांध बनेंगे वे बालू पर ही बनाने पड़ेंगे। बांध जहां बनेगा वह नदी के पेटे पर बनेगा और नदी के पेटे में हम यह उम्मीद करेंगे कि चिकनी मिट्टी इकट्ठी होगी। वह उम्मीद सही नहीं होगी वह केवल दुराशा मात्र होगी। जहां पर केवल बालू ही होती है उस बालू के ऊपर ही पक्का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। अध्ययन करने का ढंग है। कितना गहरा जाय बालू में कि वह बालू के ऊपर ही टिका रहे। एक तरफ वजन होता है दूसरी तरफ गहराई होती है। उसमें कितनी गहराई में रखने के बाद वह वजन को सम्हाल सकेगा। ये सारी चीजें अध्ययन के विषय हैं। कितनी कम से कम कीमत में और समय में यह बन सकेगा, ये सारी बातें हमारी अनुसंधानशालाओं में अध्ययन की जाती हैं और जो इनके विभागीय अधिकारी हैं वे सब जानते हैं और उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। आज जो यह बांध कहा जाता है जिसको मैं एम्बैकमेंट के अलावा कुछ मानने की तैयार नहीं यह निहायत बालू पर नहीं बना वह बालू की तह में बनेगा ही और जिस समय दबाव दाहिनी ओर होगा कगारें कट कट कर गिर जायेंगी और वह बह जायेगा। जो भी हमने उन तमाम कार्यों में जिसमें एक बार यहां पर कहा गया था कि १,६० लाख खर्चा हुआ आज तक केवल जितना खर्चा हुआ है वह १,१२ लाख का है। यह बात सत्य है कि प्रारम्भ जहां से हुआ था...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, हाउस में मंत्री जी ने मंजूर किया कि १,६० लाख का खर्चा है और अब कह रहे हैं कि १,१२ लाख का है, इससे सत्य असत्य का कुछ पता नहीं चलता।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैंने पहले भी १,१२ लाख ही निवेदन किया था।

श्री उग्रसेन---

आपने प्रेस कान्फ्रेन्स गोरखपुर में इस बात को कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको सुन लीजिये ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह सारा कार्य हुआ हमारे पत्थरवाल स्परों के लिये । लगभग १८ स्पर आज भी अपनी जगह पर खड़े हुये हैं । स्परों को पानी के बहाव का मुकाबला करना पड़ता है । २०, २२ फीट गहरी बल्ली गाड़ कर स्पर बनाये जाते हैं । जब नदी का बहाव इतना तेज हो जाय कि ३०, ४० फीट नीचे तक खोद दे तो स्पर नहीं टिक पाते । इस बार भी नदी का पानी ३० फीट गहरा चल रहा था । इसमें बोल्डर और बल्ली सब धंस जावेंगे ।

बार-बार खाने पीने की बात बहुत कही जाती है । जिस समय यह बनाया गया उस समय इस पर सन्देह नहीं था । माननीय सदस्य वहां स्वयं देखें तो उन्हें स्पर्स दिखाई देंगे । सदैव यह कहना कि नीयत खराब है, रुपया खाया गया है, ये बातें माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हैं । हर बात के पीछे जुडिशल इनक्वायरी की मांग या हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच की मांग भी उचित नहीं है । ऐसी मांग ज्यादा नहीं की जानी चाहिये ।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार विवरण प्रस्तुत किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह उस विवरण से उस बांध की मरम्मत करा देना चाहते हैं । उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आगे क्या करने की सोच रहे हैं ताकि वहां की जनता की रक्षा हो । वास्तविकता यह है कि वह बांध बालू पर बनाया गया और बल्लियां बह जाने से वह बांध टूटा और लगभग आधा मील लम्बा वह टूटा है जिसके कारण २१ गांव प्रभावित हैं । पानी बरस जाने से गंडक के पानी के दबाव के कारण लगभग ३५ गांव प्रभावित हो रहे हैं । यदि यह पानी आगे खड्डा में चला जाय तो लगभग १०० गांव प्रभावित हो जावेंगे । इस सारे जल प्लावन की जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री जी की है । मंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों का प्रष्ठपोषण तो किया मगर यह नही बताया कि जिन्होंने इस बांध को गलत बनाया उनके विरुद्ध क्या करने जा रहेहैं । बांध बह चुका है । आधे मील की दरार पड़ गई है । गांव संकट ग्रस्त हैं । उनको बचाने के लिये मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं, यह बताने की उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । १८ स्पर्स की उन्होंने बात कहीं । स्पर्स कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के होते हैं। लकड़ी के स्पर बनाकर उनमें बोन्डर रख देते हैं । अगर वे जम गये तो कुछ काम कर सकते हैं, वरना सब बह जाते हैं । केवल कागजी जानकारी के आधार पर मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है कि १८ स्पर मौजूद हैं । आधे मील की लम्बाई में जो स्पर बह गये उसका कारण क्या है ? क्या मंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर देखा है? कागजी रिपोर्ट पर आप सदन को गुमराह करके वहां के गांवों को नष्टभ्रष्ट करना चाहते हैं । जनता इस तरह से गुमराह नहीं हो सकती है । यदि गांव नष्ट होते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की है । सरकार को चाहिये था कि एक जांच समिति बैठाती जिससे उसको वस्तुस्थिति मालूम हो जाती और आगे के लिये पता चल जाता कि क्या करना है जिससे फिर यह बांध टूट कर जनता को कष्ट न हो । आपको इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिये । जिससे जन-साधारण को और सदन को तथा सरकार को भी मालूम हो जाता कि क्या बात है और क्या भविष्य के लिये होना जरूरी है । इस समय जो सरकर का रवैया है उससे वहां उसकी प्रतिष्ठा बहुत गिरती जा रही है । लोगों में बड़ा भारी असन्तोष है । सरकार इसे प्रस्टीज का प्वाइंट न बनाकर वास्तविकता पर गौर करें । सौ से अधिक गांव के लोगों को खतरे से बचाने का प्रयत्न सरकार को तुरन्त करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक बार फिर कहूंगा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर जन-जीवन के सामने रखकर, उसकी सुरक्षा की बात सोचे और अविलम्ब उसे कार्यान्वित करने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, छितौनी का बांध देवरिया जिले के लिए हमारे इंजीनियरों ने यह समझकर बनाया था कि इससे बहुत बड़े भूभाग की रक्षा होगी। जब यहा बांध बनाया जाने वाला था वहां के जन-प्रतिनिधियों ने यह आशंका प्रकट की थी कि अगर इस बांध को मजबूत नहीं बनाया जायगा, हर तरीके से अच्छी तरह से सर्वेक्षण करके नहीं बनाया जायगा, और उसके लिए टेक्निकल ओपीनियन जो जरूरी है वह नहीं ली जायगी, तो इस भयावह नदी के खतरे से, जिसमें बरसात में १८, २० लाख क्युजेक पानी बहने लगता है, बचना संभव नहीं हो सकेगा। यह सोचा गया था कि इस बांध से इस क्षेत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। यह कहा गया था ये सब बातें ध्यान में रखकर इस बांध को बनाया जाय। सन् ५३ से जब से बांध बना है जन-जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। हर वर्ष की कार्यवाही सदन की आप उठाकर देख लें इस बांध में ब्रीचेज होते चले आये हैं। १४ मील में से ४, ५ मील के ब्रीचेज हैं। हमेशा हमारी जनप्रिय सरकार ने यही कहा है कि वह इस बांध को आगे टूटने नहीं देंगी। सरकार के इंजीनियरों ने भी यही राय सरकार को दी कि स्पर बना दिया जाय, यह कर दिया जाय, वह कर दिया जाय। हर साल काफी रुपया इस पर खर्च होता चला आया है। इस वर्ष तो बड़ी भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है। देवरिया जिले के ५० सौ गांव उस बांध के टूटने से प्रभावित होने जा रहे हैं। टेक्निकल ओपीनियन पहले से ही इस बांध के मुआफिक नहीं थी, तो सरकार ने इस बांध को बनाना क्यों श्रेयकर समझा? जिन्होंने फिर भी इस बांध को बनाया और यह टूटा, उनके ऊपर आपने क्या जिम्मेदारी नियत की? जिन इंजीनियरों ने सरकार को आश्वासन दिया था कि आगे बांध नहीं टूटेगा उनके विरुद्ध आपने क्या किया? बालोसरी और भैंसला और बहुत से गांवों के नष्ट होने की जिम्मेदारी आपने उनके ऊपर डाली? ये सब प्रश्न विचारणीय है। मैं दावे के साथ कहता हूं, कागज में चाहे कुछ भी हो, इस आधे फर्लांग में जितने स्पर वहां बनाए गए आज वहां कोई स्पर नहीं है। माननीय मंत्री जी वहां पर जा चुके हैं, माननीय गेंदासिंह जी भी घटनास्थल पर जा चुके हैं, दोनों मंत्री साथ गये हैं, दोनों ने उसको देखा है लेकिन दोनों मंत्रियों के विचार अलग-अलग हैं। एक मंत्री का विचार है कि इस बांध के टूटने से पडरौना तहसील की रक्षा में कोई संकट पैदा नहीं होगा, लेकिन दूसरे मंत्री का विचार है कि उसकी रक्षा में गड़बड़ हो सकती है। सारी पड़रौना तहसील उस बांध के टूटने के प्रभावित हो सकती है। अखबारों के नुमायन्दों से भी जब मंत्रियों की बातचीत हुई तो उन्होंने भी दो रायें पायीं जब इस प्रकार से दो मंत्रियों की अलग अलग राय है तो ऐसी भीषण स्थिति में सरकार का क्या कर्त्तव्य है, यह सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को साफ तरीके से अपनी गलती को समझ कर जांच कमीशन बैठाना चाहिए।

जहां तक गड़बड़ घोटाले की बात है यह तो सोशल ईविल ही हो गया है। इस पर बात करना बेकार ही है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री इस सदन में घोषणा करें कि क्या इस स्थिति में वे सदन को विश्सास दिला सकते हैं कि जिस जनता के पास खाने पीने को नहीं रहा है, जो बेघरबार हो चुकी है, क्या आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, क्या उसकी फसल की रक्षा कर सकते हैं? क्या सरकार इस विषय में कोई कैटेगोरिकल विश्वास दिला सकती है? मैं ऐसा महसूस करता हूं कि रुड़की अनुसंधान शाला ने इसके बारे में अपनी राय दी थी कि इस पर दो स्पर बनाये जायं, लेकिन आपने एक स्पर बनाया। उसकी ओपीनियन न मानने से बार-बार बांध टूटा तो क्या इस विषय में टेक्निकल कमीशन से जांच करायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट को आपने देखा है? अगर देखा है तो जिन लोगों को उसने जिम्मेदार ठहराया है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। जनता की गाढ़ी कमाई का एक करोड़ चौदह लाख रुपया ड्रेन आउट हो गया है और पांडेय जी कहते हैं कि यह बांध नहीं था, यह तो एम्बैंकमेंट था। जैसे जब हैजा बहुत फैला तो इसी हाउस में कह दिया गया कि यह तो गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस था। एम्बैंकमेंट तो और भी ज्यादा मजबूत होता है, बांध से ज्यादा मजबूत होता है उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाने के पहले तो सारे धारा के प्रवाह को, उसकी गहराई को, उसकी भौगोलिक स्थितियों को अध्ययन कर लिया जाता है, तब एम्बेंकमेंट बनाया जाता है। आज एक नए शब्द को कह कर सारी जनता गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। आप को आज साफ तरीके से जांच बैठाने के बारे में एलान करना चाहिए या आपको कैटेगोरिकली इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि जनता की रक्षा की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राम नारायण पांडेय जी की तकरीर को बड़े ध्यान से सुना और ऐसी लचर दलीलें उन्होंने दी कि उनसे ऐसा लग रहा था कि उग्रसेन जी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि यह महकमा खाऊ-कमाऊ लोगों का बना हुआ है। उन्होंने अपने भाषण में दो वाक्य कहे। उन्होंने कहा कि नदियों के नीचे तो बालू होती ही है और नदियों के बांध तो टूटते ही हैं और ठोकरें तो बहा ही करती हैं। इस तरह के वाक्यों का क्या मतलब होता है? आज कल के ही जमाने में चीन की विशाल ह्वांगहो नदी है उसको वहां के लोगों ने सफलतापूर्वक बांध दिया है, वह तो नहीं टूटटी। आज विज्ञान के जमाने में, जब कि लोग चन्द्रलोक तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इंजीनियर, जिन पर इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया खर्च हो रहा है, वे यहां बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं? यह सारा महकमा ही इसीलिए है जो कि कुछ माल मिले मार लो, खाओ पियों और उड़ाओ और उन के द्वारा मंत्री जी भी माल उड़ायें। इस विभाग के मंत्री जी ही कहते हैं कि बांध बनाओ, माल उड़ाओ। यह आप का राज चल रहा है। सात आठ साल के अन्दर पूर्वी जिलों में दस करोड़ रुपया व्यय हुआ है। समझ में नहीं आता कि वह रुपया कहां गया। इतना जरूर हुआ है कि इस दस करोड़ रुपये को खर्च करने के बाद पूरब की लाखों जनता आज तबाही की हालत में है। केवल छितौनी की बात ही नहीं है, देश के सारे अखबारों ने, टाइम्स आफ इंडिया ने, नेशनल हेराल्ड ने, पायनियर ने टिप्पणियां लिखी हैं कि देवरिया का राय घाट और चांदपुर बलुआ के सारे बांध बह रहे हैं और मैं आपको बताये देता हूं कि अब भी दो चार दिन में इस बांध पर वह स्थिति पेदा होने वाली है कि २० मीलों की दूरी पर गंगा बह रही है और बलिया में बेरिया बांध २ करोड़ की लागत से बना है वह भी बरबाद हो सकता है। केवल छितौनी की ही बात नहीं है मैं जानना चाहता हूं कि आपके यह इजीनियर वेतन किस बात का पाते हैं? क्यों वह इंजीनियरी पढ़े हैं और क्यों उनको रखा जाता है? यह रुड़की के और पूना के रिसर्च सेंटर आप तोड़ दें वर्ना जिम्मेदार इंजीनियर्स पर आप मुकदमें चलवायें। आप कहते हैं कि पहले हम एक्सपेरीमेंट कराते हैं, यह नाटक आप क्यों कराते हैं, क्यों यह पहले रिसर्च होती है जब उसका नतीजा यह निकलता है यह नाटक क्यों जनता की गाढ़ी कमाई पर खिलाया जाता है? रुड़की और पूना में क्या नाटक और क्या रिसर्च आप कराये थे? कहीं कुछ नहीं होता, यह लोग सब मिलकर पैसा चुराते हैं। आपको इन पर मुकदमा चलाना चाहिए था वर्ना हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि उनकी इस चोरी में मंत्री भी सांठगांठ किए हैं और इसी वजह से वह उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। वह भी चोरी में हिस्सा लिए हैं और इसलिए कहते है कि हम न्यायिक जांच नहीं बिठायेंगे। वर्ना उनको क्या उनसे रिश्तेदारी है और कौन सी मुहब्बत है जो लोग जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह से लुटाते और पानी में बहाते हैं उनके खिलाफ यदि विपक्ष के लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं तो कौन सी गलत बात है? यह छितौनी बांध की ही बात नहीं है इनके इंजीनियर इसी तरह से लाखों और करोड़ों रुपया जनता के खाते जा रहे हैं। इन के यहां नीचे के मेट से चीफ इंजीनियर और मिनिस्टर तक सब शामिल हैं इस चोरी में। जब मेट २,००० कमाता है तो वह ओवरसियर को १ हजार देता है, जब ओवरसियर १,००० कमाता है तो वह छोटे साहब को ५०० देता है और इस तरह से बड़े साहब और चीफ इंजीनियर तक हिस्सा पहुंचता है। हम कह सकते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हैं निश्चित रूप से कि दस करोड़ में से पांच सात करोड़ रुपया मंत्री महोदय से लेकर ठेकेदार तक सब मिल कर खा गए हैं। और जनता की अदालत के सामने वह मुलजिम हैं। उनको आने वाले चुनाव से पहले सारी प्रदेश की जनता के सामने अपना जवाब देना चाहिए और सफाई देना चाहिए। मैं मंत्री जी से फिर साफ तौर से कहूंगा कि यदि वह अपने दावन की सफाई चाहते हैं और अगर उन का दावन पाक साफ है तो वह एलान करें कि केवल इसी बांध के लिए नहीं बल्कि बांधों की सारी गड़बड़ी के लिए जो इंजीनियर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मुकदमा चलेगा वर्ना वह स्वयं इस दोष के भागी होंगे।

श्री मंगल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, इस बांध के बारे में सदन में हमारा अपना खयाल है कि ४ साल में पचासों बार जिक्र आया होगा। इस बांध पर मुतवातिर खतरा बढ़ रहा है। जब हम इंजीनियर्स के सामने यह प्रश्न उठाते थे तो वह कहते थे कि भगवान का नाम लीजिए बांध कभी नहीं टूट सकेगा। गत वर्ष भी खतरा बहुत बढ़ा था तब भी हमें यही आश्वासन मिला कि नहीं टूटेगा, लेकिन जब बांध टूटने के करीब आया तो उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया। वहां पर एक गंडक कैनाल भी बन रही है। पहले वर्ष तो कुछ कामयाबी हुई लेकिन इस वर्ष जब बात की गयी कि बांध का खतरा बढ़ता जा रहा है तो श्री जे० एस० गुप्ता, चीफ इन्जीनियर ने साफ शब्दों में कहा कि यह बांध पोलिटिकल प्रेसर से बना हुआ है। यह ला इलाज है। इसको किसी प्रकार से बचाया नहीं जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि वह कौन सा पौलिटिकल प्रेशर था और किस आदमी ने इन्जीनियरों को मजबूर किया कि वे यहां पर बांध बनायें। श्रीमन्, चीफ इन्जीनियर ने ३१ जुलाई को अखगार वालों के समक्ष भाषण में यह बताया था कि यह बांध मूर्खता से बनाया गया है। जब यहां पर दफा ५२ में बातचीत हो रह थी तो उनके स्टेटमेंट को मैंने माननीय अध्यक्ष को दिया उनका स्टेटमेंट काफी लम्बा था। मैंने यह भी कहा कि माननीय मन्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसका कोई तुक नहीं मिलता था। मैं वहां का रहने वाला हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर ३० हजार आदमी इससे प्रभावित हुये हैं। इतना ही नहीं ३० हजार एकड़ फसल डूब गयी है। १५ हजार एकड़ फसलों में तो २ फुट से लेकर ३ फुट तक रेत ही रेत हो गया है। सरकार की तरफ से पूछने पर बताया जाता है कि इन बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। मैं मौके पर गया था और मैंने देखा कि उनको क्या मदद मिलती है। उन्हें केवल दिया सलाई, थोड़े-थोड़े चने और थोड़ा-थोड़ा कर्जा दिया जा रहा है। तो श्रीमन्, आप स्वयं अन्दाजा लगाइये जहां पर करोड़ों रुपया का नुक्सान हुआ है वहां केवल दियासलाई और थोड़े-थोड़े चने देकर आप किसानों की मदद करेंगे?

(मंत्री जी के चले जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा हो रही हो तो उस समय...

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, आप जरा सुनिए।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, बड़ी गलत बात है कि आप सुने नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बीच में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, प्रोसीडिंग को किसी भी स्टेज पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं उठाया जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यहां पर आप की इच्छा से संचालित नहीं हो सकता है।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, हम लोगों का कहना है कि जब सदन में ऐसा महत्वपूर्ण वादविवाद चल रहा हो तो सिंचाई मंत्री का सदन से चला जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि इन्होंने ६०,००० रु० खाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप दो मिनट के बाद बोल सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा हो रही हो, उस समय सदन में माननीय मंत्री जी उपस्थित न हों।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, फाइल रखी हुई है। वे यहीं हैं और अभी आ रहे हैं।

श्री मंगल---

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और खतरे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है १२० करोड़ रुपये की। वहां पर एक गंडक नहर निकाली जा रही है। यह बांध जहां पर टूटा है, उसके ३ फर्लांग की दूरी पर है और जहां पर नहर का प्रोटेक्शन बांध है, वहां पर टूटे बांध का पानी टक्कर ले रहा है। अगर नहर का बांध टूट गया तो गोरखपुर और देवरिया जिलों की पूरी तबाही हो जायगी। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर इन लोगों ने उस खतरे को नहीं बचाया तो क्या जो क्षति होगी गोरखपुर और देवरिवा की जनता की उसकी आप पूर्ति कर सकेंगे? वह बांध अब टूटने वाला है और इनके स्टाफ के आदमियों का कहीं भी पता नहीं है, न इस पार और न उस पार। इन लोगों ने यह रिपोर्ट दी है कि नहर का बांध जनता काट देगी, जो जनता जंगल में पनाह ले रही है उस के लिए मिलिटरी बुलाने की योजना इन्होंने बनायी है। इस प्रकार जो अधिकारियों द्वारा आचरण किया जा रहा है जनता में उससे बड़ा असंतोष है। मैं आप से कहूंगा कि समय निकाल कर आप भी चलें और जितनी विरोधी पार्टियों हैं उनके नेताओं को बुलाता हूं वह चल कर देखें ताकि उनको इस विषय पर बातचीत करने का बड़ा बढ़िया मौका मिल सके। यह एक सवाल ऐसा नहीं है जैसे आमतौर पर असेंबली में सवाल पैदा किये जाते है और हमारे

[श्री मंगल]

मंत्रिगण अंट संट जवाब देकर के टाल देते हैं। यह एक बहुत बड़ी मुसीबत है, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए वरना एक तबाही का बहुत बड़ा मसला आपके सामने खड़ा होगा और यह कह सकते हैं कि नहर पोलिटिकल प्रेशर में बना है, सरकार और इंजीनियर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो उस नहर को पाट देने की कोशिश की जाय या खतरे की जिम्मेदारी हमारी सरकार अपने सर पर लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी। १९५४ से आज तक लगभग १ करोड़ २५ लाख रुपया खर्च हुआ। यह बांध इसलिए बनाया गया था कि इससे जनता को लाभ होगा और हर प्रकार का लाभ वहां के निवासियों को मिलेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रश्न यह है कि किस की सलाह से यह बांध बना, कौन सा इंजीनियर था जिसने नक्शा बनाया।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोगों को समय मिलना चाहिए। हमने दफा ५२ म सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। जब कोई स्पीच दे रहा हो तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं कह रहा था कि किसने इसका सुझाव दिया, कौन इंजीनियर था जिसने यह कहा कि यह स्थान अच्छा है, बांध बन सकता है, किसने यह सलाह दी ? इतना रुपया जिसकी सलाह से खर्च हुआ और इतने धन जन का नुकसान हुआ वह कौन सा आदमी है। पहले तो इसके बारे में जांच करके उचित दण्ड मिलना चाहिए।

दूसरे इसका परिणाम क्या हुआ, ऐसा हुआ क्यों ? मुझे जो सूचना मिली उसके अनुसार यह कह सकता हूं कि बांध का कटाव प्रारंभ हुआ तो वहां के इंजीनियर ने जो सिंचाई विभाग के अभियन्ता थे उन्होंने यह सूचना दी कि मरम्मत के लिए अगर रुपया मिले तो संभव है कुछ किया जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी आप बाद में बोलिएगा। अब ५ बज गए हैं।

१९६६-६७ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, अभी द्वितीय भी आयेगा ? यह आदत पड़ गई है सरकार की प्रथम आया है, द्वितीय और तृतीय भी आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है। यह तो सरकार जैसा समझे।

(प्रतियां बांटी गयीं।)

छितौनी बांध के टूटने के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो मुझे सूचना है उसके अनुसार सिंचाई विभाग के अभियन्ता ने पिछली १ अप्रैल को फ्लड विभाग और सिंचाई विभाग को यह सूचना दी कि इसकी मरम्मत नहीं हुई तो यह बांध कट जायगा। इससे पहले कि सरकार कुछ रुपया खर्च करती जिलाधीश ने यह लिखा कि इसकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इतना कट गया कि अब जितना उससे नुकसान होगा उसकी मरम्मत करने में उससे कम नुकसान होगा उसकी मरम्मत न करने में। फ्लड कंट्रोल ने अपने पत्र दिनांक १ अक्तूबर, १९६५ नंबर १५९२५ सी० एफ० सी ५६ एफ में यह लिखा है कि ४० लाख रुपया मिल जाय तो बांध ठीक किया जा सकता है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह रुपया मंजूर नहीं किया। फिर जिलाधीश ने यह राय दी कि कट जाने दीजिए अब यह रुक ही नहीं सकता। इसमें मेरी सूचना के अनुसार ३,२८० व्यक्ति अन्यत्र हटाए गए। १५ हजार व्यक्ति प्रभावित हुए। ७,२६१ एकड़ धान और गन्ने की फसल जलमग्न हो गयी। ३१ लाख ५० हजार रुपये का लोकल नुकसान हुआ और इसकी आज तक जांच नहीं की गयी। इसके विपरीत सरकार ने क्या किया जिसके लिए उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनकी आवास की परवाह किए बगैर उनको वहां से हटा दिया। उनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की। मवेशियों के चारे तथा उनके रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसमें सरकार ने एक क्रिमिनल नेगलिजेंस की। बाढ़ का कटाव आया और वहां पुलिस तक नहीं पहुंची, उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया और उनसे कहा गया कि फौरन गांव खाली कर दो।

(इस समय ५ बज कर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

लोग खुले हुए आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। सहायता के नाम पर सरकार ने भूमिहीनों को ५ और १० रुपये दे दिए हैं और ३० प्रतिशत लोग, उसमें भी बाकी हैं। राशन के नाम पर १ छटांक से पाव भर तक प्रति व्यक्ति बांटा गया है। १२ तारीख तक १२ बोरे आटा, २३ बोरे चना, २१८ लिटर तेल और १० दर्जन माचिस बांटी हैं। चावल का प्रश्न नहीं उठता और इस प्रकार सरकार ने १ करोड़ २५ लाख रुपये बांध पर खर्च करके पानी में डाल दिये। १० हजार खेतिहर मजदूर इससे बिलकुल बेकार हो गए, जिनके खेत की फसल बरबाद हो गयी और जो मजदूरी के भरोसे से रहते थे उससे १० हजार खेतिहर मजदूर बेकार हो गए और उनका आना जाना बिल्कुल बन्द हो गया और इस वक्त भी उनका कोई ख्याल नहीं है। दूसरे जिनके पास पैसा भी है वे भी परेशान हैं क्योंकि दस मील तक कहीं गल्ले की दुकान नहीं है। तीसरे जो लोग वहां रहते थे और मिलों में जिनका पैसा बाकी है उसको दिलाने का आज तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। चौथी बात यह है कि उनको जो जमीन दी गयी वह दूसरों के कब्जे में पहले से ही है ये वहां बस नहीं सकते, मारपीट भी शुरू हो गयी है। इसके अलावा वहां नाव का भी कोई प्रबंध नहीं है कि वहां से उनको हटा कर किसी ऐसी जगह ले जाया जाय जहां से वे मजदूरी करके अपना भरण-पोषण कर सकें। तो पहली बात तो यह कि सरकार इसकी जांच करवाये जिस इंजीनियर ने उसको बनवाया और जो कलेक्टर या फ्लड कंट्रोल अधिकारी है, उनको भी दण्ड देना चाहिए जो इतने आदमियों की जान खतरे में पड़ गयी। तीसरे, जो वहां से हटाये गए उनको सचमुच ऐसी भूमि देनी चाहिए जिससे उनका भरण पोषण हो सके। चौथे, उनके लिए सस्ते गल्ले की दूकानें खोलनी चाहिए। इसके अलावा मालगुजारी या जो भी गवर्नमेंट ड्यूज हों वह एक भी वसूल नहीं करना चाहिए और मिल का रुपया उन्हें तुरन्त दिलवाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दशरथप्रसाद (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, छितौनी बांध का निर्माण १९५४-५५ में हुआ। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसका निर्माण कैसे हुआ लेकिन यह बांध इंजीनियर लोगों ने ही बनाया और उसके बनवाने के लिए जितना रुपया स्वीकृत हुआ था उससे दुगुना रुपया उसकी मरम्मत में खर्च हुआ और मरम्मत का काम कभी भी सूखे समय में नहीं हुआ, जब बाढ़ का पानी आया उसी समय उसकी मरम्मत हुई। पिछले साल जब बांध का कटाव शुरू हुआ तो हम लोग लगातार परिश्रम करते रहे कि इसको बचाया जाय लेकिन इंजीनियर लोगों ने बताया कि उसके लिए तो पैसा ही नहीं है। मजबूर होकर ३० तारीख को मुख्य मंत्री से हम लोग मिले। उन्होंने बताया कि इंजीनियर गलत कहते हैं, रुपया जितना बजट में मांगते हैं उतना हम देते हैं, आप लोग इंजीनियर को वहां ले जाइये। मुख्य मंत्री के आदेशानुसार चीफ इंजीनियर को मौके पर हम लोग ले गए। इंजीनियर साहब का कहना था कि यह बांध गलत तरीके से बनाया गया है, इसको बनना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो करोड़ों रुपये इस बांध पर खर्च किए गए हैं सरकार को चाहिये कि इस क्षेत्र की जनता को कहीं दूर हटा दें। मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर महोदय के पास उस समय तो रुपया नहीं था लेकिन जो आज दशा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो इंजीनियर ने कहा था उस बात को सही रखने के लिए उस बांध को काटा गया है। उस समय तो नहर का खतरा नहीं था। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इंजीनियर लोग उस नहर को किसी कीमत पर नहीं बचा सकते। बांध को बचाने के लिए खर्च नहीं किया गया लेकिन आज ठोकर के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर आप जाकर देखें तो नहर के किनारे बांस और बल्लियों का तांता लगा हुआ है। मगर इस समय जो नहर का कटाव चल रहा है इंजीनियर लोग उस नहर को किसी कीमत पर बचा नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूं कि उस बांध के लिये इंजीनियरों ने कहा है कि यह बांध गलत जगह पर बनाया गया है। अब जो नहर का निर्माण हो रहा है वह सही ढंग से हो रहा है। लेकिन क्या उसको बचाया जा सकता है? बाढ़ के पानी से उसका बचना मुश्किल है और देवरिया जिले को खतरा पैदा हो गया है। अभी तक बाढ़ का पानी नहीं है केवल नदी का ही पानी है। लेकिन जब बाढ़ का पानी आयेगा तो नहर को बचाया नहीं जा सकता है। इससे कम से कम १२० मील का एरिया नष्ट होगा। मैंने इंजीनियरों से कहा कि आप भी इस देश के रहने वाले हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए १५, २० हजार आदमी बेघरबार हो रहे हैं, इसलिए उनके लिए मेहरबानी करके ऐसा सरकार को सुझाव दिया जाय कि किसी तरह से उनको बचाया जाय। आज जो बेघरबार हो गए हैं उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? जिन लोगों की खरीफ की फसल डूब गई है और जो दाने दाने को मोहताज हैं, उनके लिए सरकार क्या करने जा रही हैं? आज सरकारी आदमी नहीं देखते हैं कि कौन खा रहा है और कौन उपवास कर रहा है। जो लोग दूसरों को खिला सकते थे वे आज खुद नहीं खा सकते हैं। उनकी एक दिन की समस्या नहीं है बल्कि उनका सब कुछ बरबाद हो गया है। उनके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था करेगी? जो इंजीनियरों ने गलत जगह पर बांध का निर्माण करके इतना जनता का रुपया बरबाद किया है उसके लिए क्या किया जा रहा है? अब यह सब कौन सा तमाशा किया जा रहा है, सही हालत बताई जाय।

श्री बांकेलाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे बोलने के के लिए समय दिया। छितौनी बांध पर जनता का एक करोड़ ६० लाख रुपया खर्च किया गया और जब इसमें कटाव शुरू हो गया तो इंजीनियर कहते हैं कि इसको गलत जगह पर निर्माण किया गया है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि सरकार के इंजीनियरों ने कौन से दिमाग से इस बांध का निर्माण किया था। इतना रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च हुआ पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिणाम कुछ नहीं निकला। वहां ७, ८ हजार एकड़ जमीन जलमग्न है और भिड़हारी गांव के पास ६२ फुट पानी है जो रेलवे लाइन से टकरा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि खडा, बुलहवा, छितौनी बांध को तोड़ कर बड़ी नहर के साथ एक बहुत बड़ी नदी की शक्ल में पानी होगा और देवरिया जिला पूरी तरह से डूब जायगा। आपके अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। इन मुट्ठी भर चनों से कुछ नहीं चलेगा। इससे बहुत से आदमी प्रभावित हो गए हैं, उनकी जमीन बरबाद हो गई है और वे लोग दाने दाने को मोहताज हैं। जो बाढ़ कमेटी जिला स्तर पर बनी हुई है उसे बाढ़ आने से पहले विचार करना चाहिए और लोगों को ऐसी जमीन पर बसाया जाय जहां वे जिन्दगी बसर कर सकें। नौतार जंगल की हालत बहुत खराब हो गई है और पानी इस तरह से बढ़ रहा है कि वहां गांव भी बरबाद हो जायेगा सरकार की तरफ से इम्दाद नहीं के बराबर है। वहां नावों की कोई व्यवस्था नहीं, लोगों को बसाने की कोई व्यवस्था नहीं, और लोगों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो एक करोड़ पैंसठ लाख रुपया वहां पर खर्च किया गया है, इतने रुपये में तो उन लोगों को वहां से हटा कर अन्य जगह पर अच्छी तरह से बसाया जा सकता था। माननीय गेंदासिंह जी और गिरधारीलाल जी दोनों ही मंत्री वहां पर देखने गए थे, लेकिन दोनों ही मंत्रियों की इस संबंध में अलग-अलग राय है। गिरधारीलाल जी कहते हैं कि यह बांध अब ठीक नहीं हो सकता है और गेंदासिंह जी की उससे अलग राय है क्योंकि उसकी चपेट में उनका भी गांव आता है। यदि इस पर शीघ्र ध्यान न दिया गया तो देवरिया जिले के सारे गांव उससे डूब जायेंगे। इसलिए आस-पास के गांव वालों को ढंग से किसी दूसरी जगह पर बसाया जाय, जहां रानी रेवती का फार्म है। पडरौना के राजा का फार्म है, वहां पर उनको बसाया जाय। इसके अलावा हर दल के नेताओं की एक सर्वदलीय जांच कमेटी यह सरकार बनाये जो वहां पर जाकर वस्तुस्थिति को देखे। जिन इंजीनियरों ने गलत राय दी है उनको निकाला जाय, क्योंकि इस गलत ढंग से जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि लोगों के खाने पीने का उचित व्यवस्था करे, पीने के पानी की व्यवस्था की जाय, रहने और वस्त्र की व्यवस्था की जाय और उनका लगान भी माफ कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त उनका मिलों पर जो बकाया है वह भी उन्हें तुरन्त सरकार को दिलवा देना चाहिए।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। ऐसे अवसर यदा-कदा इस सदन में आते हैं, जब एक जन-समस्या पर दोनों पक्षों के लोगों की एक वाणी निकलती हो। आपको याद होगा कि अभी हाल के बनारस यूनिवर्सिटी काण्ड को लेकर भी इसी तरह का दृश्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था, अभी चार दिन पहले बांदा के एस० पी० को हटाने के लिए भी इस प्रकार की मांगें सदन के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा की गई थीं और आज प्रस्तुत वर्तमान में तीसरा ऐसा अवसर है जब छितौनी बांध के प्रश्न पर दोनों पक्षों के लोगों ने एक स्वर से अपनी मांग सदन के सामने रखी है और उन्होंने अपने विचार राजनीति से ऊपर उठकर और पार्टीबाजी से बाहर निकल कर प्रकट किए हैं। इसलिए इसी रूप में हमें इसके महत्व को देखना चाहिए। मैं समझता हूं इसका परिमार्जन यही है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस्तीफा दें, इससे कम में इसका परिमार्जन हो नहीं सकता है। जब सभी की एक वाणी हो, राजनीति से ऊपर उठकर भाव हों, तो ऐसे समय में सरकार को उस जनवाणी के सामने नतमस्तक होना चाहिए। यह प्रजातंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। श्रीमन्, समझ में नहीं आता है कि सरकार, माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री ऐसी समस्याओं पर ऐसा राजहठ क्यों पकड़ते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आजमगढ़ में दोहरीघाट पम्प कैनाल, एशिया की एक मशहूर और सबसे बड़ी कैनाल पानी के वेग से बुरी तरह से एक फर्लांग तक टूट गई थी और उसकी ईंटें कच्चे चावल की तरह बिखर गयी थीं। इसी तरह से राप्ती पर बनने वाला इतना बड़ा पुल जो राष्ट्रीय राजपथ पर बन रहा था, जो पथ कि हमारी सीमाओं को छूता है, किस तरह से धराशायी हुआ वह कल की बात है। आज छितौनी बांध की भी वही दशा है। लगभग पौने दो करोड़ रुपया व्यय करने के बाद वह बांध

[श्री झारखण्डेराय]

पानी का एक धक्का भी बरदाश्त नहीं कर सका। यह बात अधिकारियों, मंत्रियों और सरकार के लिए कितनी अधिक लज्जा की बात है। इससे अधिक शर्म और लज्जा की बात उनके लिए और कोई नहीं हो सकती है। मैंने दो-तीन घटनायें इसी प्रकार की अपनी आंखों के सामने देखी हैं। आजमगढ़ में लालडिग्गी और गोरखपुर में मलौनी का बांध टूटा था, उस समय के बच्चे, बूढ़े सभी काम करने वालों ने इसे देखा था। उनके दुष्परिणाम सभी ने देखे थे कि उससे कितने असीम जन धन की हानि हुई थी। यह बांध टूटा और इससे जनता की अपार क्षति हुई और जनता को कष्ट बरदाश्त करने पड़े। यह बालू की भीत बनाई जा रही है, क्यों यह बात सरकार महसूस नहीं करती? करोड़ों रुपया लगाने के बाद एक चीज बनती है। वह अमर चीज बनती है इस प्रकार सोचकर अपने निजी स्वार्थ हेतु नष्टभ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है, यह क्यों? आखिर यह राष्ट्रीय सम्पत्ति किसी एक दल की नहीं है, किसी एक राजनीति की नहीं है बल्कि राष्ट्र की है। सरकार बदलती है लेकिन जनता अजर, अमर है। जनता के बीच उनके लिये बनने वाली चीजें बहुत दिनों तक चलनी चाहिये। राष्ट्र की सम्पत्ति को जो इस तरह से चोट पहुंचाते हैं इस पर सरकार क्यों नहीं गम्भीरता के साथ विचार करती है। क्यों यह अपनी हठ पर अड़ी हुई है? जब यहां पूरे सदन में वह मांग है कि जांच कमीशन नियुक्त किया जाय तो क्यों सरकार हिल रही है? क्यों सरकार के पैर लड़खड़ा रहे हैं? क्यों उसका शरीर कांप रहा है जांच कमीशन कायम करने में? जांच कमीशन से अगर यह साबित हो जाय कि उनका दोष नहीं है तो सबको मालूम हो जायगा लेकिन जांच कमीशन से क्यों घबराते हैं? अगर सरकार घबराती है तो इससे मालूम होता है कि जानबूझकर कमजोरी को छिपाया जा रहा है और जानबूझकर राष्ट्र सम्पत्ति को हत्या की जा रही है। आज बड़ी-बड़ी चीजें हमारे देश प्रदेश में बन रही हैं। वे बड़े-बड़े योजना मन्दिर बन रहे हैं। जो हमारे नये संस्थान बन रहे हैं उनमें इस प्रकार से यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उससे राष्ट्रीय सम्पत्ति की उमर बहुत कम हो रही है। ऐसे सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी दया, कोई रहम नहीं होना चाहिये। जांच कमीशन के बाद जो लोग जिम्मेदार पाये जायं उनको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिये। डेमोक्रेसी का नाम ढोंग बन कर न रह जाय। इस पर सावधान रहना है। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। राष्ट्र के लाखों लोगों की जिन्दगी खतरे में डालकर २, ४ आदमी स्वाथ सिद्ध करें और यह चलने दिया जाय तो प्रजातन्त्र एक मखौल बन कर रह जायेगा।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां की जनता का जितना धन चीनी मिल मालिकों के ऊपर बकाया है सरकार वह रुपया उनको एक सप्ताह के अन्दर दिलाये ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। जो छात्र वहां के स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी फीस माफ कर दी जाय। किसानों को वहां छूट दी जाय। उदारता के साथ तकावी दी जाय। जन योजना के आधार पर लोगों को काम दिया जाय। काम की मजदूरी फैमिन कोड के अनुसार नहीं बल्कि पी० डब्लू० डी० के रेट के अनुसार उनको दिया जाय ताकि वहां पर आदमी, औरत और बच्चे अपना जीवन यापन कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी छानबीन के लिये एक जांच कमीशन नियुक्त किया जाय और इस दुर्घटना के जो जिम्मेदार पाये जायं उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाय।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब कभी भी जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ होती है तब उसकी जिम्मेदारी उस आदमी पर आती है जो आदमी उस खिलवाड़ में शरीक होता है। मान्यवर, यह बांध, ये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट और ये बड़े-बड़े कारखाने इस उद्देश्य और भावना के साथ बनाये गये थे कि इनसे जन जीवन को पर्याप्त लाभ होगा और लाभ के लिये ही ये सब कार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये गये हैं किन्तु इसके विपरीत उनका निर्माण कार्य करते समय निर्माणकर्ताओं ने राष्ट्र को ध्यान में न रखकर अपने व्यक्तिगत लाभ को सबसे पहले ध्यान में रखा। यही कारण है कि उसमें नाना प्रकार की राय, नाना प्रकार की सम्पत्ति अलग-अलग बनती चली गई। उससे जो लाभ होना चाहिये था वह लाभ नहीं हो सका। मान्यवर, १९५३ से यह स्कीम बनी और अगर ६६ तक उसको देखा जाय तो इस १३ साल के समय में उस बांध का खर्चा निरन्तर बढ़ता ही चला गया। उससे लाभ नहीं हो सका और जन जीवन खतरे में पड़ गया। इस प्रकार के बांध का क्या उद्देश्य था? इससे पहले तो देखना चाहिये था उन इंजीनियरों को जिनकी राय पर यह बांध बना था और जिन्होंने इसकी निचाई और जलमग्नता का ध्यान न रखते हुए अपना गलत अनुमान दिया था और उसके आधार पर ही सरकार ने वहां कार्य आरम्भ कर दिया। उनके खिलाफ मंत्री महोदय को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और इसके साथ साथ जिन इंजीनियरों के अन्तर्गत यह निर्माण कार्य हुआ है और जिसमें गलत सीमेंट, गलत माल मसाला लगाया गया उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। वहां तीन नदियां एक साथ मिलती हैं और इस कारण ही वह गलत बना हुआ बांध उनके प्रकोप को सम्हाल नहीं पाता। उस बहाव का ध्यान बनाते समय क्यों नहीं रखा गया और अगर नहीं रखा गया तो उस बांध को बनाने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। एक इंजीनियर महोदय उसको ठीक बतलाते हैं, दूसरे कहते हैं कि अगर मैं होता तो कभी इस प्रकार के बांध को बनाने की सिफारिश न करता और अगर वह सिफारिश न करते तो इस प्रकार की इंजीनियर्स की विभिन्न सिफारिशों के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया। यह सरकार को बतलाना चाहिये था।

इसके बाद निरंतर इस बांध पर खर्च ही खर्च होता गया है। लगभग पौने दो करोड़ रुपया इस बांध पर खर्च हो गया जब कि इस्टीमेट १३ लाख रुपये का था और इतना ज्यादा पैसा लगने के बाद भी जन जीवन को वहां बचाया नहीं जा सका। मैं यह बात जरूर विचार करता हूं कि यदि इसके लिये मंत्री महोदय इस्तीफा दें तो कौन से। वह मंत्री इस्तीफा दें कि जिनके कार्यकाल में इस बांध का निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ था, भले ही आज उनके पास कोई भी पोर्टफोलियो क्यों न हो अथवा वह मंत्री कि जिनके पास आज यह बांध है। मैं समझता हूं कि जिनके कार्यकाल में यह बांध बना था उन को ही इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं मानता हूं कि वर्तमान मंत्री जी को एक गलत चीज मिली है लेकिन उस कलंक को, जो उनको अपने प्रिडिसेसर से मिला है, उनको धोना है। अपने पूर्ववर्ती मंत्री के कलंक को धोने के लिये वह क्या कर रहे हैं इस बात को हमें देखना है और अगर वह इस तरह से जनता के जीवन की रक्षा कर सकते हैं तब तो वह रह सकते हैं और माननीय सदस्य इस बात की फिर मांग नहीं करेंगे कि वे भी इस्तीफा दें। लेकिन इस्तीफे की बात आरम्भ वहीं से होती है जहां से बांध को तैयार करने की बात शुरू हुई। जब जन प्रतिनिधि इस बात को लेकर चलते हैं और प्रयत्न करते हैं कि जनता को बचाया जाय और नीचे इस प्रकार की बातें होती हैं तो अवश्य विचारणीय प्रश्न उठता है कि जनता को बचाया कैसे जाय। पंजाब में मंत्रियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही हुई, यहां हाउस में यह शोर हो गया कि राष्ट्रपति के शासन में गलत आदमियों को सजा मिल गयी। तो क्या जनतंत्र में शासन जांच करा कर गलत आदमियों को दण्ड नहीं दे सकता ? डेमोक्रेसी इज दि लास्ट फार्म अ.फ गवर्नमेंट, और अगर यह गवर्नमेंट अपना सुधार करने में ही असमर्थ रहती है तो किस गवर्नमेंट के आधार पर जनता की रक्षा की जा सकेगी और जनता के साथ होते हुए इस खिलवाड़ को रोका जा सकेगा ? आज जनता की आवाज उठ सकती है, वह शिकायत कर सकती है, लेकिन कल अगर जनता की आवाज बन्द कर दी जायगी तो कैसे काम चलेगा ? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने शासन का भार लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और अपने को जन जीवन की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध किया है, उनके रहते हुए इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये और इस प्रकार जनतंत्र के नाम पर जो नाना प्रकार के कलंक आ रहे हैं उनको दूर करने के लिये उनको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। मैं समझता हूं कि वे अपने कर्तव्य पालन में सजग रहे हैं और वे अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपने अनुभव, कर्तव्य परायणता तथा सुबुद्धि का परिचय देंगे जिसके आधार पर ही वह वहां तक पहुंचने में सफल हो सके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, हम लोगों की तरफ से भी ख्याल किया जाय। हम लोग बाढ़ एरिया के हैं। माननीय मंत्री जी तो वहां जाते भी नहीं हैं।

*श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---

मैं आपका बहुत आभारी हूं अधिष्ठाता महोदय, इसलिये कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज हालत यह हो रही है कि हमारे कृषि मंत्री जी यह देखने गये थे कि भागीरथी के लिये जो कोशिश हो रही थी वह हम कहां तक ले आये हैं।

बाबू गेंदा सिंह देखने गये थे कि हमने बड़ी कोशिश की है और उन्होंने अपनी तहसील में भी कहलवाया था कि हम बड़ी मेहनत और परेशानी के बाद भागीरथी की धारा ले आ रहे हैं, आप उसमें नहायेंगे और खूब सुखी होंगे और उसका पानी पियेंगे। उसी को देखने गये थे कि वह 'भागीरथी' कहां पहुंच गयी और हमारे सिंचाई मंत्री भी उसे देखने गये। आज वहां क्या हालत हो रही है ? हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आदमियों ने लगातार यह कहा कि अगर नहर निकाली गयी और जिस प्रकार से कटाव नारायणी के पानी का होता है तो पूरा देवरिया डूब जायगा। आज पूरा देवरिया जलमग्न होने जा रहा है। पडरौना तहसील के साथी ने भी वहां का हाल बतलाया कि हम कहां जा रहे हैं। आज हमारे जिले की यह हालत है कि सबकी ट्रेनिंग वहीं होती है। जिलाधीश महोदय जाते हैं, पुलिस कप्तान जो भी नये हों वह सब वहां सीखने के लिए जाते हैं। नया जिला है, नये लोग सीखने जाते हैं। हम लोग तो सीखने में ही बरबाद होते चले जा रहे हैं। हम तो मंत्री जी से और सरकार से कहेंगे कि जो लोग जिम्मेदार हैं और गलत राय देने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर गलती साबित हो जाय तो जरूर सजा दी जाय। जनता का धन इस तरह से आज पानी में बरबाद हो रहा है कि पानी में बरबाद होने की मिसाल चरितार्थ हो रही है। हम तो कहेंगे कि कोई जांच कमीशन बने और वह जांच करे, उचित कार्यवाही की जाय और जो दोषी ठहरें उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं जानकारी चाहता हूं आप से कि इस पर कितना समय रखा गया है ?

श्री अधिष्ठाता---

२ घंटे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

तो जरा सा अधिष्ठाता महोदय, आप नियमावली को देखें। उसमें स्पष्ट है कि बहस ढाई घंटे से अधिक नहीं होगी और आपकी ओर से एजेंडे में कोई समय निर्धारण की सूचना नहीं है। तो इस पर विवाद ढाई घंटे से कम नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय पांडेय जी, मैं आप को सूचना दे दूं कि इसमें अधिक से अधिक ढाई घंटे है, लेकिन स्पीकर महोदय को अधिकार है कि उससे कम भी रख सकते हैं। उन्होंने जो आदेश दिया है उसमें दो घंटे समय निश्चित किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

वह एजेंडे में निकलना चाहिए था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह जो स्वीकार किया है उसमें लिखा है कि "४ से ६ बजे तक समय निर्धारित होता है"। एजेंडे में हर चीज थोड़े ही होती है।

अगर इस पर कुछ आपको कहना हो तो कहें।

*श्री रामसुन्दर पांडेय—

अधिष्ठाता जी, मैं इस सरकार के ऊपर सौतेली मां का सा व्यवहार करने का आरोप लगाता हूं और स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि उनको भारत सरकार से और फ्लड बोर्ड से जो रुपया बाढ़ से बचाने के लिए, कटाव को रोकने के लिए मिला था उसको उन्होंने किन किन जिलों में और किन किन स्थानों में खर्च किया? श्रीमन्, हमारी जानकारी है कि करोड़ों रुपया जो घाघरा के कटाव को रोकने के लिए, गंगा के कटाव कोप्और गंडक, छोटी गंडक के कटाव को रोकने के लिए मिला था वह करीब १५ करोड़ रुपया लखनऊ को बचाने के लिए, गोमती से लखनऊ शहर की रक्षा करने के लिए, लखनऊ शहर को सुन्दर बनाने में खर्च किया है। मंत्री जी यह बतायें कि क्या भारत सरकार ने लखनऊ शहर को बचाने के लिये निश्चित रूप से कुछ रुपया प्रदान किया था? हमारी जानकारी श्रीमन्, यह है कि इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं था। देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों की लाखों जनता की जान माल की रक्षा के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी इनके इंजीनियर्स जब गांवों में वहां जाते हैं तो कहते गांव खाली कर दो। मगर वे लोग जायं कहां? उनके रहने के लिये सरकार ने कहीं कोई प्रबन्ध ही नहीं किया है। लाखों आदमी आज छितौनी बांध से प्रभावित हैं। श्रीमन्, बलिया, गाजी पुर, आजमगढ़, देवरिया आदि की समस्यायें सब एक साथ होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार वहां की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है। इसी सदन में सरकार की ओर से यह कहा गया कि चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट की है कि बांध गलत स्थान पर बना है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इसकी जांच करना चाहिये कि किसने गलत बांध बनाया। अगर इनके अन्दर थोड़ी भी लज्जा और शर्म है तो माननीय सिंचाई मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये, या चीफ इंजीनियर को बरखास्त कर देना चाहिये। अगर सरकार यह नहीं करती तो सन् ६७ के इलेक्शन में जनता इनको समझेगी। आज वहां लाखों आदमी खानाबदोश की तरह पेड़ों के नीचे अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इस सबका प्रायश्चित्त उत्तर प्रदेश की सरकार को भुगतना होगा।

श्री उग्रसेन—

हमको जवाब देने को मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ एक अत्यन्त भयंकर चीज है और उसको रोकने के उपाय होने चाहिये। थोड़ा सा भी नुकसान अगर उससे होता है तो वह चिन्ता की बात है। गोरखपुर के आसपास के इलाकों में बाढ़ की एक बड़ी भारी समस्या है। हमारे स्टेट के डित पन्त के जमाने में एक स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाया था और पन्त जी उसके चेयरमैन थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी उस समय सिंचाई मंत्री थे। उस बोर्ड की मीटिंग में जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े टैक्निकल विशेषज्ञ थे, भारत सरकार के भी विशेषज्ञ थे, एक प्रस्ताव पास हुआ कि यहां यह बांध बनाया जाय। उसकी राय थी कि वहां ३ मील पर छितौनी बांध बनाया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

हमारे प्रदेश के जो सबसे अच्छे और भारत सरकार के जो टेक्निकल आदमी थे उन्होंने यह राय दी कि छिबौनी बांध यहां पर बनाया जाय। उस वक्त गंडक नदी वहां नहीं थी जहां कि आप आज देख रहे हैं। वहां से वह ३ मील पीछे थी।

श्री उग्रसेन—

उस नदी के इतिहास को बिना जाने हुए आपने वहां बांध बनाने का काम क्यों शुरू कर दिया?

(व्यवधान)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्री उग्रसेन जी, मेरी बात तो आप सुनें।

श्री उग्रसेन—

आप तिलक हाल में अपने इंजीनियर्स को बुला लें, उससे मालूम हो जायगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की किसी नदी के बारे में कोई सुझाव था ही नहीं। फिर ऐसी नदी पर आप क्या काम कर सकते हैं?

(व्यवधान)

नारायणी नदी के सम्बन्ध में सन् १९२१ के पहले की जानकारी इनके पास नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद माननीय उग्रसेन जो कुछ भी बोलेंगे वह कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मजे की बात यह है कि हमारे माननीय उग्रसेन जी जो चाहें कहते हैं लेकिन जब मैं जवाब में कुछ कहना चाहता हूं तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। आप चाहे जो कहें, लेकिन जो बात मैं कहता हूं उसका रेकर्ड मेरे पास है, उसका रजिस्टर मेरे पास है।

श्रीमन, मैं फिर अपनी बात पर आ जाऊं कि जब पंडित पन्त की अध्यक्षता में स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना तो उसमें माननीय कमलापति त्रिपाठी जैसे प्रैक्टिकल आदमी को रखा गया और उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी।

(व्यवधान)

उन्होंने ही इस बांध को बनाने की स्वीकृति दी थी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, अपनी गलतियों को ये पंडित पन्त के नाम पर छिपाना चाहते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बांध बना था सन् १९५४ में। यह आपकी ही अक्ल है जो इसको हमारी गलती बतला रहे हैं। जो आपके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

आप स्पष्ट बतलायें कि न्यायिक जांच करायेंगे या अपने पद से इस्तीफा दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं यह बतला रहा था कि गलती मेरी नहीं है। अब इनकी बुद्धि में थोड़ी सी भी समझ नहीं है तो मैं क्या कहूं। जो बात फैक्ट्स के खिलाफ कह रहे हैं केवल प्रोपेगेंडा के लिये, उसके क्या लाभ है?

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि टेक्निकल ऐडवाइजरी कमेटी की राय पर स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने इस बांध को ३ मील तक बनाने की मंजूरी दी। फिर बाद में अगले साल वह बांध और बढ़ाया गया। मैं आपको बतला दूं कि सन् ५४ से ६६ तक यानी आज तक इस बांध की मरम्मत होती रही, बीच-बीच में यह बांध टूटता भी रहा। लेकिन वहां की जनता की रक्षा यही बांध करता रहा। अगर यह बांध न होता तो केवल एक हजार एकड़ भूमि की बात नहीं थी रेलवे के पीछे जो एक डेढ़ लाख एकड़ का एरिया है उसको भी यह नुकसान पहुंचा सकता था।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं। आपने सदन में चार दिन पहले कहा था कि चीफ इंजीनियर से किसी गलत स्थान पर बांध का निर्माण हुआ था। उसके कहने के मुताबिक बांध क्यों बनाया गया और उसको क्या सजा दे रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पांडेय जी, आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं यह कह रहा था कि जो हमारी टैक्नीकल कमेटी थी उसमें हमारे चीफ इंजीनियर तथा और आदमी ही नहीं थे बल्कि भारत सरकार के लोग भी थे और जो उनके एक्सपर्ट थे वे भी थे. .

(व्यवधान)

श्री खेमवन्द--

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि सरकार के पक्ष की ओर से श्री शर्मा जी अपनी बात कह रहे थे लेकिन मैं आप की व्यवस्था यह चाहता हूं कि जिस टोन से वे बात कर रहे थे क्या उनके यहां ये मातहत बसते हैं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शर्मा जी, आप भी गलती कर रहे ह। आप उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि कमरे में आकर पूछ लें। ऐसा न कर आप मुझे लक्ष्य कर कहें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और मेरी बात ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये अपना प्रोपेगेन्डा करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि ५४ से ६६ तक यही एक बांध था जिसने हमारे प्रदेश के हजारों लोगों की जान बचाई। हजारों एकड़ जमीन बचाई। बाढ़, जब कभी भी हम बांध बनाया करते हैं, हमारे यहां कनखल में एक पक्का बांध बना था लेकिन इतना ज्यादा पानी आया कि अगले साल ही पक्का बांध टूट गया। लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में यह प्रयास किया गया कि इस प्रदेश की लाखों की जनता को बचाने के लिये बांध बनाया जाय। ११ वर्षों में १ करोड़ १८ या १२ लाख रुपया इस सम्बन्ध में जो खर्च हुआ, मैं समझता हूं कि यह खर्च करना ही चाहिये था। अगर आप कहें कि नहीं खर्च करना चाहिये तो इस तरह से बहुत सा एरिया खराब हो जाता। अगर आप कहते है कि बांध न बनायें तो नहीं बनायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आप उधर बातें न करें, मुझे संबोधित करें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मैं यह बता रहा था कि इस बीच में २-१ वर्ष में यह थोड़ा थोड़ा बांध टूटा है और जब कभी टूटा उसको ठीक कर दिया गया। इस बांध के बनने में २२.२९ लाख रुपया लगा, १५ लाख रुपये के बल्लियों के स्पर बनाये गये, ६ लाख रुपया स्पर्ड बांध पर खर्च हुआ और बल्लियों पर खर्च हुआ।

श्री उग्रसेन--

ठोकर बह क्यों गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जब पानी ज्यादा आ जाता है तो बल्लियां बह ही जाती हैं। इसको बन्द करने में ९ लाख रुपया खर्च किया गया। बीच बांध पर ३ लाख रुपया खर्च किया गया, रेज करने में २ लाख रुपया खर्च हुआ और रिपेयर्स में १५ लाख रुपया खर्च हुआ। यह तमाम रुपया जो खर्च हुआ है वह जनता को बाढ़ से बचाने के लिए सन् ५४ से अब तक खर्च हुआ है। इसको खर्च करके हम चाहते थे कि जनता की रक्षा हो, बाढ़ से उसे कम से कम हानि हो।

श्री उग्रसेन--

यह ३२ फुट गहरी बालू पर आपने यहां बांध क्यों बना दिया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर माननीय उग्रसेन जी कभी देहरादून आयें तो उनको मैं दिखा दूं कि बांध तो क्या पुल बालू पर बन जाते हैं और १२-१२ साल तक चलते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अधिष्ठाता जी, इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने दो बातें कहीं। पहली बात तो यह कही कि जिन इंजीनियरों ने रुपया खर्च किया जिनकी वजह से जनता की सारी संपत्ति नष्ट हो गयी, उनके खिलाफ और संबंधित मंत्री के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि संबंधित मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या उसको बरखास्त किया जाना चाहिए। इन दो मांगों के संबंध में अभी तक मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा है। मैं विश्वास करता हूं कि छितौनी बांध का गड़बड़ घुटाला लाखों रुपयों का है। इसकी वजह से सारे उत्तर प्रदेश का मस्तक नीचा हो रहा है अखबारों को देखिए, टिप्पणियों को देखिए सारे हिन्दुस्तान में इस बांध को लेकर उत्तर प्रदेश की बदनामी हो रही है और मंत्रिगण उसकी बातों को छिपाते हैं। चूंकि मंत्री जी

इन दो बातों का उत्तर नहीं दे रहे हैं अतः हम उनके इस भाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इसके विरोध में सदन को छोड़ते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर जाने लगे)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्रोध में आने से काम नहीं चलता, वे सुनना नहीं चाहते तो शान्ति से चले जायं।

श्री अधिष्ठाता—

आप रहेंगे या जायेंगे ? रहेंगे तो सुनिए।

श्री उग्रसेन—

यदि उत्तर उनको देना होता तो देते। १२२ करोड़ रुपया गंगा नहर का गिरधारीलाल खा गये और यह सरकार खुद सारा नहरों का पैसा खा रही है और देवरिया की २३ लाख जनता को यह सरकार डुबा रही है। यह न्यायिक जांच बिठायें वर्ना मंत्रीजी इस्तीफा दें।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप मेरी बात जरा सुन तो लें।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी नेता विरोधी दल ने अपना भाषण करते हुए मंत्री जी के सामने ४ बातें रखी थीं और उन्होंने अपने अभी तक के भाषण में उनमें से एक का भी कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि उन बातों का उत्तर उनसे दिलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

उन्हें आप समय तो दीजिए, बोलने तो दिया जाय।

श्री सुकदेवप्रसाद—

मंत्री जो इतनी देर से बोल रहे हैं, एक बात का भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे इस बात का बड़ा दुख है, दूसरे लोगों को तो मैं नहीं जानता लेकिन माननीय नेता विरोधी दल जिन्होंने कुछ चार्जेज हमारे खिलाफ लगाए थे, उनको इतना भी नहीं हुआ कि वह हमारा उत्तर सुनकर जाते।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

आपके पास कोई उत्तर भी है ?

श्री वैजनाथसिंह बंध (जिला सुल्तानपुर)—

आप बैठ जाइए।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

आप के कहने से नहीं बैठेंगे ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

हमतो उनकी बात सुनने को ही बैठे थे लेकिन उनके पास सिवा नुक्ताचीनी के और कुछ नहीं है, वह प्रेमालाप करें, आपस में बातचीत करते रहें और उनके पास कोई जवाब इन चार्जेज का है ही नहीं ।

श्री अधिष्ठाता---

इन बातों के कहने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

तो वह उन चारों चार्जेज का जवाब क्यों नहीं देते ?

श्री अधिष्ठाता---

इस सबसे कोई लाभ नहीं है, माननीय नेता विरोधी दल नहीं हैं, माननीय उग्रसेन जी ने जो प्रश्न उठाए थे, वह चले गये। मंत्री जी को उत्तर के लिए बुलाया है वह बोल रहे हैं।

श्री झारखण्डेराय---

एक बात मंत्री जी बता दें.. —

श्री अधिष्ठाता---

समय नहीं है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैं कह रहा था कि...

श्री झारखण्डे राय---

दोनों ओर से जो मांग उठाई गई है कि न्यायिक जांच बिठाई जाय उसको मंत्री जी क्या स्वीकार करेंगे ? इसी ओर सब का ध्यान केंद्रित है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब समय समाप्त हो चुका है, आप बैठ जायं ।

श्री झारखण्डेराय---

मैं अपने दल के साथ सदन त्याग करता हूं ।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

भ्रष्टाचार के संबंध में हमने हमेशा कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो । हमारे प्रदेश में विजिलेंस कमीशन है । अगर वे चाहते हैं कि हम इन्क्वायरी करावें तो अगर वे कोई स्पैसिफिक चार्जेज किसी इंजीनियर या अन्य किसी अधिकारी के विरुद्ध लगावें तो हम उसको इन्क्वायरी करायेंगे और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को सजा देंगे । हमने हमेशा सजा दी है और अब भी देंगे । हम कभी भी गवारा नहीं कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी रहें लेकिन इससे तो काम नहीं चलता कि यों ही सबको आप भ्रष्ट बतायें ।

यदि आपकी चीफ इंजीनियरके खिलाफ कोई बात है तो आप तो जुडिशियल इन्क्वायरी की बात करते हैं हम तो उसको इन्क्वायरी विजिलेंस कमीशन से कराने को तैयार हैं जो कि एक इन्डिपेंडेंट बाडी है और अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें हम अपने प्रदेश में नहीं रहने देंगे। हम तो १ करोड़ ६० लाख रुपया लगाकर एक बड़ा भारी बांध बनवावें और आप उस पर ये चार्ज लगावें। इससे हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। हम वहां के लोगों की रक्षा करते रहे हैं और रक्षा करेंगे जब तक हमारे पास क्षमता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ अगस्त, १९६६।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४४ पर]

स्थानान्तरित अधिकारियों की सूची

१—श्री बी० एन० चोपड़ा—कालागढ़ वन खण्ड को
२—श्री महेशचन्द्र मिश्र—प्लान्टेशन वन खण्ड, हल्द्वानी को
३—श्री लीलाधर भदोला—रामनगर वन खण्ड को
४—श्री पूरनचन्द्र खण्डूरी—प्लान्टेंशन वन खण्ड, हल्द्वानी को
५—श्री प्रेमबल्लभ पांडे—रामनगर वन खण्ड को
६—श्री रामप्यारे लाल—सहारनपुर वन खंड को
७—श्री मुस्तजाबउद्दीन—रामनगर वन खण्ड को
८—श्री जोधसिंह रावत—रामनगर वन खण्ड को
९—श्री भवानीसिंह—हल्द्वानी वन खण्ड को
१०—श्री मोहम्मद अहमद—रामनगर वन खण्ड को
११—श्री भोलादत्त—लैंसडाउन वन खण्ड को
१२—श्री त्रिलोकसिंह भण्डारी—तराई भावर प्लान्टेंशन वन खण्ड को
१३—श्री हंसादत्त सनवाल—तराई भावर प्लान्टेंशन वन खण्ड को।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१०० एल० ए०—१९६६—८४६।